ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

नवंबर 2026
वर्ष : 08 अंक : II



साक्षात्कार मार्गदर्शन
कुमुद मिश्रा, IAS

इस अंक में...

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026
- धर्म परिवर्तन और रिज़र्वेशन
- छह राज्यों को नए गवर्नर मिले
- स्पेशल समरी रिविज़न (SSR) 2026
- यूएस ने 12 साल बाद इराक में मिलिट्री मिशन खत्म किया
- बद्र डिफ़ेंस अकॉर्ड
- दुनिया के जंगलों की स्थिति रिपोर्ट 2026
- डब्लूडब्लूएफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026
- एमिशन गैप रिपोर्ट 2026
- बद्रीनाथ हैंगिंग ग्लेशियर
- इसरो का NVS-03 मिशन
- शमोंडा वायरस
- डबल फ़ोर्टिफ़ाइड सॉल्ट (DFS)
- डायमंडाइन: नया कार्बन एलोट्रोप
- रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किया गया
- भारत की AI रेडीनेस पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2026
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026
- फ्लीट सपोर्ट शिप-1 (FSS-1)
- आईएनएस मंगरोल
- आईएनएस समर्थक

तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय...

नोबेल पुरस्कार 2026

» मुख्य विशेषताएं

पॉवर पैक्ड न्यूज़ | प्री बेस्ड एमसीक्यू | संपादकीय लेख

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

नया पैटर्न, नई रणनीति

RO / ARO-2026

समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी

PRELIMS TEST SERIES

Starts from

20 | DEC. 2026

12:00 NOON

TOTAL TEST - 12

General Studies + Hindi (New Pattern)

विशेषताएँ

- सम्पूर्ण टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अद्यतन परीक्षा पैटर्न व प्रकृति पर आधारित।
- डाउट क्लीयरिंग सुविधा।
- समस्या समाधान का सिंगल विंडो क्लीयरेंस।
- मेंटरशिप की सुविधा।
- ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध।

For Online Admission

LUCKNOW

☎ 7619903300
ALIGANJ

☎ 7570009003
GOMTI NAGAR

☎ 8853467068
PRAYAGRAJ

पहला पन्ना



एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

मासिक समसामायिकी पत्रिका



इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-14

➢ **वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर भारत की चुनौती**

- साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026
- 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार
- लक्षद्वीप ने उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल की
- केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 77.98 करोड़ रुपये जारी किए
- तमिलनाडु में चोल काल की भगवान नटराज और देवी शिवगामी की मूर्तियाँ मिलीं

2. राजव्यवस्था एवं शासन 15-31

➢ **धार्मिक परिवर्तन और आरक्षण: सामाजिक न्याय, संवैधानिक पहचान एवं समानता के बीच संतुलन**

- CAPF: IPS डेपुटेशन बनाम कैडर अधिकारी
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047
- छह राज्यों को मिले नए राज्यपाल
- बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026
- विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR)
- चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- खेलो इंडिया खेल सामग्री निर्माण योजना 2026
- प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना
- डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 32-47

➢ **भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA): हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की आर्थिक एवं रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार**

- अमेरिका ने 12 साल बाद इराक में अपना सैन्य मिशन किया समाप्त
- भारत–स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय संबंध
- अमेरिका द्वारा भारतीय आईटी कंपनियों पर पर्म (PERM) प्रतिबंध
- UNCTAD व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026
- भारत–कनाडा संबंध
- फ्रांस में विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट
- पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने बद्र रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
- भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी विजन 2030
- संयुक्त राष्ट्र के जलवायु क्षति एवं हानि कोष ने नेपाल के लिए आवंटित किए 20 मिलियन डॉलर

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 48-61

➢ **विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2026: वन पुनर्स्थापन से जलवायु सुरक्षा और सतत विकास की ओर**

- भारत का 2026 मानसून 13% वर्षा की कमी के साथ समाप्त
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026
- मध्य प्रदेश में जंगली जल भैंसों का पुनः प्रवर्तन
- किगाली संशोधन के 10 वर्ष
- सुखना झील और सौज झील को रामसर स्थल का दर्जा

- केरलम वन्यजीव सर्वेक्षण में दर्ज की गईं 36 नई प्रजातियां
- उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026
- असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति की खोज
- बद्रीनाथ में लटकते ग्लेशियरों से खतरा

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 62-76

- **इसरो का NVS-03 मिशन: भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'NavIC' को मिलेगी नई मजबूती**
- चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2026
- भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2026
- रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2026
- खगोलविदों ने हरे-सफेद बौने तारे WD J1330+6435 की खोज की
- आदित्य-L1 मिशन ने सौर विस्फोट की गतिशीलता का खुलासा किया
- PHP2Shell कमजोरियाँ: AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचा
- शमोंडा वायरस - फ्रांस में मानव संक्रमण का पहला दर्ज मामला
- डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS)
- डायमंडाइन: नया कार्बन अपररूप

6. आर्थिकी 77-95

- **भारत में श्रम की बदलती प्रकृति: गिग अर्थव्यवस्था एवं घरेलू कार्यों की पहचान की आवश्यकता**
- वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (RELIEF) योजना की समयसीमा बढ़ाई
- नेक्स्ट-जेन जीएसटी और भारत के विकास का अगला चरण
- विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी
- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.50% किया
- एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी
- भारत की एआई तैयारी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2026
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026
- अर्थशास्त्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार
- हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 1% सतत विमानन ईंधन (SAF) का मिश्रण
- विश्व बैंक की रिपोर्ट: भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2.6% हुई
- असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 96-104

- **डिजिटल भारत में साइबर सुरक्षा का संकट: डेटा गोपनीयता, डिजिटल विश्वास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती**
- फ्लीट सपोर्ट शिप-1 (FSS-1) लॉन्च
- INS मंगरोल: तीसरा माहे-क्लास एंटी-सबमरीन जहाज़
- आईएनएस समर्थक भारतीय नौसेना में शामिल
- जीसैट-7सी और वरुणास्त्र
- केंद्र ने ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी

प्रमुख चर्चित स्थल 105-107

पावर पैक्ड न्यूज 108-121

कुमुद मिश्रा, IAS द्वारा साक्षात्कार मार्गदर्शन .. 122-124

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 125-134

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर भारत की चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में अक्टूबर 2026 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index- GHI) ने भारत में भूख और कुपोषण की चुनौती को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस सूचकांक में भारत 24.1 स्कोर के साथ 122 देशों में 100वें स्थान पर है जो 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में आता है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत खाद्यान्न उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि देश के पास पर्याप्त अनाज है या नहीं, बल्कि यह भी है कि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त, पौष्टिक और संतुलित भोजन मिल रहा है या नहीं।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026: प्रमुख निष्कर्ष

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) एक बहुआयामी सूचकांक है, जिसे वेल्टहंगरहिल्फ़ (Welthungerhilfe), इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (IFHV) तथा हेल्वेटास (Helvetas) संयुक्त रूप से प्रकाशित करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों और क्षेत्रों में भूख की स्थिति का आकलन करना तथा भूख उन्मूलन के लिए नीतिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।
- GHI 2026 के अनुसार, भारत का स्कोर 24.1 है। इसकी तुलना में दक्षिण एशिया का औसत स्कोर 23.5 और वैश्विक स्कोर 18.1 है। नेपाल का स्कोर 14.5, बांग्लादेश का 19.2 और पाकिस्तान का 25.5 दर्ज किया गया है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में पोषण संबंधी चुनौतियाँ व्यापक हैं, लेकिन देशों के बीच उनकी तीव्रता में अंतर भी मौजूद है। इस सूचकांक में भारत का 100वाँ स्थान महत्त्वपूर्ण है, किंतु केवल रैंकिंग के आधार पर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। इसलिए भारत की वास्तविक प्रगति का आकलन करते समय उसके स्कोर, पोषण संबंधी संकेतकों और दीर्घकालिक रुझानों को भी देखना चाहिए।



वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के चार प्रमुख संकेतक:

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक चार संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है:
 - **अल्पपोषण (Undernourishment):** यह जनसंख्या के उस अनुपात को दर्शाता है जिसे पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती। भारत में यह दर 9.8 प्रतिशत दर्ज की गई है।
 - **बाल अवरुद्ध विकास (Child Stunting):** पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम होना दीर्घकालिक पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। भारत में इसकी दर 29.3 प्रतिशत है।
 - **बाल दुबलापन (Child Wasting):** बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होना तीव्र पोषण की कमी से जुड़ा है। भारत में इसकी दर 19 प्रतिशत है, जो विशेष चिंता का विषय है।
 - **बाल मृत्यु दर (Child Mortality):** पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अपर्याप्त पोषण, संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। भारत में यह दर 2.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।
- ये आँकड़े 2026 के सूचकांक में उपयोग किए गए उपलब्ध नवीनतम संबंधित आँकड़ों पर आधारित हैं। अल्पपोषण के लिए 2023–2025, बाल दुबलेपन के लिए 2021–2025 की अवधि के उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों तथा बाल अवरुद्ध विकास और बाल मृत्यु दर के लिए 2024 के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसलिए रिपोर्ट को वर्ष 2026 में मापी गई प्रत्येक स्थिति का तत्काल चित्र नहीं समझना चाहिए।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- **गरीबी और आर्थिक असमानता:** कमजोर आय वाले परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना ही कठिन हो सकता है; संतुलित और विविध आहार उपलब्ध कराना उनके लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण है। खाद्य पदार्थों की कीमतें तथा रोजगार की अनिश्चितता भी इस स्थिति को प्रभावित करती हैं।
- **मातृ एवं शिशु पोषण:** गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त पोषण, मातृ एनीमिया, जन्म के समय कम वजन और शिशु को समय पर उपयुक्त पूरक आहार नहीं मिलना बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। जीवन के शुरुआती एक हजार दिनों में पर्याप्त पोषण और उचित देखभाल विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
- **स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी:** बार-बार होने वाले संक्रमणों और दस्त जैसी बीमारियों के कारण शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्त्वों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद कुपोषण बना रह सकता है।
- **सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएँ:** ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा और जागरूकता की कमी समस्या को बढ़ा सकती है। इसलिए कुपोषण का समाधान केवल खाद्यान्न वितरण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा के संयुक्त प्रयासों से संभव है।

सरकारी नीतियाँ:

- भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इससे कमजोर परिवारों की खाद्य उपलब्धता और आर्थिक सुरक्षा को सहारा मिलता है।
- सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और लक्षित क्षेत्रों की किशोरियों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेवाओं में पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच और आवश्यकतानुसार रेफरल सेवाएँ शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना विद्यालयों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का माध्यम है। वहीं, पोषण अभियान व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और पोषण संबंधी सेवाओं के समन्वय पर बल देता है।
- हालाँकि, योजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। लाभार्थियों तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ

पहुँचाना, कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान करना और उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसलिए केवल वितरित खाद्यान्न या पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या की अपेक्षा वास्तविक पोषण परिणामों का भी मूल्यांकन होना चाहिए।

वैश्विक सूचकांक की सीमाएँ और भारत का दृष्टिकोण:

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक उपयोगी अंतरराष्ट्रीय तुलना उपलब्ध कराता है, किंतु इसकी सीमाओं को समझना भी आवश्यक है। इसके चार संकेतकों में से तीन पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित हैं। इसलिए यह सूचकांक संपूर्ण जनसंख्या की खाद्य स्थिति का प्रत्यक्ष माप नहीं है, यद्यपि इसका अल्पपोषण संकेतक पूरी जनसंख्या से संबंधित है।
- भारत सरकार ने पूर्व के संस्करणों पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए GHI को देश में भूख की वास्तविक स्थिति का अपूर्ण माप बताया है। ऐसे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सूचकांक की कार्यप्रणाली, आँकड़ों के स्रोत और सीमाओं की समीक्षा होनी चाहिए।
- हालाँकि, किसी सूचकांक की सीमाएँ उसके द्वारा सामने लाई गई समस्याओं को अनदेखा करने का आधार नहीं बन सकतीं। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है, लेकिन बाल दुबलापन, अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर जैसे संकेतकों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। भारत को GHI के साथ-साथ अपने राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, स्वास्थ्य आँकड़ों और जिला-स्तरीय पोषण संकेतकों का भी उपयोग करना चाहिए।

आगे की राह:

- भारत को भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखते हुए दालों, मोटे अनाजों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच बढ़ाने के विकल्पों पर काम करना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध आहार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
- गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जीवन के पहले एक हजार दिनों तक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच, पर्याप्त मातृ पोषण, स्तनपान को प्रोत्साहन और छह माह की आयु के बाद उपयुक्त पूरक आहार से कुपोषण के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- आंगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मचारी और नियमित निगरानी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चों के वजन और लंबाई की समयबद्ध जाँच करके कुपोषण की पहचान तथा उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों और समुदायों की भागीदारी से योजनाओं की जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है।
- पोषण संबंधी नीतियों का मूल्यांकन केवल बजट और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, आहार विविधता, एनीमिया में कमी और कुपोषण की दरों में सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्वसनीय, नियमित और तुलनीय आँकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर व्यापक पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। देश ने खाद्यान्न वितरण और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बड़ी आबादी की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं, लेकिन पोषण की गुणवत्ता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और क्षेत्रीय असमानताओं से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी महत्त्वपूर्ण हैं। भारत की प्रगति का आकलन केवल अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग से नहीं, बल्कि बच्चों के स्वस्थ विकास, महिलाओं के बेहतर पोषण और परिवारों की पौष्टिक भोजन तक पहुँच से किया जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य-2 यानी 'शून्य भुखमरी' की प्राप्ति के लिए खाद्य उपलब्धता, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण भारत को अधिक स्वस्थ, सक्षम और समावेशी समाज की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026

संदर्भ:

हाल ही में, 8 अक्टूबर 2026 को कनाडाई कवयित्री, निबंधकार, अनुवादक और शास्त्रीय साहित्य की विद्वान ऐन कार्सन (Anne Carson) को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। स्वीडिश अकादमी ने उनके साहसिक और नवोन्मेषी साहित्यिक सृजन को मान्यता दी। उनके साहित्य ने शास्त्रीय परंपरा के साथ रचनात्मक संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप विकसित किए हैं।

ऐन कार्सन के बारे में:

- ऐन कार्सन कविता, गद्य, निबंध, अनुवाद, नाटक और शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन को एक साथ जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की। इसमें शास्त्रीय अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि भी शामिल है।
- प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के साथ उनके अकादमिक जुड़ाव ने उनकी साहित्यिक शैली को काफी प्रभावित किया है। वह नवीन साहित्यिक रूपों के माध्यम से शास्त्रीय ग्रंथों और विचारों की पुनर्व्याख्या करती हैं तथा प्राचीन परंपराओं को समकालीन विषयों और चिंताओं से जोड़ती हैं।

साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला?

- ऐन कार्सन को उनकी विशिष्ट साहित्यिक शैली के लिए यह पुरस्कार मिला, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ प्रयोगधर्मिता, बौद्धिक गहराई और विभिन्न साहित्यिक विधाओं का समन्वय हैं। उनकी रचनाएँ कविता, कथा-साहित्य, साहित्यिक आलोचना और अनुवाद के बीच की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती हैं।
- स्वीडिश अकादमी ने विशेष रूप से शास्त्रीय साहित्य के साथ उनके रचनात्मक जुड़ाव को रेखांकित किया। प्राचीन कथाओं और दार्शनिक विचारों की नए सिरे से व्याख्या करके उन्होंने आधुनिक पाठकों के लिए साहित्यिक अभिव्यक्ति के नए तरीके विकसित किए हैं।

प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ:

- ऐन कार्सन की कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं:
 - » इरोस द बिटरस्वीट (Eros the Bittersweet)
 - » ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड (Autobiography of Red)
 - » मेन इन द ऑफ आवर्स (Men in the Off Hours)
 - » द ब्यूटी ऑफ द हसबैंड (The Beauty of the Husband)
 - » रेड डॉक (Red Doc>)
 - » एंटिगोनिक (Antigonick)

Nobel Prize in Literature, 2026



Particulars	Details
Award	Nobel Prize in Literature, 2026
Laureate	Anne Carson
Nationality	Canadian
Born	1950
Birthplace	Toronto, Canada
Profession	Poet, essayist, classicist, translator and teacher
Prize share	1/1 (entire prize)
Awarding institution	Swedish Academy
Award citation	For her bold and inventive literary works engaging with classical traditions
Previous year's laureate (2025)	László Krasznahorkai, Hungarian writer

- ये रचनाएँ शास्त्रीय संदर्भों, अपरंपरागत संरचनाओं और विभिन्न विषयों को जोड़ने वाली साहित्यिक तकनीकों के उनके विशिष्ट उपयोग को प्रदर्शित करती हैं।

पुरस्कार का महत्त्व:

- साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 समकालीन समाज में शास्त्रीय साहित्य की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। यह साहित्यिक प्रयोगधर्मिता को मान्यता देता है और कहानी लेखन, कविता तथा अनुवाद के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
- कार्सन की उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि साहित्य विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों, संस्कृतियों और अकादमिक विषयों के बीच सेतु का कार्य कर सकता है। उनकी रचनाएँ बताती हैं कि प्राचीन ग्रंथों की आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने पर वे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बने रह सकते हैं।

निष्कर्ष:

ऐन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 मिलना समकालीन साहित्य के विकास में नवाचार और शास्त्रीय ज्ञान के महत्त्व को रेखांकित करता है। उनकी उपलब्धि दर्शाती है कि सांस्कृतिक विरासत की पुनर्व्याख्या से कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रूप विकसित किए जा सकते हैं और आधुनिक विश्व में ऐतिहासिक परंपराओं की प्रासंगिकता बनाए रखी जा सकती है।

2026 का नोबेल शांति पुरस्कार

संदर्भ:

9 अक्टूबर, 2026 को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने दक्षिण अफ्रीका की न्यायविद् नवनिथेम "नवी" पिल्लै (Navanethem "Navi" Pillay) को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की।

नवी पिल्लै: जीवन और प्रमुख योगदान

- नवी पिल्लै का जन्म 1941 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ था। उन्होंने रंगभेद की व्यवस्था के दौरान नस्लीय भेदभाव का सामना किया और वकालत के माध्यम से समानता एवं न्याय के लिए कार्य किया।
- उन्होंने रंगभेद-विरोधी कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा की और नेल्सन मंडेला सहित अन्य संघर्षरत लोगों के समर्थन में कानूनी भूमिका निभाई। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं:
 - » **रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR):** वर्ष 1999 में वे इसकी न्यायाधीश बनीं और बाद में इसकी अध्यक्ष भी रहीं। रवांडा नरसंहार से जुड़े मामलों में उनके योगदान ने यह स्थापित करने में मदद की कि यौन हिंसा और बलात्कार भी नरसंहार तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों का हिस्सा हो सकते हैं।
 - » **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):** उन्होंने इस न्यायालय की अपील पीठ में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। यह न्यायालय नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - » **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त:** वर्ष 2008 से 2014 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। इस दौरान मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और संरक्षण पर जोर दिया।
 - » **अंतरराष्ट्रीय न्याय:** उन्होंने गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जाँच, अभियोजन और पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयासों का समर्थन किया।

नोबेल शांति पुरस्कार:

- नोबेल शांति पुरस्कार विश्व का एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, जो शांति स्थापना, संघर्षों के समाधान और मानवाधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाता है।
- वर्ष 2026 में यह पुरस्कार नवी पिल्लै को प्रदान करने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों के महत्त्व को रेखांकित करती है। यह सम्मान ऐसे समय में दिया गया है, जब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष, मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावशीलता से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।



निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार इस विचार को मजबूत करता है कि शांति और न्याय एक-दूसरे के पूरक हैं। नवी पिल्लै का योगदान बताता है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई और मानवाधिकारों की रक्षा वैश्विक शांति के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान वैश्विक

परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, उनके निर्णयों का सम्मान करना और सभी देशों के लिए समान कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना अधिक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

लक्षद्वीप ने उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल की

संदर्भ:

हाल ही में, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। यह उपलब्धि उल्लास (ULLAS)–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिक्षण और मूल्यांकन अभियानों के बाद हासिल हुई, जिसमें सभी चिन्हित पात्र शिक्षार्थियों ने साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

पृष्ठभूमि:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप की साक्षरता दर लगभग 91.85% थी। प्रारंभिक सर्वेक्षण में 1,113 ऐसे वयस्क निरक्षर व्यक्तियों की पहचान की गई, जिन्हें साक्षरता संबंधी सहायता की आवश्यकता थी।
- इस कमी को दूर करने के लिए विशेष पहल की गईं, जिनमें शिक्षण कार्यक्रम, घर-आधारित शिक्षण सहायता और मूल्यांकन अभियान शामिल थे, ताकि पात्र शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- इसके परिणामस्वरूप, सभी चिन्हित पात्र शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

ULLAS–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में:

- उल्लास (ULLAS) का पूरा नाम Understanding of Lifelong Learning for All in Society है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों के लिए लागू की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
 - » बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता।
 - » महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, जिसमें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं।
 - » बुनियादी शिक्षा।
 - » व्यावसायिक कौशल विकास।
 - » सतत शिक्षा।
- यह योजना 2022–23 से 2026–27 तक संचालित है और स्वयंसेवा, सामुदायिक भागीदारी तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण को बढ़ावा देती है।

साक्षरता का मानदंड:

- अगस्त 2024 में, शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता को समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। इसमें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ढाँचे के अंतर्गत किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की 95% या उससे अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के समकक्ष माना जाता है।



लक्षद्वीप की उपलब्धि का महत्त्व:

- **सामाजिक सशक्तीकरण:** साक्षरता नागरिकों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम बनाती है।
- **आर्थिक विकास:** वित्तीय साक्षरता और बुनियादी संख्यात्मकता लोगों को रोजगार एवं आजीविका के अवसरों तक पहुँचने में सहायता करती है।
- **डिजिटल समावेशन:** डिजिटल साक्षरता ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल भुगतान तक पहुँच को आसान बनाती है।
- **समावेशी विकास:** वयस्क शिक्षा उन लोगों को सीखने के अवसर

प्रदान करती है, जो बचपन में औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे।

- **सतत विकास लक्ष्य:** यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) के अनुरूप है, जो समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसरों पर केंद्रित है।

चुनौतियाँ:

- साक्षरता को बनाए रखने के लिए निरंतर सीखने के अवसर, डिजिटल पहुँच, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन आवश्यक हैं। इसके साथ ही, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और भौगोलिक रूप से अलग-थलग समुदायों पर विशेष ध्यान देना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

लक्षद्वीप की पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि वयस्क शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी और लक्षित शिक्षण अभियानों के महत्त्व को दर्शाती है। हालाँकि, दीर्घकालिक सफलता साक्षरता को डिजिटल एवं वित्तीय सशक्तीकरण, आजीविका और आजीवन सीखने से जोड़ने पर निर्भर करेगी। यह उपलब्धि भारत में समावेशी विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

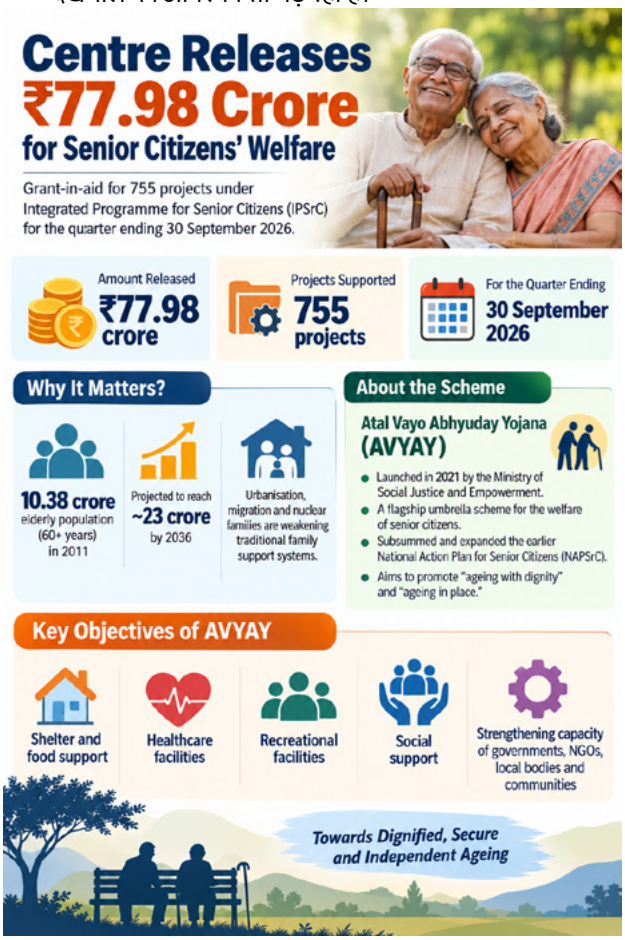
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 77.98 करोड़ रुपये जारी किए

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) के अंतर्गत 755 परियोजनाओं हेतु 77.98 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की। यह कार्यक्रम अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) का एक घटक है और इसका उद्देश्य सम्मानजनक, सुरक्षित तथा स्वतंत्र वृद्धावस्था को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि:

- भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी विशेषताओं में वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10.38 करोड़ लोग थे, जिनमें 5.11 करोड़ पुरुष और 5.27 करोड़ महिलाएँ शामिल थीं।
- वर्ष 2036 तक इनकी संख्या बढ़कर लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। शहरीकरण, प्रवासन और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या पारंपरिक पारिवारिक सहायता प्रणालियों को भी कमजोर कर रही है, जिससे संस्थागत तथा समुदाय-आधारित वृद्धजन देखभाल की आवश्यकता बढ़ रही है।



अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के बारे में:

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई AVYAY एक प्रमुख व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य "सम्मान के साथ वृद्धावस्था" और "अपने परिचित परिवेश में वृद्धावस्था" को बढ़ावा देना है। इस योजना ने पहले की राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना (NAPSrC) को अपने अंतर्गत समाहित करते हुए उसका विस्तार किया और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों को एक एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत लाया।
- इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन की सुविधाएँ और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह वृद्धजन देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों

और समुदायों की क्षमता को मजबूत करती है।

प्रमुख घटक:

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):** IPSrC के अंतर्गत पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनमें स्वैच्छिक संगठन और अन्य अनुमोदित संस्थान शामिल हैं, को वरिष्ठ नागरिक गृहों तथा निरंतर देखभाल गृहों जैसी सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में 755 परियोजनाओं के लिए जारी 77.98 करोड़ रुपये का उद्देश्य संस्थागत देखभाल और संबंधित कल्याणकारी सेवाओं को मजबूत करना है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना (SAPSrC):** SAPSrC के अंतर्गत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्ययोजनाएँ तैयार करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पहल विकसित करने में सक्षम बनाती है।
- **समुदाय-आधारित देखभाल:** यह योजना सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं, घरों में आवश्यक संशोधनों, सामुदायिक भागीदारी और सहायता सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिचित परिवेश में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता मिलती है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

- अनुच्छेद 41, जो राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का हिस्सा है, राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन वृद्धावस्था सहित विभिन्न परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, जबकि अनुच्छेद 21 की व्याख्या गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करने के रूप में की गई है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना तथा उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

महत्त्व:

- यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है, अंतरपीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देती है और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या से जुड़ी स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सहायता संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने में मदद करती है।
- इससे कमजोर परिवारों पर देखभाल का बोझ कम हो सकता है, समुदाय-आधारित देखभाल को समर्थन मिल सकता है और वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है।

तमिलनाडु में चोल काल की भगवान नटराज और देवी शिवगामी की मूर्तियाँ मिलीं

संदर्भ:

हाल ही में, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम में पुरातात्त्विक उत्खनन के दौरान 12वीं शताब्दी की चोल कालीन भगवान नटराज और देवी शिवगामी की दो कांस्य मूर्तियाँ खोजी हैं।

खोज से संबंधित प्रमुख तथ्य:

- दोनों कांस्य मूर्तियाँ जमीन के लगभग एक मीटर नीचे मिली हैं। इनके साथ संबंधित आसन (पीठिका) भी प्राप्त हुए हैं। नटराज की मूर्ति की ऊँचाई लगभग 110 सेमी और चौड़ाई 100 सेमी है, जबकि देवी शिवगामी की मूर्ति की ऊँचाई 82 सेमी और चौड़ाई 23 सेमी है।
- नटराज को चार भुजाओं के साथ आनंद तांडव (आनंद का नृत्य) करते हुए दर्शाया गया है, जबकि देवी शिवगामी को सुंदर त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया है। इन मूर्तियों को रासायनिक उपचार और धातुकर्म संबंधी विश्लेषण सहित वैज्ञानिक परीक्षण एवं संरक्षण के लिए भेजा गया है।

चोल साम्राज्य के बारे में:

- चोल दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक थे। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु के बड़े हिस्से पर शासन किया तथा श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी चोल राजवंश की स्थापना की।
- राजराजा चोल प्रथम (985–1014 ई.) ने साम्राज्य का विस्तार किया और तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम (1014–1044 ई.) ने दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर नौसैनिक अभियान चलाए और गंगैकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की।
- चोलों ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, ग्राम

स्वशासन को प्रोत्साहित किया तथा चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उत्तरमेरुर अभिलेख उनकी स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं और ग्राम सभाओं के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं।



चोल कला एवं वास्तुकला:

- चोल काल को दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला और कांस्य मूर्तिकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस राजवंश ने द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में विशाल विमान (मंदिर के गर्भगृह के ऊपर निर्मित संरचना), विस्तृत मूर्तिकला और विशाल मंदिर परिसर शामिल हैं।
- इसके प्रमुख उदाहरणों में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। इन तीनों मंदिरों को सामूहिक रूप से यूनेस्को द्वारा महान जीवंत चोल मंदिर (Great Living Chola Temples) के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा 2004 में इस सूची का विस्तार किया गया।
- चोल कालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से मोम-क्षय तकनीक (Lost-Wax Technique) से किया जाता था, जिसे सिरे पर्ड्यू (Cire Perdue) भी कहा जाता है। इस तकनीक में पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता था, फिर उसे मिट्टी से ढका जाता था। इसके बाद मोम को पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था और उससे बनी खाली जगह में पिघली हुई धातु डाली जाती थी।
- इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएँ वास्तविक शारीरिक संरचना, सुंदर मुद्राएँ और बारीक अलंकरण हैं।

खोज का महत्त्व:

- यह खोज चोल काल की धार्मिक परंपराओं, विशेष रूप से शैव धर्म, के प्रमाण प्रदान करती है तथा उस समय के उन्नत कांस्य ढलाई और धातुकर्म कौशल को उजागर करती है। यह एक समुद्री व्यापारिक केंद्र के रूप में नागपट्टिनम के ऐतिहासिक महत्त्व को भी रेखांकित करती है।
- इस प्रकार की पुरातात्त्विक खोजें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करती हैं तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत बनाती हैं।

निष्कर्ष:

चोल कालीन नटराज और शिवगामी की मूर्तियों की खोज कला, वास्तुकला, धातुकर्म और धार्मिक परंपराओं के क्षेत्र में चोल राजवंश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि पुरातात्त्विक उत्खनन भारत के ऐतिहासिक विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करते हैं। साथ ही, यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल देती है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

धार्मिक परिवर्तन और आरक्षण: सामाजिक न्याय, संवैधानिक पहचान एवं समानता के बीच संतुलन

संदर्भ:

हाल ही में 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने के आधार पर कोई व्यक्ति तमिलनाडु की अधिसूचित पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में आरक्षण का पात्र नहीं बन जाता। इस फैसले ने धर्म परिवर्तन, जातिगत पहचान, सामाजिक पिछड़ेपन और सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के संवैधानिक आधार को चर्चा के केंद्रबिंदु में ला दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद उसने तमिलनाडु की पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) सूची में शामिल 'मुस्लिम लेब्बई' समुदाय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। स्थानीय राजस्व अधिकारी ने उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उसने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।
- इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024 में एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके तहत पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) अथवा अनुसूचित जाति (SC) से इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को राज्य की सात अधिसूचित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी गई थी। इन सात समुदायों में डेक्कनी मुस्लिम, दुडेकुला, लब्बई (रावथर और मरकयार सहित), मपिल्ला, शेख, सैयद और अंसार शामिल हैं। तमिलनाडु में इन समुदायों के लिए वर्ष 2007 के राज्य कानून के तहत 3.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है।



- मद्रास हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को इस सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 15 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख आधार

- **धर्म परिवर्तन से पिछड़ा वर्ग की सदस्यता स्वतः प्राप्त नहीं होती:**
 - » न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की धार्मिक पहचान बदलती है, लेकिन इससे किसी विशेष सामाजिक समुदाय की सदस्यता स्वतः प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर मुस्लिम लेब्बई या किसी अन्य अधिसूचित पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता।
 - » न्यायालय के अनुसार, इन समुदायों की पहचान उनके साझा इतिहास, वंश, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों पर आधारित है। इसलिए किसी व्यक्ति को इनमें शामिल करने के लिए निर्धारित सामाजिक एवं कानूनी मानदंडों का पालन आवश्यक है।
- **सामाजिक पिछड़ापन और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पिछड़ा वर्ग अलग-अलग अवधारणाएँ हैं:**
 - » न्यायालय ने सामाजिक पिछड़ेपन और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्ग की सदस्यता के बीच अंतर स्पष्ट किया। किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद भी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन केवल इन समस्याओं के आधार पर उसे किसी दूसरे धर्म के अधिसूचित पिछड़े समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता।
 - » अर्थात्, आरक्षण किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं हस्तांतरणीय अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान के अंतर्गत निर्धारित सामाजिक समूह की पहचान और उसकी पिछड़ेपन की स्थिति से जुड़ा हुआ है।
- **इस्लाम में समानता का सिद्धांत और भारतीय मुस्लिम समाज की सामाजिक संरचना:**
 - » न्यायालय ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों में समानता पर बल दिया, जहाँ जन्म के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम की अपेक्षा धार्मिक आचरण और नैतिकता को महत्त्व दिया जाता है। हालांकि, उसने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय मुस्लिम समाज में ऐतिहासिक रूप से अशरफ, अजलफ और अरजल जैसे सामाजिक वर्गीकरण मौजूद रहे हैं।
 - » न्यायालय ने माना कि धार्मिक सिद्धांतों में समानता की अवधारणा होने के बावजूद भारतीय समाज में मौजूद ऐतिहासिक और सामाजिक विभाजनों की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम समुदायों को भी संवैधानिक शर्तें पूरी करने पर पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण मिल सकता है।



संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी स्थिति:

- इस फैसले को समझने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।
 - » **अनुच्छेद 14-कानून के समक्ष समानता:** अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। राज्य द्वारा आरक्षण से संबंधित कोई भी नीति तर्कसंगत वर्गीकरण और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को बिना निर्धारित सामाजिक पहचान के किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग में शामिल करना संवैधानिक समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा।

» **अनुच्छेद 15(4)- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान:** अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना है।

» **अनुच्छेद 16(4)- सरकारी नौकरियों में आरक्षण:** अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण देने की अनुमति देता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ संवैधानिक रूप से पहचाने गए पिछड़े वर्ग से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति की पूर्व सामाजिक पहचान से प्राप्त होने वाला हस्तांतरणीय अधिकार है।

» **अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 366(24)- अनुसूचित जातियों की पहचान:** अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाता है। वहीं, अनुच्छेद 366(24) अनुसूचित जातियों को उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित किया गया है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 के अनुसार, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस प्रकार इस आदेश के अंतर्गत इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।

निर्णय के अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू:

- **जमात की भूमिका और राज्य की जिम्मेदारी:** तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया था कि संबंधित मुस्लिम धार्मिक संस्था (जमात) धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की समुदाय संबंधी पहचान प्रमाणित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमात धर्म परिवर्तन की पुष्टि कर सकती है, लेकिन केवल उसके प्रमाणपत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से पिछड़ा वर्ग का सदस्य घोषित नहीं किया जा सकता। यह जिम्मेदारी संबंधित सरकारी प्राधिकरण की है।
- **पुनः धर्म परिवर्तन की स्थिति:** न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पुनः हिंदू धर्म अपनाता है, तो उसे केवल पूर्व जातिगत पहचान के आधार पर आरक्षण का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। सक्षम प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि उसकी मूल जातिगत पहचान वास्तव में पुनः स्थापित हुई है या नहीं।
- **विशेषज्ञ आयोग की सिफारिश:** न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश महत्त्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों की सिफारिश अपने आप में कानून नहीं होती। कोई भी सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के अनुरूप होना चाहिए तथा न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा।

निर्णय का व्यापक महत्त्व:

- यह निर्णय भारतीय आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक पहचान और संवैधानिक पात्रता के महत्त्व को स्पष्ट करता है। इसका प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

» **आरक्षण की पात्रता में स्पष्टता:** यह फैसला बताता है कि केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी अधिसूचित पिछड़े समुदाय की सदस्यता प्राप्त नहीं की जा सकती। इससे आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने में सामाजिक और कानूनी मानदंडों का महत्त्व बढ़ता है।

» **सकारात्मक कार्रवाई की संवैधानिक प्रकृति:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने का संवैधानिक साधन है।

» **धर्म और सामाजिक पहचान के संबंध पर विमर्श:** यह फैसला धार्मिक पहचान और सामाजिक संरचना के बीच अंतर को सामने लाता है। साथ ही, यह स्वीकार करता है कि भारतीय मुस्लिम समाज में भी कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना करते रहे हैं।

» **राज्य की जवाबदेही:** सरकारें सामाजिक न्याय के उद्देश्य से नीतियाँ बना सकती हैं, लेकिन ऐसी नीतियों का आधार

संवैधानिक प्रावधान, विश्वसनीय सामाजिक आँकड़े और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि यह फैसला आरक्षण की कानूनी पात्रता को स्पष्ट करता है, लेकिन इससे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ तत्काल समाप्त नहीं हो जातीं। यदि कोई व्यक्ति पहले जातिगत भेदभाव, गरीबी और शैक्षणिक वंचना का सामना कर चुका है, तो धर्म परिवर्तन के बाद भी इनका प्रभाव उसके जीवन पर बना रह सकता है। ऐसे में केवल धार्मिक पहचान को आधार बनाकर सामाजिक पिछड़ेपन का आकलन करना पर्याप्त नहीं हो सकता।
- भारतीय मुस्लिम समाज में मौजूद जाति-सदृश सामाजिक विभाजनों और ऐतिहासिक वंचना की पहचान आवश्यक है। सामाजिक वास्तविकताओं को केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता।
- धर्म परिवर्तन और पुनः धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। यदि प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होंगे, तो पात्र व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म से जोड़ने वाले संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के प्रावधान पर भी लंबे समय से बहस होती रही है। इसलिए सामाजिक न्याय और समानता के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप इस विषय पर निरंतर संवैधानिक विमर्श आवश्यक है।

आगे की राह:

- इस विषय में सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
 - » **वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण:** विभिन्न धार्मिक समुदायों में शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक प्रतिनिधित्व से संबंधित आँकड़े एकत्र किए जाने चाहिए, ताकि वास्तविक पिछड़ेपन की पहचान हो सके।
 - » **धर्म से परे वंचना का आकलन:** आरक्षण संबंधी नीतियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ ऐतिहासिक वंचना और प्रतिनिधित्व की स्थिति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।
 - » **स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश:** धर्म परिवर्तन और पुनः धर्म परिवर्तन के मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध होनी चाहिए।
 - » **संस्थागत जवाबदेही:** पिछड़ा वर्ग आयोगों की सिफारिशों को विश्वसनीय आँकड़ों और संवैधानिक मानदंडों पर आधारित किया जाना चाहिए।
 - » **न्यायिक निगरानी:** आरक्षण संबंधी सरकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रभावी बनी रहनी चाहिए।

निष्कर्ष:

- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आरक्षण का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक असमानताओं को दूर करना और वंचित समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ निर्धारित संवैधानिक एवं कानूनी मानदंडों के आधार पर दिया जाए।
- हालाँकि, धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः भारत की आरक्षण व्यवस्था को धार्मिक पहचान के साथ-साथ सामाजिक वास्तविकताओं, ऐतिहासिक वंचना और प्रतिनिधित्व के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। अंततः सामाजिक न्याय की सफलता इसी में है कि संविधान के समानता के सिद्धांत और वंचित वर्गों के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

CAPF: IPS डेपुटेशन बनाम कैडर अधिकारी

संदर्भ:

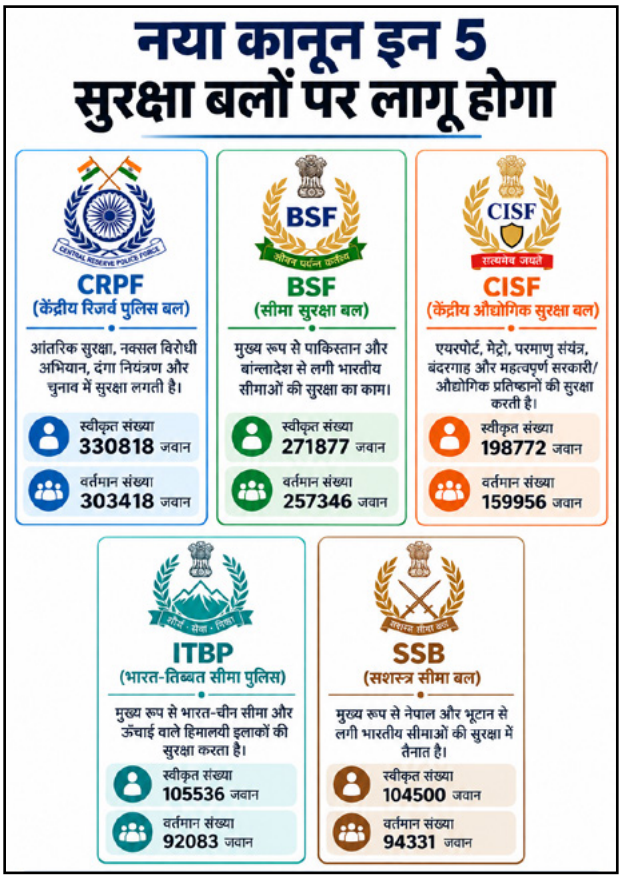
हाल ही में, भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर आए आईपीएस या संबंधित बलों में पदोन्नति पाए अधिकारी, को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। यह मुद्दा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को चुनौती दिए जाने के बाद फिर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गया है। यह कानून वरिष्ठ स्तरों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने का प्रावधान करता है।

CAPFs क्या हैं?

- नए कानून के अंतर्गत आने वाले पाँच CAPFs हैं:
 - » **CRPF –** आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद-रोधी अभियान।
 - » **BSF –** पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा।
 - » **CISF –** महत्वपूर्ण अवसंरचना, हवाई अड्डों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
 - » **ITBP –** भारत-चीन सीमा की सुरक्षा।
 - » **SSB –** भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा।
- इनके ग्रुप A कार्यकारी अधिकारियों की सामान्यतः सहायक कमांडेंट (Assistant Commandants) के रूप में भर्ती होती है और वे पदानुक्रम में आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ कमान पदों तक पहुँच सकते हैं।

मुख्य विवाद क्या है?

- CAPF कैडर अधिकारियों की मुख्य शिकायत करियर में ठहराव (Career Stagnation) को लेकर है। वरिष्ठ पदों को परंपरागत रूप से आंशिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों, विशेष रूप से आईपीएस अधिकारियों, द्वारा भरा जाता रहा है।
- 2026 के कानून से पहले, भर्ती नियमों के तहत डीआईजी के 20% पद और आईजी के 50% पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान था। CAPF अधिकारी तर्क देते हैं कि इससे उन अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर संबंधित बलों में बिताया है।
- लगभग 18,000 CAPF अधिकारी शुरू में बेहतर करियर प्रगति और CAPFs को संगठित समूह A सेवाओं (OGAS) के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर नामांकन में शामिल हुए थे।



सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय:

- संजय प्रकाश बनाम भारत संघ (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कैडर से संबंधित उद्देश्यों के लिए CAPFs को OGAS के रूप में मान्यता दी और सरकार को छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा (Cadre Review) करने का निर्देश दिया।
- सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों को अधिकतम दो वर्ष की समय-सीमा के भीतर धीरे-धीरे कम किया जाए। इसका उद्देश्य परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और करियर में गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित करना तथा CAPF अधिकारियों में करियर ठहराव को दूर करना था।

2026 का CAPF अधिनियम क्या प्रावधान करता है?

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026

पाँचों CAPFs में ग्रुप A अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है।

- इस अधिनियम में प्रावधान है:
 - » IG के 50% पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से;
 - » ADG के कम से कम 67% पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से;
 - » सभी DG और Special DG पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से।

CAPF के पूर्व अधिकारी इसका विरोध क्यों करते हैं?

- **करियर में ठहराव:** प्रतिनियुक्ति से बल के भीतर कार्यरत अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं।
- **संस्थागत विशेषज्ञता:** बलों के अनुभवी अधिकारियों के पास सीमा प्रबंधन, उग्रवाद-रोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा और परिचालन कमान का दशकों का विशेष अनुभव होता है।
- **मनोबल:** पदोन्नति में देरी और शीर्ष पदों तक पहुँचने के सीमित अवसर संगठनात्मक मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- **संगठनात्मक स्वामित्व:** अधिकारियों का तर्क है कि जिन लोगों ने अपना पूरा करियर किसी बल में सेवा करते हुए बिताया है, उन्हें उस बल का नेतृत्व करने का सार्थक अवसर मिलना चाहिए।
- 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रतिनियुक्ति को कम करने से प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में CAPF कैडर अधिकारियों की भागीदारी बढ़ेगी।

सरकार IPS प्रतिनियुक्ति का समर्थन क्यों करती है?

- सरकार का तर्क है कि CAPFs अक्सर राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए IPS अधिकारी केंद्रीय और राज्य पुलिस संस्थानों के बीच संस्थागत समन्वय प्रदान कर सकते हैं।
- केंद्र ने यह भी कहा है कि CAPFs की परिचालन आवश्यकताएँ विशिष्ट हैं और उन्हें सामान्य नागरिक ग्रुप A सेवाओं की तरह नहीं माना जा सकता। IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को केंद्र-राज्य समन्वय, आंतरिक सुरक्षा अभियानों और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है।

निष्कर्ष:

IPS-CAPF विवाद केवल वरिष्ठ पदों को लेकर मतभेद नहीं है। यह परिचालन दक्षता, संस्थागत विशेषज्ञता, करियर प्रगति और संगठनात्मक मनोबल के बीच संतुलन स्थापित करने की व्यापक चुनौती को दर्शाता है। भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें IPS अधिकारी और CAPF के अनुभवी अधिकारी एक-दूसरे की क्षमताओं के पूरक बनें, साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे CAPF अधिकारियों को कमान के सर्वोच्च स्तरों तक पहुँचने का निष्पक्ष और विश्वसनीय अवसर मिले।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047

संदर्भ:

11 अक्टूबर 2026 को इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति–विजन 2047 (Draft National Steel Policy – Vision 2047) का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। इस मसौदे पर सुझाव देने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत के इस्पात क्षेत्र के विकास, कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी आधुनिकीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करना है।

पृष्ठभूमि: भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति की आवश्यकता

- भारत ने वर्ष 2018 में विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश का स्थान प्राप्त किया और इसे बनाए रखा है। वर्ष 2025–26 में देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन लगभग 168.4 मिलियन टन तथा तैयार इस्पात की खपत 163.7 मिलियन टन रही।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वर्ष 2030–31 तक कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 300 मिलियन टन और उत्पादन 255 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोमोटिव, विद्युत और विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन तथा कोकिंग कोयले पर आयात निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया था।
- हालाँकि, पिछले दशक में भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता और घरेलू माँग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, हरित इस्पात, ऊर्जा दक्षता और वैश्विक व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी नई चुनौतियों ने वर्ष 2047 तक के लिए एक नई नीति की आवश्यकता पैदा की है।

प्रस्तावित नीति के प्रमुख लक्ष्य:

- **इस्पात उत्पादन क्षमता:** वर्तमान लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 604 मिलियन टन प्रतिवर्ष।
- **तैयार इस्पात की माँग:** वित्त वर्ष 2025-26 के 164 मिलियन टन से बढ़कर 505 मिलियन टन।
- **प्रति व्यक्ति खपत:** 116 किलोग्राम से बढ़कर 302 किलोग्राम।
- **निर्यात:** 2047 तक तैयार इस्पात का निर्यात 45 मिलियन टन तक पहुँचाना।

- **उत्सर्जन तीव्रता:** प्रति टन कच्चे इस्पात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2.54 टन से घटाकर लगभग 1.54 टन करना।
- यह प्रस्ताव वर्ष 2017 की राष्ट्रीय इस्पात नीति का स्थान लेगा, जिसमें 2030-31 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया था।



प्रमुख चुनौती:

- इस्पात उत्पादन की कुल लागत में कच्चे माल का हिस्सा लगभग 65–70% है। भारत लौह अयस्क के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है, लेकिन अपनी कोकिंग कोयले की लगभग 92% आवश्यकता आयात से पूरी करता है।
- कोकिंग कोयला पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में कोक बनाने के लिए आवश्यक है, जो ईंधन के साथ लौह अयस्क से ऑक्सीजन हटाने में भी सहायक होता है।
- नीति में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:
 - » घरेलू कोयला खदानों और कोयला धुलाई संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना।
 - » ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों से आयात के अतिरिक्त स्रोत विकसित करना।
 - » विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों में निवेश तथा दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते करना।
 - » लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन विकसित करना।
 - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से कोयले के मिश्रण और आयात की निगरानी को बेहतर बनाना।
- इसके अतिरिक्त, लौह अयस्क की माँग 2047 तक बढ़कर 772 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की उपलब्धता भी महत्त्वपूर्ण होगी।

पर्यावरणीय चुनौतियाँ एवं हरित इस्पात:

- इस्पात उद्योग ऊर्जा-प्रधान होने के कारण कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। प्रस्तावित नीति में उत्सर्जन तीव्रता को 2047 तक लगभग 39% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चार प्रमुख उपाय महत्त्वपूर्ण हैं:
 - » ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना।
 - » स्क्रैप आधारित इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
 - » हरित हाइड्रोजन आधारित प्रत्यक्ष अपचयन लौह (DRI) तकनीक अपनाना।
 - » कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) जैसी तकनीकों का विकास करना।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व:

- इस्पात सड़क, रेलवे, आवास, रक्षा, मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों का प्रमुख आधार है। उत्पादन क्षमता बढ़ने से रोजगार, औद्योगिक निवेश, निर्यात और घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, विशेष इस्पात के स्वदेशी उत्पादन से उच्च तकनीक वाले आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय इस्पात नीति—विजन 2047 भारत को वैश्विक इस्पात विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसकी सफलता केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीकी आधुनिकीकरण, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी निर्भर करेगी। अतः भारत को प्रतिस्पर्धी, संसाधन-कुशल और कम-कार्बन

इस्पात उद्योग विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

छह राज्यों को मिले नए राज्यपाल

संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों की घोषणा की। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरलम स्थानांतरित किया गया। कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड और सिक्किम में भी चार नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। ये नियुक्तियाँ उस तिथि से प्रभावी होंगी, जिस दिन संबंधित नियुक्त व्यक्ति पदभार ग्रहण करेंगे।

नए राज्यपालों की सूची:

राज्य	नियुक्त राज्यपाल
तमिलनाडु	राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
केरलम (केरल)	ओम प्रकाश माथुर
कर्नाटक	डॉ. सुधा यादव
ओडिशा	ब्रज मोहन राम
उत्तराखंड	डॉ. धल सिंह बिसेन
सिक्किम	दुष्यंत गौतम

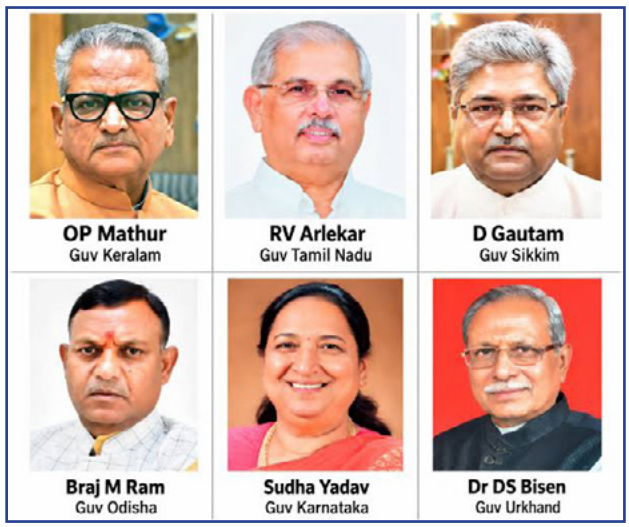
पृष्ठभूमि:

- राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मार्च 2026 से केरलम के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे और तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। नवीनतम नियुक्ति के बाद उन्हें तमिलनाडु की पूर्णकालिक जिम्मेदारी मिल गई है।
- ओम प्रकाश माथुर, जिन्होंने जुलाई 2024 में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, केरलम में आर्लेकर का स्थान लेंगे। अन्य चार नियुक्तियों के माध्यम से संबंधित राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के भाग VI के अंतर्गत शासित होता है।

- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 155:** राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है।
- **अनुच्छेद 156:** राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और सामान्यतः उसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।
- **अनुच्छेद 157:** राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है।
- **अनुच्छेद 158:** राज्यपाल के पद की शर्तों को निर्धारित करता है, जिसमें लाभ का अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध भी शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 163:** मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता देता है।
- **अनुच्छेद 200:** राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के विकल्पों से संबंधित है।



राज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियाँ:

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है; राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है; तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार

विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं के भीतर कुछ न्यायिक, विधायी और विवेकाधीन कार्य भी करता है।

निष्कर्ष:

छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भारत के संवैधानिक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल का पद संवैधानिक शासन की रक्षा करता है, लेकिन इसका कामकाज लोकतांत्रिक जवाबदेही, सहकारी संघवाद और संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026

संदर्भ:

हाल ही में, 1 अक्टूबर 2026 से बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 लागू हो गया है, जो औपनिवेशिक दौर के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 का स्थान लेता है। नया कानून न्यायिक कार्यवाही में बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता और प्रमाण से संबंधित कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाता है। इसमें डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक वित्तीय प्रणालियों को ध्यान में रखा गया है।

पृष्ठभूमि:

- पहला बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 उस समय बनाया गया था, जब बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्य रूप से भौतिक पुस्तकों और लेजर में रखे जाते थे। समय के साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी बदलाव हुए हैं और अब लेन-देन तेजी से कोर बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल भुगतान और कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के माध्यम से किए जाते हैं।
- 2026 का कानून इन बदलावों के अनुरूप साक्ष्य संबंधी कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने और उन्नीसवीं सदी की बैंकिंग व्यवस्था के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने का प्रयास करता है।

बैंकर्स बुक्स क्या हैं?

- बैंकर्स बुक्स से सामान्यतः आशय उन रिकॉर्ड से है, जिन्हें बैंक अपने नियमित व्यवसाय के दौरान बनाए रखते हैं। इनमें लेजर, खाता विवरण, लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य बैंकिंग रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं।
- ऐसे रिकॉर्ड वित्तीय विवाद, धोखाधड़ी, ऋण वसूली, कराधान, वाणिज्यिक लेन-देन और आपराधिक जांच से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।

नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:

- बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 न्यायालयों और अन्य न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसका ढाँचा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप से रखे गए बैंकिंग रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, जो कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणालियों के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
- बैंकिंग रिकॉर्ड के आधुनिक स्वरूपों को मान्यता देने से न्यायालयों में पारंपरिक भौतिक पुस्तकों को प्रस्तुत करने से जुड़ी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। साथ ही, यह प्रमाणित बैंकिंग रिकॉर्ड के उपयोग को आसान बनाने का प्रयास करता है, जबकि उनके साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय होने से जुड़े सुरक्षा उपायों को भी बनाए रखता है।



नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- 1891 का कानून ऐसी बैंकिंग व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसमें भौतिक रजिस्टर और कागज आधारित लेखांकन प्रमुख थे। इसके विपरीत, आधुनिक बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार होने वाले डेटा की मात्रा बहुत अधिक है।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, कार्ड और स्वचालित बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से होने वाले डिजिटल लेन-देन ने वित्तीय रिकॉर्ड के निर्माण और भंडारण के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आधुनिक साक्ष्य कानून तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखें।

महत्त्व:

- नया कानून डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड के उपयोग को आसान बनाकर न्यायिक कार्यवाही को अधिक तेज और प्रभावी बनाने में योगदान दे सकता है। यह विशेष रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है, जहाँ वित्तीय लेन-देन तेजी से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं।
- यह बैंकिंग धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय विवाद और साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों की जांच और न्यायिक निर्णय में भी सहायता कर सकता है, हालांकि यह संबंधित कानूनों और साक्ष्य संबंधी प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अधीन होगा।

चुनौतियाँ:

- डिजिटल रिकॉर्ड पर बढ़ती निर्भरता से प्रमाणीकरण, डेटा की अखंडता, साइबर सुरक्षा, निजता और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
- न्यायालयों और जांच एजेंसियों के पास यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता होना आवश्यक है कि डिजिटल रिकॉर्ड वास्तविक हैं और उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

निष्कर्ष:

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 भारत की साक्ष्य संबंधी कानूनी व्यवस्था को डिजिटल बैंकिंग युग के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1891 में बनाए गए कानून को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड के अनुकूल आधुनिक कानूनी ढाँचे से बदलकर यह वित्तीय क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलाव और न्याय व्यवस्था की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR)

संदर्भ:

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी चुनावों से पहले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की। इस पुनरीक्षण में 1 जनवरी, 2027 को अर्हक तिथि के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह घोषणा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी बहस के बीच की गई है।



विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) क्या है?

- विशेष सारांश पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा संचालित मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियाँ सटीक, पूर्ण और अद्यतन रहें।
- इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
 - » उन नागरिकों का पंजीकरण करना, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और मतदाता पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
 - » मौजूदा निर्वाचन अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारना।
 - » उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दोहरी प्रविष्टियों तथा मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना।
 - » दावों और आपत्तियों के माध्यम से जनभागीदारी को सुगम

बनाना।

- इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन, प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन तथा नागरिकों को सुधार के लिए आवेदन करने के अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है।

निर्वाचन आयोग की घोषणा का क्या अर्थ है?

- SSR में निम्नलिखित 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
- घोषित प्रमुख तिथियाँ निम्नलिखित हैं:
 - **12 नवंबर, 2026:** प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन।
 - **11 दिसंबर, 2026:** दावों और आपत्तियों की अंतिम तिथि।
 - **4 जनवरी, 2027:** अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन।
- अर्हक तिथि यह निर्धारित करती है कि कोई नागरिक मतदाता पंजीकरण के लिए आयु संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं। पात्र नागरिक अपना नाम शामिल कराने, विवरण में सुधार कराने या अपना मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

SSR और SIR के बीच अंतर:

आधार	विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR)	विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
प्रकृति	मौजूदा मतदाता सूचियों का आवधिक अद्यतन	व्यापक गणना और सत्यापन
मौजूदा मतदाता	नाम सामान्यतः प्रारूप मतदाता सूची में यथावत रखे जाते हैं	मौजूदा मतदाताओं के लिए गणना प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होता है
दस्तावेज़ीकरण	प्रत्येक मौजूदा मतदाता के लिए नए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की कोई सार्वभौमिक अनिवार्यता नहीं	लागू प्रक्रियाओं के अंतर्गत अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है
मुख्य उद्देश्य	अभिलेखों को अद्यतन करना और त्रुटियों को सुधारना	मतदाता सूचियों का अधिक व्यापक पुनरीक्षण करना
प्रक्रिया	दावे, आपत्तियाँ और सत्यापन	गहन गणना, सत्यापन और जाँच

मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रपत्र:

- **प्रपत्र 6:** नए मतदाता को शामिल करने के लिए आवेदन।
- **प्रपत्र 7:** किसी प्रविष्टि को हटाने या किसी प्रविष्टि को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन।
- **प्रपत्र 8:** मतदाता सूची के विवरण में सुधार या निवास स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन।
- ये प्रपत्र मतदाता अभिलेखों को सटीक बनाए रखने में सहायता करते हैं।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा:

- **अनुच्छेद 324:** निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950:** मतदाता सूचियों के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960:** मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

निष्कर्ष:

विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) दोनों का साझा उद्देश्य विश्वसनीय मतदाता सूचियों को बनाए रखना है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली और गहनता में अंतर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और भारतीय लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पारदर्शी, समावेशी और कानून के अनुरूप होना आवश्यक है।

चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी नागरिक,

जिनमें मतदाता भी शामिल हैं, चुनावी हलफनामों में कथित रूप से गलत जानकारी देने या अनिवार्य जानकारी छिपाने के मामले में उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 195, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 125A के तहत आने वाले अपराधों के लिए निजी शिकायत दर्ज करने पर रोक नहीं लगाती है।

पृष्ठभूमि:

- **चुनावी हलफनामे:** उम्मीदवारों के लिए अपने नामांकन पत्रों और हलफनामों में निर्धारित जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है, ताकि मतदाता सोच-समझकर चुनावी निर्णय ले सकें।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A:** इसे वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। यह प्रावधान तब दंड का प्रावधान करता है, जब कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत घोषणा करता है या निर्धारित जानकारी के खुलासे से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 195:** यह प्रावधान कुछ निर्दिष्ट अपराधों के मामलों में न्यायालयों को तब तक संज्ञान लेने से रोकता है, जब तक कि अधिकृत लोक सेवक या न्यायालय द्वारा शिकायत दर्ज न की जाए। कानूनी विवाद इस बात को लेकर था कि क्या यह प्रतिबंध धारा 125A के तहत आने वाले अपराधों पर भी लागू होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- **निजी शिकायतें स्वीकार्य हैं:** कोई मतदाता या अन्य निजी व्यक्ति धारा 125A के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।
- **धारा 195 ऐसी शिकायतों पर रोक नहीं लगाती:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 125A को धारा 195 के संबंधित प्रतिबंधों के अंतर्गत आने वाले अपराधों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इस चूक को जानबूझकर किया गया माना गया।
- **निर्वाचन आयोग ही एकमात्र माध्यम नहीं है:** धारा 125A के तहत शिकायत शुरू करने के लिए केवल निर्वाचन आयोग या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध न्यायालयों के पास सुरक्षा उपाय हैं:** मजिस्ट्रेट निराधार शिकायतों या निर्वाचित प्रतिनिधियों को परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाहियों से उचित तरीके से निपट सकते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण अंतर:** यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने निजी शिकायतों की स्वीकार्यता के संबंध में उच्च न्यायालय के तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन उसने बेलडेल के विरुद्ध शिकायत को बहाल नहीं किया। न्यायालय ने पाया कि विशिष्ट आरोप का प्रथम दृष्टया दस्तावेजों के माध्यम से खंडन किया जा चुका था और दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही थी।



भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्त्व:

- **चुनावी जवाबदेही में वृद्धि:** अनिवार्य जानकारी के खुलासे से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों के विरुद्ध निजी आपराधिक शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
- **नागरिकों की भागीदारी:** मतदाताओं को गलत या छिपाई गई जानकारी के संबंध में चिंता व्यक्त करने के लिए एक अतिरिक्त कानूनी माध्यम प्राप्त होता है।
- **चुनावों में पारदर्शिता:** यह निर्णय सूचित चुनावी निर्णय लेने को बढ़ावा देने में सटीक हलफनामों के महत्त्व को मजबूत करता है।
- **संस्थागत जवाबदेही:** यह चुनाव कानून, आपराधिक प्रक्रिया और

न्यायिक व्याख्या के बीच संबंध को स्पष्ट करता है।

- **निवारक प्रभाव:** मुकदमा चलाए जाने की संभावना उम्मीदवारों को जानकारी के खुलासे से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय चुनावी हलफनामों में कथित रूप से गलत जानकारी देने के विरुद्ध नागरिकों की कानूनी उपायों तक पहुँच को मजबूत करता है। यह स्पष्ट करके कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत निजी शिकायतों पर CrPC की धारा 195 द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, यह निर्णय चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में मतदाताओं के सूचना के अधिकार और आपराधिक कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने वाले सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

खेलो इंडिया खेल सामग्री निर्माण योजना 2026

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026–27 से 2033–34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य निवेश, नवाचार, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात को बढ़ावा देकर भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। यह योजना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, खेलो भारत नीति 2025 और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के उद्देश्यों के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में खेल सामग्री का एक बड़ा घरेलू बाजार है। इसके साथ ही, देश में स्थापित विनिर्माण केंद्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) भी मौजूद हैं। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उन्नत विनिर्माण तकनीक, अनुसंधान क्षमताओं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन और मजबूत निर्यात नेटवर्क की आवश्यकता है।
- इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक विनिर्माण से आगे बढ़कर एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसमें डिजाइन, अनुसंधान, उत्पादन, परीक्षण, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय विपणन शामिल हों।

प्रमुख विशेषताएँ और वित्तीय आवंटन:

- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं: विनिर्माण प्रोत्साहन और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। एंकर निवेश सहायता (Anchor Investment Support) और टर्नओवर-आधारित सहायता (Turnover Linked Support) के लिए कुल 1,130 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- कम-से-कम 100 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले एंकर निवेशकों को पूंजीगत व्यय पर 20% तक सहायता मिल सकती है, जबकि कम-से-कम 10 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले पात्र विनिर्माताओं को टर्नओवर-आधारित 15% तक प्रोत्साहन मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन प्राप्त करने और उसका नवीनीकरण कराने के लिए अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।



खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्रों का विकास:

- इस योजना के अंतर्गत समर्पित खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (SGMZs) विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत संभावित रूप से 300 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले चार एकीकृत विनिर्माण क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, डिजाइन केंद्रों और सहायक उद्यमों को एक साथ लाया जाएगा।
- इनका विकास भाव्या योजना (BHAVYA Scheme) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) के औद्योगिक पार्कों के साथ समन्वय के माध्यम से किया जाएगा। इससे बुनियादी ढाँचे से जुड़ी बाधाएँ कम होंगी और आपूर्ति श्रृंखलाएँ मजबूत होंगी।

MSMEs और मौजूदा विनिर्माण केंद्रों को मजबूत बनाना:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) खेल सामग्री के कुल उत्पादन में लगभग 90% योगदान देते हैं। पंजाब में जालंधर और उत्तर प्रदेश में मेरठ जैसे स्थापित विनिर्माण केंद्र इस क्षेत्र को पहले से ही औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने और छोटे उद्यमों को समर्थन देने के लिए विनिर्माण केंद्रों का उन्नयन, साझा सुविधाओं का विकास और सामूहिक बुनियादी ढाँचे में सुधार प्रस्तावित है।

अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास:

- यह योजना प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित करने को बढ़ावा देती है। इन केंद्रों में खेल उपकरणों, पदार्थ विज्ञान, सुरक्षा उपकरणों और उन्नत विनिर्माण तकनीकों से संबंधित अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation) के माध्यम से अनुसंधान सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- DPIIT में पंजीकृत पात्र खेल स्टार्टअप को नवाचारी उत्पादों के विकास, परीक्षण और व्यावसायीकरण के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा उद्योग जगत के हितधारकों के सहयोग से संचालित की जाएँगी।

महत्त्व:

- यह योजना घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाकर, आयात पर निर्भरता कम करके और निजी निवेश आकर्षित करके मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकती है। इससे विशेष रूप से MSME केंद्रों में विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, डिजाइन और परीक्षण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- यह योजना गुणवत्तापूर्ण खेल उपकरणों तक पहुँच बढ़ाने और भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और खेलो भारत नीति 2025 की भी पूरक होगी।

निष्कर्ष:

खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना का उद्देश्य खेल विकास को विनिर्माण-आधारित आर्थिक विकास से जोड़ना है। निवेश, अनुसंधान, कौशल, गुणवत्ता आश्वासन और निर्यात संवर्धन को एकीकृत करके यह योजना भारत में प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री उद्योग विकसित करने तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के व्यापक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना

संदर्भ:

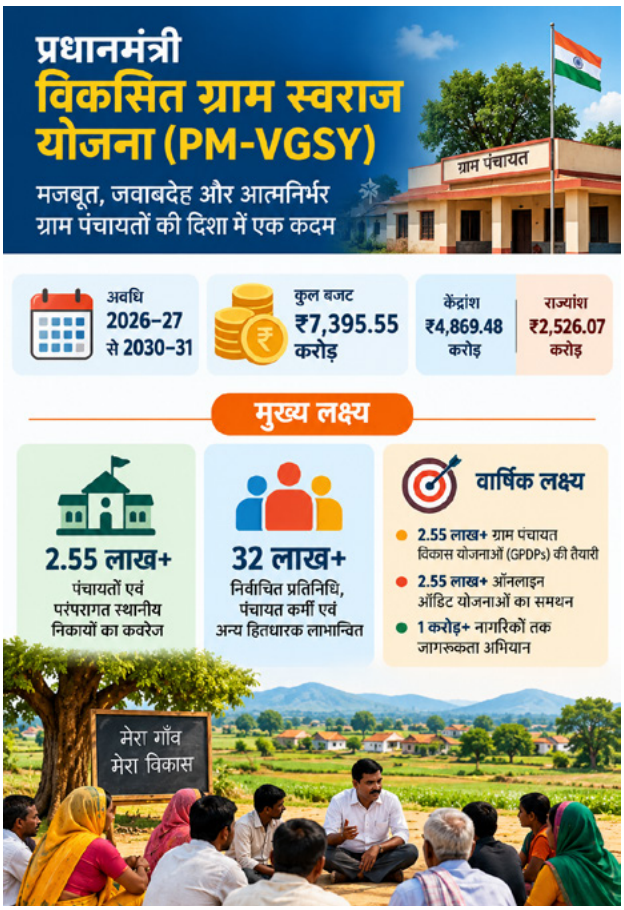
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना, पंचायत स्तर पर नियोजन में सुधार करना तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त, जवाबदेह और आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। इसका लक्ष्य 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को शामिल करना तथा लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को लाभ पहुँचाना है।
- इसके वार्षिक लक्ष्यों में 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDPs) तैयार करना, कम-से-कम 2.55 लाख ऑनलाइन लेखापरीक्षा योजनाओं को समर्थन देना और प्रत्येक जागरूकता अभियान के अंतर्गत कम-से-कम एक करोड़ नागरिकों

को जागरूक करना शामिल है।

- इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें उन क्षेत्रों के पात्र पारंपरिक ग्रामीण स्थानीय निकाय भी शामिल हैं, जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है।



पृष्ठभूमि:

- ग्रामीण स्थानीय निकायों को अक्सर अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, विकास योजनाओं के बीच समन्वय की कमी, राजस्व जुटाने के सीमित साधनों और कमजोर वित्तीय जवाबदेही जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) का उद्देश्य एकीकृत नियोजन, डिजिटल शासन, क्षमता निर्माण और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना है। यह योजना नियोजन के लिए ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) और वित्तीय जवाबदेही के लिए ऑडिटऑनलाइन (AuditOnline) जैसे मंचों को मजबूत करेगी।

संवैधानिक पहलू:

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 ऐसे विषय शामिल हैं, जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में शामिल अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायतों को शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ सौंपने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों के गठन का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 280(3)(bb) पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 243ZD जिला नियोजन समितियों के गठन का प्रावधान करता है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती हैं। इस प्रकार, PM-VGSY विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत कर सकती है, हालाँकि शक्तियों का प्रभावी हस्तांतरण काफी हद तक राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है।

योजना का महत्त्व:

- यह योजना निर्णय लेने की प्रक्रिया को नागरिकों के करीब लाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को गहरा कर सकती है। साथ ही, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकती है।
- एकीकृत नियोजन से ग्रामीण सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हो सकता है और विकास व्यय के दोहराव को कम किया जा सकता है। डिजिटल लेखांकन और ऑनलाइन लेखापरीक्षा से पारदर्शिता मजबूत हो सकती है, जबकि क्षमता निर्माण पंचायतों की सार्वजनिक धनराशि का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता में सुधार कर सकता है।
- यह योजना स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित ग्राम-स्तरीय पहलों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण में भी सहयोग कर सकती है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) संवैधानिक

मान्यता और जमीनी स्तर पर प्रभावी स्वशासन के बीच के अंतर को पाटने में सहायता कर सकती है। समावेशी ग्रामीण विकास और विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सशक्त पंचायतें, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था, सहभागी नियोजन और वास्तविक विकेंद्रीकरण आवश्यक हैं।

डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में, 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि संस्थागत लापरवाही या उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी हुई है, तो वित्तीय संस्थान पीड़ितों को पूरी तरह मुआवजा देंगी। न्यायालय ने बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए बैंकिंग सुरक्षा उपायों, जवाबदेही और नियामक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

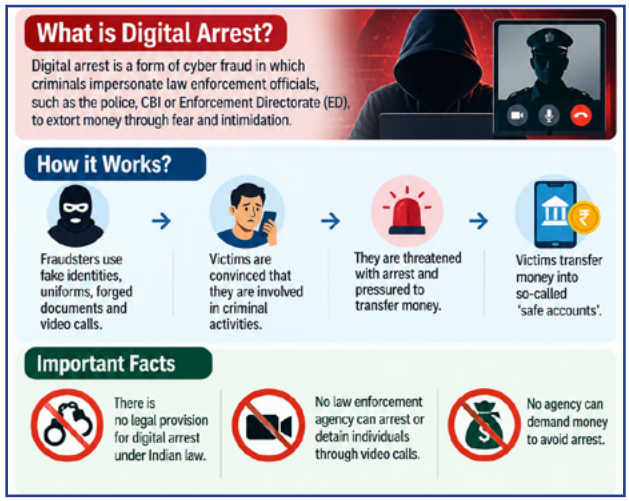
डिजिटल अरेस्ट क्या है?

- डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक रूप है, जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण कर भय और धमकी के माध्यम से लोगों से धन की उगाही करते हैं।
- धोखेबाज नकली पहचान, वर्दी, जाली दस्तावेजों और वीडियो कॉल का उपयोग करके पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं।
- पीड़ितों को गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और तथाकथित सुरक्षित खातों (Safe Accounts) में धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकती और न ही गिरफ्तारी से बचने के लिए धन की मांग कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ:

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

- **वित्तीय जवाबदेही (Financial Accountability):** यदि उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण साइबर धोखाधड़ी होती है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पीड़ितों को पूरा मुआवजा देना चाहिए।
- **संदिग्ध लेन-देन (Suspicious Transactions):** बैंकों को ऐसे असामान्य लेन-देन की पहचान करनी चाहिए, जो ग्राहकों के सामान्य लेन-देन के पैटर्न से अलग हों। सत्यापन के लिए ऐसे लेन-देन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिए।
- **स्वचालित अलर्ट (Automated Alerts):** संदिग्ध लेन-देन होने पर पुलिस अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भेजे जाने चाहिए।
- **भौतिक सत्यापन (Physical Verification):** संदिग्ध लेन-देन की वास्तविकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उचित भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
- **नियामक निगरानी (Regulatory Oversight):** न्यायालय ने प्रस्तावित RBI (KYC) संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करने की आवश्यकता पर विचार किया।
- **राज्यों की जवाबदेही (State Accountability):** राज्यों को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज FIR, जांच और अभियोजन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।



डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का पैमाना:

- चालू वर्ष के दौरान डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के कारण कथित तौर पर ₹800 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
- पिछले वर्ष इस प्रकार की धोखाधड़ी से लगभग ₹3,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।
- सरकार के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल अरेस्ट के

मामलों में 50% की कमी आई है।

- धनराशि की वापसी के लिए 11 लाख से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।



संस्थागत एवं कानूनी उपाय:

संस्थान/तंत्र	भूमिका
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)	साइबर अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
RBI	वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग सुरक्षा उपायों का विनियमन करना।
CERT-In	साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना।
हेल्पलाइन 1930	वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करना।
राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (National Cyber Crime Portal)	ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- नागरिकों में डिजिटल और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता की कमी।
- गिरफ्तारी के भय के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दबाव और हेरफेर।
- चोरी की गई धनराशि के हस्तांतरण के लिए म्यूल बैंक खातों (Mule Bank Accounts) का दुरुपयोग।
- संस्थागत जवाबदेही की कमजोरी और धनराशि की वापसी में देरी।
- सीमा पार सक्रिय साइबर अपराध नेटवर्क और उनकी बढ़ती तकनीकी दक्षता।

आगे की राह:

- RBI के नियमों को मजबूत करना और मुआवजे के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित करना।
- संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान के लिए AI-आधारित प्रणालियों का उपयोग करना।
- KYC सत्यापन और म्यूल बैंक खातों की निगरानी को बेहतर बनाना।
- बैंकों, पुलिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच समन्वय को मजबूत करना।
- शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना।
- सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।

निष्कर्ष:

डिजिटल अरेस्ट भारत के डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है कि साइबर सुरक्षा केवल नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। वित्तीय संस्थानों, नियामक प्राधिकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी अपनी जवाबदेही साझा करनी होगी। एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए तकनीकी सुरक्षा उपायों, प्रभावी विनियमन, संस्थागत जवाबदेही और जन-जागरूकता का समन्वय आवश्यक है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA): हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की आर्थिक एवं रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में 20 अक्टूबर 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement–FTA) लागू हो गया। इस समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पेशेवरों की आवाजाही को नई दिशा देने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करने की क्षमता रखता है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए (FTA) की पृष्ठभूमि:

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से व्यापारिक एवं राजनयिक संबंध रहे हैं, लेकिन भौगोलिक दूरी, सीमित व्यापारिक विविधता और बाजार संबंधी बाधाओं के कारण इन संबंधों की आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया था।
- इस समझौते की वार्ता मार्च 2025 में शुरू हुई थी। पाँच औपचारिक दौर की वार्ताओं और कई अन्य बैठकों के बाद 22 दिसंबर 2025 को वार्ता पूरी हुई। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा दोनों देशों की आवश्यक घरेलू प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद इसे 20 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया गया।
- यह समझौता केवल वस्तुओं के आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निवेश, सेवाएँ, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता, पारंपरिक चिकित्सा और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।



समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- **बाजार तक पहुँच और शुल्क उदारीकरण:** इस समझौते की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में व्यापक शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करना है।
 - » न्यूजीलैंड ने समझौते के लागू होने के साथ ही भारत के 100% निर्यात पर शून्य सीमा शुल्क (Zero Tariff) की सुविधा प्रदान की है।
 - » भारत ने लगभग 70.03% टैरिफ लाइनों पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश की है, जिससे मूल्य के आधार पर न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात को लाभ मिलेगा।

» भारत के वस्त्र, परिधान, चमड़ा, फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

» लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातुओं के अपशिष्ट एवं स्क्रैप जैसे औद्योगिक कच्चे माल पर शुल्क रियायत से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की लागत कम हो सकती है।

- **संवेदनशील कृषि क्षेत्रों का संरक्षण:** व्यापार उदारीकरण के साथ भारत ने अपने किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है।

» भारत ने डेयरी उत्पादों जैसे दूध, पनीर, क्रीम, दही और व्हे को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है।

» प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और कई अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है।

» न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फल और मनुका शहद के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ), न्यूनतम आयात मूल्य तथा मौसमी आयात व्यवस्था जैसे प्रावधान किए गए हैं।

» इससे भारत को घरेलू कृषि हितों की रक्षा करते हुए चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है।

- **निवेश संबंधी प्रतिबद्धता:** न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस निवेश के संभावित क्षेत्र हैं:

» विनिर्माण एवं औद्योगिक विकास।



» कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण।

» बुनियादी ढाँचा एवं लॉजिस्टिक्स।

» नवीकरणीय ऊर्जा।

» स्टार्टअप एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ।

» डिजिटल सेवाएँ एवं नवाचार।

- **सेवा क्षेत्र और पेशेवरों की आवाजाही:** समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड ने भारत को लगभग 118 सेवा उप-क्षेत्रों में बाजार तक पहुँच प्रदान की है। इसके अतिरिक्त लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured-Nation–MFN) संबंधी प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं। इसके प्रमुख प्रावधान हैं-

- » भारतीय कुशल पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा (Temporary Employment Entry Visa) का प्रावधान।
- » युवा भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा।
- » STEM विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए तीन वर्ष तक पोस्ट-स्टडी वर्क की सुविधा।
- » डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए चार वर्ष तक पोस्ट-स्टडी वर्क की सुविधा।
- » अध्ययन के दौरान पात्र अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम करने का अवसर।
- » इससे भारत के आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, पर्यटन और व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार करने का अवसर मिल सकता है।

- **फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग:**
 - » इस समझौते के अंतर्गत भारतीय फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश आसान बनाने का प्रयास किया गया है।
 - » न्यूजीलैंड द्वारा अमेरिका के एफडीए, यूरोपीय औषधि एजेंसी (EMA), ब्रिटेन की एमएचआरए और कनाडा के स्वास्थ्य प्राधिकरण जैसे विश्वसनीय नियामकों की निरीक्षण स्वीकृतियों को स्वीकार करने की व्यवस्था से दोबारा निरीक्षण और बाजार प्रवेश में लगने वाला समय कम हो सकता है।
 - » इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे भारत के आयुष क्षेत्र तथा चिकित्सा पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिल सकता है।
- **कृषि उत्पादकता साझेदारी:**
 - » समझौते के अंतर्गत कृषि उत्पादकता साझेदारी (Agriculture Productivity Partnership–APP) स्थापित की गई है।
 - » इसका उद्देश्य केवल कृषि व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि भारतीय किसानों की उत्पादकता, गुणवत्ता और आय में सुधार करना भी है।
 - » इसके अंतर्गत सेब, कीवी फल और शहद के लिए विशेष कार्ययोजनाएँ बनाई गई हैं। साथ ही बागवानी प्रबंधन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण, खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित करने का प्रावधान है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान प्रणाली में सहयोग:**
 - » समझौते में फिनटेक, डिजिटल भुगतान और भुगतान प्रणालियों की पारस्परिक अनुकूलता (Interoperability) को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया गया है।
 - » भारत की UPI प्रणाली और न्यूजीलैंड की भुगतान प्रणाली को जोड़ने की दिशा में सहयोग से दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन-देन, पर्यटन, व्यापार और वित्तीय सेवाओं को सुविधा मिल सकती है।

भारत के लिए समझौते का आर्थिक महत्त्व:

- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** शून्य सीमा शुल्क से भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इससे श्रम-प्रधान उद्योगों और निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
- **एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन:** छोटे एवं मध्यम उद्यमों को नए बाजार, व्यापारिक नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** न्यूजीलैंड से संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग से विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा एवं बुनियादी ढाँचे की उत्पादक क्षमता बढ़ सकती है।
- **सेवा क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय विस्तार:** आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और व्यावसायिक सेवाओं में भारतीय कंपनियों एवं पेशेवरों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** विकसित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होने से भारत कुछ चुनिंदा पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता कम कर सकता है।

रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक महत्त्व:

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए का महत्त्व आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति से भी जुड़ा है।

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति:** न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होने से भारत को ओशिनिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी आर्थिक एवं कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने

का अवसर मिलेगा।

- **क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं का विकास:** वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और आपूर्ति शृंखला संबंधी चुनौतियों के बीच यह समझौता वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारियों को विकसित करने में सहायक हो सकता है।
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा:** न्यूजीलैंड के बाजार में चीन को पहले से प्राथमिक व्यापारिक पहुँच प्राप्त है। ऐसे में भारतीय उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुँच मिलने से भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा का अधिक समान अवसर मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण:** भारत ने 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से अलग होने का निर्णय लिया था। इसके बाद द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से क्षेत्रीय बाजारों से जुड़ने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। न्यूजीलैंड के साथ समझौता इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

समझौते से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- इस समझौते से मिलने वाले लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होंगे। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान आवश्यक है:
 - » **गैर-शुल्क बाधाएँ:** गुणवत्ता मानक, प्रमाणन, खाद्य सुरक्षा और तकनीकी नियम भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बने रह सकते हैं।
 - » **सीमित बाजार आकार:** न्यूजीलैंड की जनसंख्या और घरेलू बाजार अपेक्षाकृत छोटा है। इसलिए निर्यात वृद्धि के लिए नए उत्पादों और सेवाओं की पहचान जरूरी होगी।
 - » **निवेश प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन:** 20 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता को वास्तविक परियोजनाओं, रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण में बदलना होगा।
 - » **MSME की सीमित क्षमता:** छोटे उद्यमों के पास अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, वित्त और निर्यात संबंधी जानकारी की कमी हो सकती है।
 - » **कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा:** आयात की निगरानी और निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होगा।
 - » **लॉजिस्टिक्स की लागत:** दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन, भंडारण और आपूर्ति शृंखला की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह:

- भारत को इस समझौते का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यातोन्मुख विनिर्माण, गुणवत्ता सुधार और एमएसएमई की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम महत्त्वपूर्ण होंगे:
 - » भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों और नियामकीय प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
 - » एमएसएमई के लिए निर्यात वित्त, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल व्यापार सुविधाओं का विस्तार करना।
 - » कृषि उत्पादों के भंडारण, शीत शृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करना।
 - » निवेश प्रतिबद्धताओं की नियमित समीक्षा तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
 - » यूपीआई, फिनटेक, आयुष, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में सहयोग को व्यावहारिक परियोजनाओं में बदलना।
 - » भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय प्रचार को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता भारत की बदलती व्यापार नीति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें बाजार तक पहुँच, निवेश, सेवाओं और तकनीकी सहयोग को एक साथ जोड़ा गया है। यह समझौता केवल सीमा शुल्क कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता, रोजगार सृजन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर है। हालाँकि, इसकी वास्तविक सफलता केवल व्यापारिक रियायतों या निवेश संबंधी घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से निर्धारित होगी। यदि भारत अपने एमएसएमई, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में सफल रहता है, तो यह समझौता विकसित भारत @2047 के लक्ष्य तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अमेरिका ने 12 साल बाद इराक में अपना सैन्य मिशन किया समाप्त

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक में अपने सैन्य मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। पेंटागन ने 30 सितंबर 2026 को घोषणा की कि अंतिम अमेरिकी सैनिक और सैन्य उपकरण इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल के एक एयर बेस से बाहर निकल गए हैं। पेंटागन ने इस वापसी को "व्यवस्थित प्रस्थान" बताया, जो इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ 12 वर्ष लंबे अभियान के अंत का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि:

- अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण 2003 में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया। अमेरिकी सैनिकों ने शुरू में 2011 में इराक से वापसी की, लेकिन 2014 में ISIS द्वारा इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद वे वापस लौटे।
- अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2017 तक ISIS के क्षेत्रीय "खिलाफत" को समाप्त करने में इराकी सुरक्षा बलों की मदद की। इसके बाद से ISIS मुख्य रूप से अलग-अलग स्लीपर सेल के माध्यम से सक्रिय रहा है।
- 2024 में, वाशिंगटन और बगदाद ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य मिशन को धीरे-धीरे समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अधिकांश अमेरिकी सैनिक पहले ही इराकी सैन्य अड्डों से निकल चुके थे, जबकि कुछ सौ सैनिक कुर्द क्षेत्र के उत्तर में मौजूद थे।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- **सुरक्षा शून्य का जोखिम:** वापसी ने विशेष रूप से उत्तरी इराक में संभावित सुरक्षा अंतर को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। आशंका है कि ISIS फिर से संगठित हो सकता है और ईरान समर्थित मिलिशिया अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं।
- **ईरान का प्रभाव:** ईरान और इराक में उसके समर्थन वाले सशस्त्र समूहों ने अमेरिकी वापसी का स्वागत किया है। यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका वर्तमान में ईरान के साथ युद्ध में है, जबकि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी बलों पर हमले कर चुके हैं।
- **ISIS का जारी खतरा:** हालाँकि ISIS अब किसी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रखता है, लेकिन उसकी स्लीपर सेल अभी भी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। इसलिए, अमेरिका की निरंतर खुफिया जानकारी और प्रशिक्षण सहायता महत्वपूर्ण बनी रहेगी।



भारत के लिए महत्व:

- स्थिर पश्चिम एशिया में भारत के प्रमुख हित हैं, क्योंकि:
 - » ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल का आयात।
 - » भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा।
 - » क्षेत्र के साथ व्यापार और निवेश।
 - » आतंकवाद-रोधी सहयोग।
 - » IMEC जैसी क्षेत्रीय संपर्क पहल।
- इराक में अस्थिरता तेल की कीमतों, शिपिंग मार्गों, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है।

इराक का भूगोल:

- इराक पश्चिम एशिया में रणनीतिक रूप से स्थित है, जहाँ बगदाद टिगरिस नदी के किनारे स्थित है। इसकी सीमाएँ तुर्किये, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत से लगती हैं तथा फारस की खाड़ी में इसकी एक छोटी समुद्री तटरेखा है।
- टिगरिस और यूफ्रेट्स इसकी प्रमुख नदियाँ हैं और दोनों मिलकर शत्त अल-अरब का निर्माण करती हैं, जिससे यह क्षेत्र जल संसाधनों और भू-राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है।

ऐतिहासिक महत्व:

- **ईरान-इराक युद्ध (1980–1988):** यह क्षेत्रीय तनाव और विशेष रूप से शत्त अल-अरब को लेकर क्षेत्रीय विवादों तथा ईरानी क्रांति

के बाद उत्पन्न तनाव से जुड़ा था।

- **खाड़ी युद्ध (1990–91):** इसकी शुरुआत इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद हुई और इसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया।
- **अमेरिकी आक्रमण (2003):** इसके परिणामस्वरूप सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया, लंबे समय तक अस्थिरता और सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चलकर ISIS के उदय के लिए परिस्थितियाँ बनीं।

निष्कर्ष:

अमेरिकी वापसी गठबंधन के नेतृत्व वाले सैन्य मिशन से इराक के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था की ओर बदलाव को दर्शाती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इराक ISIS के पुनरुत्थान को रोकने, सशस्त्र मिलिशिया का प्रबंधन करने और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कितना सक्षम होता है।

भारत–स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय संबंध

सन्दर्भ:

हाल ही में, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा उत्पादन, सैन्य आदान-प्रदान और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की। यह यात्रा भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भी हुई।

हालिया बैठक के प्रमुख परिणाम:

- रक्षा उत्पादन और सैन्य आदान-प्रदान में अधिक सहयोग।
- असैन्य परमाणु सहयोग का विस्तार।
- कानूनी प्रवासन और पेशेवर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी।
- कुशल युवाओं के आदान-प्रदान के लिए युवा पेशेवर योजना।
- सुरंग निर्माण, रोपवे और विद्युत गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग।
- स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान।
- डीप-टेक स्टार्टअप और शिक्षा-जगत तथा उद्योग के बीच सहयोग को समर्थन।
- नैतिक AI शासन पर अधिक समन्वय।

भारत–स्विट्जरलैंड संबंधों के बारे में:

- भारत–स्विट्जरलैंड संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और पारस्परिक आर्थिक हितों पर आधारित एक बहुआयामी साझेदारी हैं। स्विट्जरलैंड पूंजी, सटीक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में योगदान देता है, जबकि भारत एक बड़ा बाजार, विनिर्माण क्षमताएँ और कुशल मानव संसाधन प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक विकास:**
 - » **1948 मैत्री संधि:** राजनयिक संबंध 14 अगस्त 1948 को स्थापित हुए।
 - » **औद्योगिक सहयोग:** स्विस प्रौद्योगिकी ने भारत के औद्योगिक आधुनिकीकरण में योगदान दिया, जिसमें प्रारंभिक रेलवे और इंजीनियरिंग परियोजनाएँ शामिल थीं।
 - » **वित्तीय पारदर्शिता:** बैंकिंग गोपनीयता को लेकर चिंताएँ धीरे-धीरे कर चोरी के विरुद्ध सहयोग की दिशा में परिवर्तित हुईं। स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (AEOI) 2018 में लागू हुआ।
 - » **नवाचार और व्यापार:** Swissnex Bengaluru जैसे मंचों ने वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत किया। इसके बाद 2024 में भारत–EFTA TEPA पर हस्ताक्षर किए गए।



वर्तमान व्यापार और निवेश:

- स्विट्जरलैंड एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, जिसके साथ वित्त

वर्ष 2024–25 में लगभग 19.55 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। हालाँकि, व्यापार का संतुलन स्विट्जरलैंड के पक्ष में काफी अधिक है, जिसका एक कारण भारत द्वारा सोने के बुलियन के बड़े पैमाने पर आयात करना है।

- भारत फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि स्विट्जरलैंड से होने वाले प्रमुख निर्यात में सोना, मशीनरी, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
- स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भी एक प्रमुख स्रोत है। 2000–2025 के दौरान लगभग 10.87 अरब डॉलर का निवेश किया गया है तथा भारत में एबीबी, शिंडलर और नेस्ले सहित 330 से अधिक स्विस कंपनियाँ कार्यरत हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर गतिरोध:** निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) को लेकर मतभेद बने हुए हैं। स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का समर्थन करता है, जबकि भारत का मॉडल BIT घरेलू कानूनी उपायों को पहले अपनाने को अधिक महत्व देता है।
- **फार्मास्यूटिकल बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** स्विस फार्मास्यूटिकल हितधारक अधिक मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण की मांग करते हैं, जबकि भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की रक्षा करना चाहता है।
- **रक्षा निर्यात में तटस्थता:** स्विट्जरलैंड की तटस्थता और युद्ध सामग्री से संबंधित नियम रक्षा निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पुनःनिर्यात को सीमित कर सकते हैं।
- **प्रतिभा गतिशीलता:** मौजूदा गतिशीलता के रास्तों को भारत के बड़े कुशल पेशेवरों के समूह के अनुरूप बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत–स्विट्जरलैंड संबंध पारंपरिक बैंकिंग और व्यापार सहयोग से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। इस संबंध को मजबूत करना भारत के तकनीकी विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, टिकाऊ अवसंरचना और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लक्ष्यों को समर्थन दे सकता है।

अमेरिका द्वारा भारतीय आईटी कंपनियों पर पर्म (PERM) प्रतिबंध

संदर्भ:

8 अक्टूबर, 2026 को अमेरिकी प्रशासन ने कथित वीजा धोखाधड़ी और अमेरिकी श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं आईटी सेवा कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) से निलंबित करने की घोषणा की। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं। इस कदम से इन कंपनियों के माध्यम से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

PERM कार्यक्रम क्या है?

- श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) का पूरा नाम प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट है। यह अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत नियोक्ता को किसी विदेशी कर्मचारी के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रायोजित करने से पहले श्रम प्रमाणन प्राप्त करना होता है।
- इस प्रक्रिया में सामान्यतः नियोक्ता को यह प्रदर्शित करना होता है कि संबंधित पद के लिए पर्याप्त योग्य, इच्छुक और उपलब्ध अमेरिकी श्रमिक नहीं हैं तथा विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने से अमेरिकी श्रमिकों के वेतन एवं कार्य परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी निवास और रोजगार का अधिकार प्रदान करता है, जबकि H-1B वीजा विशेष कौशल वाले व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। PERM पर प्रतिबंध का अर्थ स्वतः H-1B वीजा या पहले से प्राप्त ग्रीन कार्ड का रद्द होना नहीं है।

अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई के प्रमुख कारण:

- अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने से अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। श्रम विभाग ने कथित धोखाधड़ी, वेतन संबंधी अनियमितताओं और आव्रजन कार्यक्रमों के संभावित दुरुपयोग की जाँच का हवाला दिया है।
- अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि संबंधित कंपनियों ने 2009 से लगभग 30 लाख विदेशी श्रमिकों के लिए अनुरोध किया तथा उन्हें 2.3 लाख से अधिक H-1B वीजा स्वीकृतियाँ और एक लाख से अधिक स्थायी श्रम प्रमाणन प्राप्त हुए।
- हालाँकि, ये प्रशासन द्वारा प्रस्तुत आँकड़े और आरोप हैं। इन्हें संबंधित कंपनियों के विरुद्ध सिद्ध धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं माना जाना

चाहिए।



कार्रवाई का प्रभाव:

- इस निर्णय का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है, जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया संबंधित कंपनियों के माध्यम से चल रही है।
 - » **स्थायी निवास में देरी:** नए PERM आवेदन दाखिल करने और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया रुकने से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
 - » **करियर संबंधी अनिश्चितता:** लंबे समय तक स्थायी निवास न मिलने से कर्मचारियों की नौकरी बदलने, परिवार के साथ रहने और दीर्घकालिक करियर योजना बनाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
 - » **प्रतिभा पलायन की दिशा में बदलाव:** कुछ पेशेवर भारत या अन्य देशों में अवसर तलाश सकते हैं।
 - » **कंपनियों की लागत में वृद्धि:** कानूनी अनुपालन, कर्मचारियों को बनाए रखने और वैकल्पिक मानव संसाधन रणनीतियों पर अधिक खर्च हो सकता है।
- हालाँकि, इसका प्रभाव प्रत्येक कर्मचारी की आव्रजन स्थिति और आवेदन के चरण पर निर्भर करेगा।

भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव:

- भारत और अमेरिका के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश तथा कुशल पेशेवरों की आवाजाही महत्त्वपूर्ण सहयोग क्षेत्र हैं। भारतीय आईटी कंपनियाँ अमेरिकी उद्यमों को सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और तकनीकी परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- आव्रजन नीतियों में कठोरता से भारतीय कंपनियों के संचालन और पेशेवरों की गतिशीलता पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका का तर्क है कि घरेलू श्रमिकों के हितों की रक्षा और आव्रजन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए दोनों देशों के लिए श्रमिकों के अधिकारों, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होगा।

आगे की राह:

भारत को निम्नलिखित कदमों पर ध्यान देना चाहिए:

- **घरेलू IT क्षेत्र को मजबूत करना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना।
- **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में IT सेवाओं का विस्तार करना।
- **कौशल विकास:** भारतीय युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक प्रमाणन के अनुरूप प्रशिक्षित करना।
- **कूटनीतिक संवाद:** भारत-अमेरिका के बीच पेशेवरों की आवाजाही और आव्रजन प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर संस्थागत संवाद को बढ़ावा देना।
- **अनुपालन व्यवस्था मजबूत करना:** भारतीय कंपनियों को अमेरिकी श्रम कानूनों, वेतन मानकों और आव्रजन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

अमेरिका का श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) प्रतिबंध वैश्विक श्रम गतिशीलता, घरेलू रोजगार संरक्षण और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भारत के लिए यह चुनौती अपने IT निर्यात, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन के प्रमुख स्रोत को सुरक्षित रखते हुए घरेलू तकनीकी क्षमता बढ़ाने का अवसर भी है। दीर्घकाल में कौशल विकास, बाजार विविधीकरण और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत को बदलती वैश्विक आव्रजन नीतियों के प्रति अधिक सक्षम बना सकते हैं।

UNCTAD व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने अपनी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार विखंडन और तकनीकी बदलावों के प्रभाव को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में विकसित क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश के बढ़ते संकेंद्रण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **वैश्विक आर्थिक मंदी:** वर्ष 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.6% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2025 में यह 2.9% थी।
- **व्यापार में वृद्धि:** वर्ष 2025 में वस्तुओं और सेवाओं का वैश्विक व्यापार लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- **भू-अर्थव्यवस्थात्मक विखंडन:** व्यापार नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक गठबंधनों से तेजी से प्रभावित हो रही हैं।
- **AI के असमान लाभ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से प्राप्त होने वाले लाभ कुछ सीमित देशों और कंपनियों तक केंद्रित हैं।
- **वित्तीय संवेदनशीलता:** उच्च उधार लागत, ऋण का बोझ और ऊर्जा की कीमतों में झटके विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से अधिक प्रभावित करते हैं।

भू-अर्थशास्त्र क्या है?

- भू-अर्थशास्त्र से तात्पर्य भू-राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टैरिफ, निर्यात नियंत्रण, निवेश प्रतिबंध और सब्सिडी जैसे आर्थिक साधनों के उपयोग से है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को नया स्वरूप दे रहा है।

वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में भारत की स्थिति:

- रिपोर्ट में उल्लिखित निवेश संबंधी निष्कर्षों के अनुसार, वर्ष 2020–2025 के दौरान वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में भारत की हिस्सेदारी 5.7% रही, जबकि चीन की हिस्सेदारी 2.8%, मलेशिया की 4% और इंडोनेशिया की 3.8% थी।
- ग्रीनफील्ड निवेश से तात्पर्य किसी दूसरे देश में नया व्यावसायिक परिचालन या नई औद्योगिक सुविधा स्थापित करने से है।
- वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में रणनीतिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2020 के 16% से बढ़कर वर्ष 2025 में 44% हो गई। AI अवसंरचना और संबंधित प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर तथा ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी प्रौद्योगिकियों में पर्याप्त निवेश आकर्षित हुआ।
- हालाँकि, रणनीतिक निवेश अभी भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में केंद्रित है, जो पूँजी और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्राप्त करने में विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।



प्रमुख चुनौतियाँ:

- **व्यापार विखंडन:** टैरिफ, निर्यात प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी विभाजन:** विकासशील देशों को उन्नत प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान और कुशल श्रमिकों तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **निवेश का संकेंद्रण:** मजबूत अवसंरचना और स्थापित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र वाली अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी केंद्रित रहती है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** उच्च उधार लागत और ऋण का बोझ विकास संबंधी व्यय को सीमित करते हैं।
- **असमान विकास:** अल्पविकसित देशों के उच्च मूल्यवर्धित वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से बाहर रह जाने का जोखिम है।

भारत के लिए महत्त्व:

- भारत को विनिर्माण के विस्तार, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात वृद्धि और रणनीतिक वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम करने के माध्यम से लाभ मिल सकता है।
- मेक इन इंडिया, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं। हालाँकि, निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ घरेलू मूल्यवर्धन, कौशल विकास और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना भी आवश्यक

है।

आगे की राह:

- अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार करना।
- अनुसंधान एवं विकास तथा उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- MSME को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करना।
- उद्योगोन्मुख कौशल और तकनीकी शिक्षा का विकास करना।
- निवेश संबंधी नीतियों को स्थिर और पूर्वानुमान योग्य बनाए रखना।
- क्षेत्रीय सहयोग और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

UNCTAD की रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि भू-राजनीति वैश्विक व्यापार, निवेश और विकास को नया स्वरूप दे रही है। भारत को अपनी निवेश क्षमता का लाभ उठाकर लचीली आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करना चाहिए, तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना चाहिए और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

भारत–कनाडा संबंध

संदर्भ:

हाल ही में, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई बैठकों ने भारत–कनाडा संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों को उजागर किया। चर्चा का केंद्र व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जन-से-जन संबंध रहे। यह संपर्क वर्ष 2023–2024 के तनाव के बाद कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयासों को दर्शाता है। दोनों देश संवाद बहाल करने और सहयोग का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

भारत–कनाडा संबंध:

- भारत और कनाडा ने वर्ष 1947 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। शुरुआती संबंध राष्ट्रमंडल के जुड़ाव और कनाडा की विकास सहायता से प्रभावित थे। हालाँकि, वर्ष 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण 'स्माइलिंग बुद्धा' के बाद संबंध बिगड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप कनाडा ने वर्ष 1976 में परमाणु सहयोग रोक दिया।
- वर्ष 1985 में सिख चरमपंथियों द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर किए गए बम विस्फोट ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया। वर्ष 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संपर्क का विस्तार हुआ। वर्ष 2015 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।
- वर्ष 2023–2024 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित कनाडा के आरोपों के बाद संबंधों को बड़ा झटका लगा, जिन्हें भारत ने खारिज कर दिया। राजनयिकों के निष्कासन और प्रतिबंधों ने तनाव को और गहरा किया तथा द्विपक्षीय संपर्क को कमजोर किया।
- इन मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संवाद एवं सहयोग के माध्यम से संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- **नागरिक परमाणु ऊर्जा:** भारत और कनाडा ने यूरेनियम सहयोग को आगे बढ़ाया है। यूरेनियम अयस्क सांद्रण के लिए लगभग 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर के कथित दीर्घकालिक कैमेको (Cameco) अनुबंध से, जो वर्ष 2027–2035 की अवधि को कवर करता है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और कम-कार्बन विद्युत संबंधी लक्ष्यों को समर्थन मिल सकता है।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का एक लक्ष्य बताया गया है। प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) व्यापार संबंधी बाधाओं को कम कर सकता है और निवेश को बढ़ावा दे सकता है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा:** सहयोग से महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों में कनाडा की भागीदारी आगे और अवसर उत्पन्न कर सकती है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** संस्थागत संवाद, समुद्री सहयोग और आतंकवाद-रोधी गतिविधियों में सहभागिता साझा सुरक्षा चिंताओं का समाधान कर सकती है।
- **प्रवासी समुदाय और शिक्षा:** भारतीय मूल के 18 लाख से अधिक कनाडाई सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सामाजिक संबंधों में योगदान देते हैं। शिक्षा और कुशल श्रमिकों की आवाजाही भी द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्वपूर्ण घटक रहे हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **खालिस्तानी चरमपंथ:** भारत ने कनाडा की धरती पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- **कूटनीतिक तनाव:** निज्जर की हत्या से संबंधित कनाडा के आरोपों के कारण गंभीर कूटनीतिक टकराव उत्पन्न हुआ, जिसमें राजनयिकों का निष्कासन भी शामिल था। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
- **व्यापार संबंधी बाधाएँ:** कृषि उत्पादों, जिनमें दालें भी शामिल हैं, को लेकर मतभेद तथा निवेश और बौद्धिक संपदा संबंधी नियम आर्थिक वार्ताओं को जटिल बनाते हैं।
- **विश्वास की कमी:** सुरक्षा संबंधी असहमतियाँ तथा संप्रभुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अलग-अलग व्याख्याएँ सहयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह:

- नियमित उच्च-स्तरीय कूटनीतिक परामर्श को फिर से शुरू करना।
- CEPA वार्ताओं को आगे बढ़ाना और गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करना।
- साक्ष्य-आधारित कानून प्रवर्तन तंत्र और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करना।
- परमाणु ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना।
- दोनों देशों की संप्रभुता और कानूनों का सम्मान करते हुए प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना।

निष्कर्ष:

भारत–कनाडा संबंध उन लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी की जटिलता को दर्शाते हैं, जिनके सामाजिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताएँ अलग-अलग हैं। निरंतर संवाद, आर्थिक परस्पर निर्भरता और आपसी सम्मान वर्ष 2026 में शुरू हुए कूटनीतिक पुनर्स्थापन को एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी में बदलने में मदद कर सकते हैं।

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट

संदर्भ:

हाल ही में, फ्रांस में बढ़ती जीवन-यापन लागत, सार्वजनिक सेवाओं की बिगड़ती स्थिति और आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक बिखराव और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के निकट आने के कारण इस संकट ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है।

फ्रांस की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ:

- **उच्च राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण:** वर्ष 2025 में फ्रांस का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.1% था, जबकि सार्वजनिक ऋण GDP के 115.5% तक पहुँच गया। सरकार के राजस्व की तुलना में लगातार अधिक खर्च होने के कारण उसे उधार लेना पड़ता है। इससे ब्याज भुगतान बढ़ता है और सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है।
- **धीमी आर्थिक वृद्धि:** वर्ष 2023 से फ्रांस की औसत आर्थिक वृद्धि लगभग 1.4% रही है। धीमी आर्थिक वृद्धि से कर राजस्व बढ़ाने की क्षमता सीमित होती है और सार्वजनिक ऋण को कम करना अधिक कठिन हो जाता है।
- **बढ़ता पेंशन व्यय:** फ्रांस की जनसंख्या में वृद्ध लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। लोग अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं, जिससे पेंशन संबंधी दायित्व भी बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने के प्रस्ताव का व्यापक विरोध हुआ है। पेंशन पर बढ़ते खर्च से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे पर होने वाले व्यय पर भी दबाव पड़ता है।
- **जीवन-यापन लागत का संकट:** जीवन-यापन की बढ़ती लागत और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट की आशंकाओं ने लोगों में असंतोष बढ़ाया है। इसका प्रभाव विशेष रूप से छात्रों और श्रमिकों पर पड़ा है। केवल आर्थिक वृद्धि होने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।



संकट के राजनीतिक आयाम:

- दक्षिणपंथी अतिवादी शक्तियों, वामपंथी दलों और मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तियों के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण ने राजकोषीय सुधारों को जटिल बना दिया है।
- विभाजित संसद के कारण कराधान, पेंशन सुधार और सरकारी खर्च में कटौती जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना कठिन हो गया है। परिणामस्वरूप, राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक अनिश्चितता बढ़ाती है और निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है।

फ्रांस अनिश्चितकाल तक उधार क्यों नहीं ले सकता?

- सार्वजनिक ऋण बढ़ने से सरकार के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, क्योंकि निवेशक संभावित जोखिमों की भरपाई के लिए अधिक ब्याज की माँग करते हैं। ब्याज भुगतान बढ़ने से सरकार के पास अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन कम हो जाते हैं। इससे उत्पादक क्षेत्रों पर होने वाला खर्च भी प्रभावित हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यूरो क्षेत्र के सदस्य होने के कारण फ्रांस स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्रा जारी नहीं कर सकता। उसकी मौद्रिक नीति का संचालन यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) करता है।

यूरोपीय संघ पर प्रभाव:

- फ्रांस की आर्थिक कठिनाइयाँ यूरो क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता, निवेशकों के विश्वास और यूरोपीय संघ के राजकोषीय नियमों के अनुपालन को प्रभावित कर सकती हैं। यह संकट राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीतियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता और साझा मौद्रिक नीति के बीच मौजूद तनाव को भी उजागर करता है।

भारत का दृष्टिकोण:

- भारत और फ्रांस ने वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। फरवरी 2026 में इस संबंध को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Special Global Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया। दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग होता है।
 - » **रक्षा सहयोग:** फ्रांस राफेल लड़ाकू विमानों सहित रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। फ्रांस में किसी भी संकट का भारत की सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
 - » **नागरिक परमाणु ऊर्जा:** प्रस्तावित जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित दोनों देशों के बीच सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास को बढ़ावा देता है। फ्रांस की राजकोषीय कठिनाइयों का परियोजना की लागत या समय-सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए परियोजना-विशिष्ट साक्ष्यों की आवश्यकता है।
 - » **व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी:** आर्थिक अनिश्चितता व्यावसायिक निर्णयों और निवेश को प्रभावित कर सकती है। भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घरेलू मूल्य संवर्धन और विविध आर्थिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
 - » **हिंद-प्रशांत और रणनीतिक स्वायत्तता:** फ्रांस समुद्री सुरक्षा और बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में भारत के प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग बनाए रखने के लिए फ्रांस की स्थिरता महत्त्वपूर्ण है।

भारत के लिए सीख:

- **राजकोषीय अनुशासन:** मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन के लिए एक विश्वसनीय योजना बनाए रखना।
- **कल्याणकारी सुधार:** आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किए बिना सरकारी खर्च की दक्षता में सुधार करना।
- **पेंशन की स्थिरता:** बढ़ती आयु वाली जनसंख्या की चुनौतियों के लिए तैयारी करना और दीर्घकालिक पेंशन वित्तपोषण को मजबूत बनाना।
- **लोकतांत्रिक परामर्श:** सुधारों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखना और संबंधित हितधारकों से परामर्श करना।
- **आर्थिक लचीलापन:** विनिर्माण, रोजगार, उत्पादकता और कर आधार का विस्तार करना।

पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने बद्र रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ:

हाल ही में, पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दोहा, कतर में बद्र समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding - MoU) पर हस्ताक्षर किए।

बद्र समझौता ज्ञापन (Badr MoU) की पृष्ठभूमि:

- यह समझौता खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरान के बीच संभावित नए टकराव की आशंकाओं के बीच

हुआ है। यह अगस्त 2026 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये द्वारा हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद भी आया है। इस समझौते के तहत, किसी एक भागीदार देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

- बद्र समझौता ज्ञापन का मुख्य ध्यान स्वचालित सामूहिक रक्षा दायित्व स्थापित करने की अपेक्षा रक्षा-औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित प्रतीत होता है। इसका नाम बद्र के युद्ध से लिया गया है, जो प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय और मक्का के कबीलों के बीच पहला प्रमुख सैन्य संघर्ष था।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- इस समझौते का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना तथा तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास (R&D) का विस्तार करना है। इसके तहत चारों देशों की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं को मिलाकर आधुनिक रक्षा समाधान विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
- इस समझौते का आर्थिक महत्त्व भी है, क्योंकि संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग से घरेलू रक्षा उद्योगों को मजबूती मिल सकती है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं तथा भागीदार देशों की सहयोगी और मित्र देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।



रणनीतिक महत्त्व:

- यह समझौता विविध रक्षा साझेदारियों और स्वदेशी सैन्य उत्पादन को बढ़ावा देने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तुर्किये ने ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और बख्तरबंद वाहनों के क्षेत्र में क्षमताएँ विकसित की हैं, जबकि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा दिया है।
- कतर ने रक्षा सहयोग में निवेश किया है, जबकि इंडोनेशिया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू औद्योगिक विकास पर जोर दे रहा है। हालाँकि, इस समझौते को स्वतः ही भारत-विरोधी गठबंधन या एक एकीकृत सैन्य गुट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत के लिए यह समझौता ध्यान देने योग्य है, क्योंकि पाकिस्तान की भागीदारी वाला बढ़ा हुआ रक्षा-औद्योगिक सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है।
- भारत को आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करना चाहिए, रक्षा निर्यात का विस्तार करना चाहिए तथा खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को गहरा करना चाहिए। कूटनीतिक संवाद और समझौते के वास्तविक क्रियान्वयन का सावधानीपूर्वक आकलन करना भी आवश्यक है।

चुनौतियाँ:

- राष्ट्रीय हितों में अंतर, प्रौद्योगिकी साझा करने पर प्रतिबंध, वित्तपोषण, बौद्धिक संपदा अधिकार और निर्यात नियंत्रण समझौते के क्रियान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। इस समझौते का व्यावहारिक महत्त्व ठोस परियोजनाओं और निरंतर सहयोग पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष:

बद्र समझौता ज्ञापन अनिश्चित भू-राजनीतिक परिस्थितियों में रक्षा-औद्योगिक साझेदारियों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चारों देश इस समझौते को संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी विकास और मजबूत रक्षा क्षमताओं में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाते हैं।

भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी विजन 2030

संदर्भ:

हाल ही में, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 21–23 अक्टूबर, 2026 तक भारत के दौरे पर रहे। इस दौरान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता संपन्न हुई। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही, रक्षा, अंतरिक्ष,

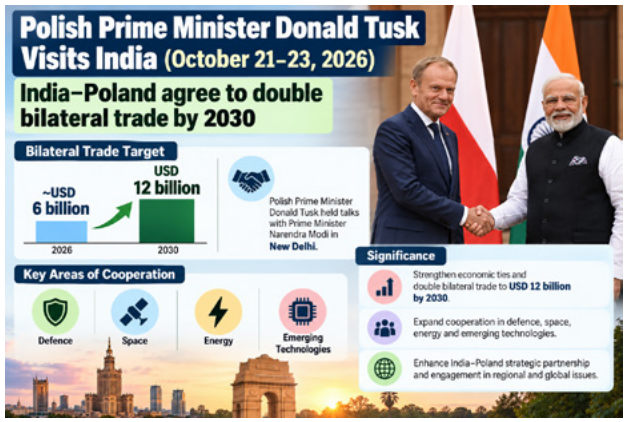
ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी।

पृष्ठभूमि:

- भारत और पोलैंड ने वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वारसॉ यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, जबकि भारत पोलैंड को एक विशाल बाजार और एशिया में विस्तार करते अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है।

वर्ष 2026 के शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **व्यापार और निवेश:** दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने व्यवसायों, निवेश और बाजार तक पहुँच के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र लागू करने का आह्वान किया।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों नेताओं ने प्रस्तावित रक्षा उद्योग संवाद (Defence Industry Dialogue) के माध्यम से रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी साझेदारी, संयुक्त विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देना है। संवेदनशील रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए गोपनीय सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण और आदान-प्रदान से संबंधित समझौता महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।



- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटलीकरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। दोनों देशों ने भारत–पोलैंड स्टार्टअप ब्रिज स्थापित करने और प्रौद्योगिकी हैकाथॉन आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- **ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज:** दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, बैटरी पुनर्चक्रण, दुर्लभ मृदा तत्त्वों के प्रसंस्करण और खनन के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं की पहचान की।
- **कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखलाएँ:** दोनों नेताओं ने अतिरिक्त सीधी उड़ानों की संभावनाओं का पता लगाने तथा शिपिंग, बंदरगाहों और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन किया। इसमें भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) से जुड़े अवसर भी शामिल हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** पोलैंड ने 2028–29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी और सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद और रूस–यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की।

भारत के लिए महत्त्व:

- **आर्थिक विविधीकरण:** पोलैंड के साथ मजबूत संबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** रखरखाव, मरम्मत और विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन दे सकता है।
- **कूटनीतिक पहुँच:** पोलैंड का समर्थन यूरोपीय संस्थानों और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी को मजबूत कर सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताएँ:** भारत के रूस के साथ रक्षा संबंधों को लेकर पोलैंड की चिंताएँ और पोलैंड के पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को लेकर भारत की संवेदनशीलताएँ रक्षा सहयोग को जटिल बनाती हैं।
- **लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएँ:** कनेक्टिविटी की सीमाएँ और परिवहन लागत व्यापार विस्तार को सीमित कर सकती हैं।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** दोनों देशों की तात्कालिक सुरक्षा प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं।

आगे की राह:

- भारत और पोलैंड को केवल क्रेता-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देना चाहिए।

गोपनीय सूचनाओं से संबंधित समझौते को अंतिम रूप देना, भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना तथा शैक्षणिक और औद्योगिक आदान-प्रदान का विस्तार करना वर्ष 2030 के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का शिखर सम्मेलन भारत–पोलैंड संबंधों को भारत की यूरोप के साथ सक्रिय भागीदारी, आर्थिक कूटनीति और रणनीतिक विविधीकरण के एक महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में सुदृढ़ करता है। राजनीतिक सहमति को निरंतर आर्थिक और तकनीकी सहयोग में बदलना ही इस साझेदारी की दीर्घकालिक सफलता निर्धारित करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु क्षति एवं हानि कोष ने नेपाल के लिए आवंटित किए 20 मिलियन डॉलर

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के हानि एवं क्षति प्रतिक्रिया कोष (Fund for Responding to Loss and Damage—FRLD) ने अगस्त 2026 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल के लिए 2 करोड़ डॉलर निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार इस कोष ने अचानक घटित होने वाली आपदा के लिए विशेष रूप से संसाधन निर्धारित किए हैं। हालाँकि, इस राशि का वितरण होने से पहले नेपाल को एक औपचारिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

पृष्ठभूमि:

- 26 अगस्त, 2026 को चीन के तिब्बत के निकट हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के बाद नेपाल के भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई।
- इस आपदा से 15,000 परिवारों के लगभग 60,000 लोग प्रभावित हुए। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, 1,400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं।
- प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान लगभग 2.7 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जबकि पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण की आवश्यकताएँ 4.7 अरब डॉलर से अधिक हो सकती हैं।
- यह आपदा बाढ़, हिमनदीय खतरों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य जोखिमों के प्रति हिमालयी समुदायों की संवेदनशीलता को उजागर करती है।

हानि एवं क्षति कोष क्या है?

- वर्ष 2022 में COP27 के दौरान स्थापित और वर्ष 2023 में COP28 के दौरान परिचालित किया गया हानि एवं क्षति प्रतिक्रिया कोष (FRLD), उन विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है जो जलवायु परिवर्तन के ऐसे आर्थिक और गैर-आर्थिक परिणामों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें केवल शमन या अनुकूलन के माध्यम से टाला नहीं जा सकता।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
 - » जलवायु संबंधी आपदाओं के बाद पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना।
 - » आर्थिक हानियों, जैसे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे, और गैर-आर्थिक हानियों, जैसे जनहानि, सांस्कृतिक विरासत की क्षति तथा आजीविका के नुकसान, दोनों का समाधान करना।
 - » जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए सीमित संसाधनों वाले संवेदनशील देशों की सहायता करके जलवायु न्याय को मजबूत करना। इस कोष की मेजबानी विश्व बैंक द्वारा की जाती है।



निर्णय का महत्त्व:

- **जलवायु न्याय:** नेपाल का वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान है, लेकिन वह जलवायु संबंधी गंभीर जोखिमों का सामना करता है। यह साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत को रेखांकित करता है।

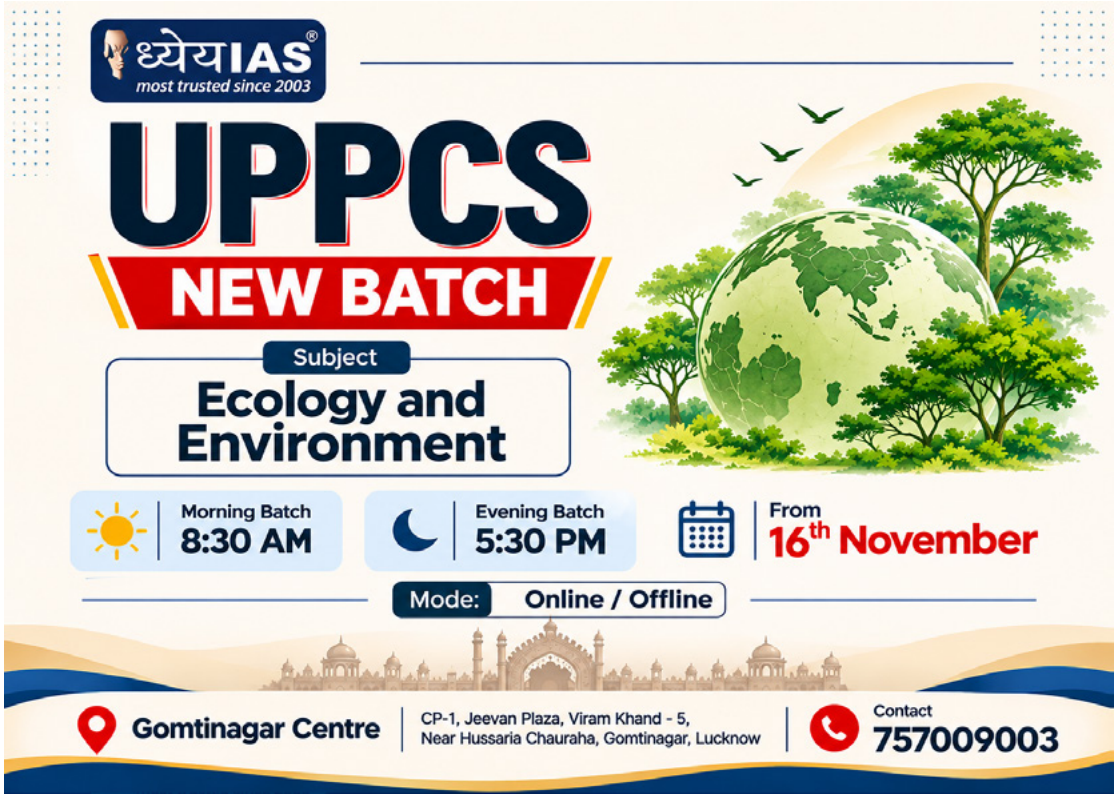
- **संस्थागत विश्वसनीयता:** यह आवंटन दर्शाता है कि यह कोष केवल लंबी परियोजना-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर रहने के बजाय अचानक आने वाली आपदाओं पर भी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है।
- **संवेदनशील देशों को सहायता:** यह निर्णय अल्प विकसित देशों (LDCs), लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील अन्य देशों के लिए एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- **हिमालयी लचीलापन:** यह आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे और हिमनदीय तथा बाढ़ संबंधी जोखिमों पर क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** 2 करोड़ डॉलर का आवंटन नेपाल के अनुमानित आपदा नुकसान के 1% से भी कम है।
- **वितरण में देरी:** धनराशि निर्धारित करने का अर्थ तत्काल भुगतान नहीं है; नेपाल को आवश्यक प्रस्ताव और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- **वित्तपोषण की कमी:** इस कोष के लिए की गई वित्तीय प्रतिबद्धताएँ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के व्यापक स्तर की तुलना में अपर्याप्त बनी हुई हैं।
- **जवाबदेही:** यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी आवंटन, प्रभावी उपयोग और निगरानी आवश्यक हैं कि सहायता प्रभावित समुदायों तक पहुँचे।

निष्कर्ष:

नेपाल के लिए किया गया यह आवंटन जलवायु न्याय को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका सीमित आकार वैश्विक प्रतिबद्धताओं और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच के अंतर को उजागर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवेदनशील विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने के दौरान असमान रूप से बड़े आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े, पर्याप्त वित्तपोषण वाला, सुलभ और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हानि एवं क्षति कोष आवश्यक है।



4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2026: वन पुनर्स्थापन से जलवायु सुरक्षा और सतत विकास की ओर

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट 'विश्व के वनों की स्थिति 2026' (The State of the World's Forests 2026) जारी की। इस वर्ष रिपोर्ट का विषय 'वनों और भू-दृश्यों का पुनर्स्थापन: सतत भविष्य की दिशा में आगे का मार्ग' (Restoring Forests and Landscapes: The Way Forward for a Sustainable Future) है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब विश्व जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, भूमि निम्नीकरण और खाद्य असुरक्षा जैसी परस्पर जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट का केंद्रीय संदेश है कि वनों का पुनर्स्थापन केवल पर्यावरण संरक्षण का उपाय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में दीर्घकालिक निवेश भी है।



वैश्विक वन संसाधनों की स्थिति:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2026 वैश्विक वन संसाधनों की वर्तमान स्थिति और वन पुनर्स्थापन की प्रगति के बीच अंतर को उजागर करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
 - » **वैश्विक वन क्षेत्र:** विश्व में लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग 32% है।
 - » **कार्बन भंडारण:** विश्व के वन लगभग 714 गीगाटन कार्बन का भंडारण करते हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - » **जैव विविधता का संरक्षण:** वन स्थलीय जैव विविधता के

एक बड़े हिस्से को आश्रय प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं।

- » **वन पुनर्स्थापन:** रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20.65 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र पुनर्स्थापन के अंतर्गत है।
- » **वनों का विनाश:** वर्ष 1990 से विश्व में 48.9 करोड़ हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है।
- » **पुनर्स्थापन की प्रतिबद्धताएँ:** विभिन्न वैश्विक पहलों के माध्यम से एक अरब हेक्टेयर से अधिक भूमि के पुनर्स्थापन की प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गई हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

- ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि वन संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ पर्याप्त नहीं हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तपोषण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक निगरानी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

वन पुनर्स्थापन की आवश्यकता:

- **जलवायु परिवर्तन का शमन:** वन प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने में सहायता करते हैं। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र वर्षा चक्र, स्थानीय तापमान और जल संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, केवल वृक्षारोपण को जलवायु समाधान मानना पर्याप्त नहीं है। प्राकृतिक वनों का संरक्षण, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और दीर्घकालिक वन प्रबंधन अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
- **जैव विविधता का संरक्षण:** वन असंख्य वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक आवास हैं। वनों का विखंडन प्रजातियों के आवागमन, प्रजनन और आनुवंशिक विविधता को प्रभावित करता है। वन पुनर्स्थापन से वन्यजीव गलियारों की निरंतरता, पारिस्थितिक संतुलन और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **खाद्य एवं जल सुरक्षा:** वन मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, भूजल पुनर्भरण और जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि वानिकी, स्थानीय वृक्ष प्रजातियों और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहन देकर खाद्य उत्पादन को जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार वन संरक्षण और कृषि विकास परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक लक्ष्य हैं।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका:** वन आधारित आजीविका विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए महत्त्वपूर्ण है। लघु वनोपज, औषधीय पौधे, शहद, बाँस और अन्य वन उत्पाद आय एवं रोजगार उपलब्ध कराते हैं। समुदाय आधारित पुनर्स्थापन से पर्यावरणीय लाभों के साथ स्थानीय आर्थिक सशक्तीकरण भी संभव है।



वन पुनर्स्थापन का आर्थिक महत्त्व:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, एक अरब हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन प्रतिवर्ष लगभग 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभ उत्पन्न कर सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में पुनर्स्थापन पर निवेश किए गए प्रत्येक एक डॉलर से 30 डॉलर तक का प्रतिफल संभव है।
- इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास पर बोझ समझने की अपेक्षा प्राकृतिक पूँजी में निवेश के रूप में देखना चाहिए। हालाँकि, ये संभावित लाभ हैं; वास्तविक परिणाम स्थानीय परिस्थितियों, वित्तपोषण और प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करेंगे।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

- भारत में वन संरक्षण का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ आजीविका, आदिवासी अधिकारों और जलवायु प्रतिबद्धताओं से भी जुड़ा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण लगभग 25.17 प्रतिशत है। लेकिन केवल वन आवरण में वृद्धि को पारिस्थितिक सुधार का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक वनों की गुणवत्ता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं का मूल्यांकन भी आवश्यक है।
- भारत ने हरित भारत मिशन, CAMPA, संयुक्त वन प्रबंधन तथा कृषि वानिकी जैसी पहलों के माध्यम से वन संरक्षण को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, वन अधिकार अधिनियम, 2006 सामुदायिक भागीदारी और वन संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने का महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। फिर भी हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारतीय वन क्षेत्रों और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में विकास परियोजनाओं, खनन, वनाग्नि तथा भूमि उपयोग परिवर्तन से उत्पन्न दबाव गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

वन पुनर्स्थापन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्तीय संसाधनों की कमी:** पुनर्स्थापन परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निवेश आवश्यक है, जबकि अनेक कार्यक्रम अल्पकालिक बजट और वृक्षारोपण लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं।
- **पारिस्थितिक गुणवत्ता की उपेक्षा:** एकल प्रजाति के वृक्षारोपण से हरित आवरण बढ़ सकता है, लेकिन प्राकृतिक वनों जैसी जैव विविधता विकसित होना आवश्यक नहीं है।
- **स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी:** भूमि अधिकारों की अस्पष्टता और निर्णय प्रक्रिया से समुदायों का बहिष्कार परियोजनाओं की स्थिरता को प्रभावित करता है।
- **विकास और संरक्षण के बीच टकराव:** अवसंरचना, औद्योगीकरण और खनन परियोजनाओं से प्राकृतिक आवासों का विखंडन बढ़ सकता है।
- **निगरानी की कमजोरी:** केवल लगाए गए पौधों की संख्या के बजाय उनकी उत्तरजीविता, कार्बन भंडारण और जैव विविधता की बहाली को मापना आवश्यक है।

आगे की राह:

- FAO की रिपोर्ट वन पुनर्स्थापन को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए चार परस्पर पूरक रणनीतियाँ प्रस्तुत करती है:
 - » **समुदायों का सशक्तीकरण:** आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकार, पारंपरिक ज्ञान और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
 - » **भू-दृश्य आधारित पुनर्स्थापन:** वन, कृषि भूमि, जलस्रोत और जैव विविधता को एकीकृत दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित किया जाए।
 - » **दीर्घकालिक हरित वित्तपोषण:** सार्वजनिक निवेश, निजी पूँजी, पारिस्थितिकी सेवाओं के भुगतान और उत्तरदायी कार्बन वित्त का उपयोग बढ़ाया जाए।
 - » **नीतिगत एवं संस्थागत समन्वय:** वन, कृषि, जल, ग्रामीण विकास और जलवायु नीतियों के बीच तालमेल स्थापित किया जाए।
- भारत को इन रणनीतियों के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट पुनर्स्थापन योजनाएँ विकसित करनी चाहिए। साथ ही उपग्रह आधारित निगरानी, वैज्ञानिक मूल्यांकन और ग्राम सभाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी।

निष्कर्ष:

विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2026 यह स्पष्ट करती है कि मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण को अलग-अलग लक्ष्यों के रूप में नहीं देखा जा सकता। वन पुनर्स्थापन जलवायु परिवर्तन से निपटने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने का साझा अवसर प्रदान करता है। भारत सहित विश्व के देशों के लिए अब प्राथमिकता केवल वृक्षारोपण के आँकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वस्थ, जैव विविधता से समृद्ध और समुदायों के लिए उपयोगी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होनी चाहिए। वास्तविक सतत विकास वही है, जिसमें वन संरक्षण, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के पूरक बनें।

भारत का 2026 मानसून 13% वर्षा की कमी के साथ समाप्त

संदर्भ:

भारत का 2026 दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 सितंबर को समाप्त हुआ और इस दौरान सामान्य से लगभग 13% कम वर्षा हुई। यह 2015 के बाद सबसे शुष्क मानसून और 2001 के बाद चौथा सबसे कम वर्षा वाला मानसून रहा। भारत में लगभग 759.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि दीर्घकालिक औसत (LPA) 868.6 मिमी है, अर्थात वर्षा LPA की लगभग 87% रही।

भारतीय मानसून क्या है?

- मानसून शब्द अरबी शब्द मौसिम (mausim) से लिया गया है, जिसका अर्थ "ऋतु" है। यह भूमि और समुद्र के असमान तापमान के कारण हवाओं की मौसमी दिशा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।
- भारत में दो प्रमुख मानसून प्रणालियाँ हैं:
 - **दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर):** यह भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75–80% प्रदान करता है और इसकी दो शाखाएँ हैं- अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा।
 - **उत्तर-पूर्व मानसून (अक्टूबर–दिसंबर):** इस दौरान हवाएँ भूमि से समुद्र की ओर दिशा बदलती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से नमी ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा तथा केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण वर्षा लाती हैं।

प्रमुख नियंत्रक कारक:

- भारतीय मानसून निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है:
 - भूमि और समुद्र का असमान ताप
 - अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) का स्थानांतरण
 - तिब्बती पठार का गर्म होना
 - उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट का पीछे हटना और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की स्थापना
 - दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर मस्कारेन उच्च दाब क्षेत्र
 - ENSO, IOD और यूरेशियाई हिम आवरण

2026 का मानसून कमजोर क्यों रहा?

- **अल नीनो:** मुख्य कारक अल नीनो था, जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के जल का असामान्य रूप से गर्म होना शामिल है। यह सामान्यतः वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करता है। IMD ने मानसून के दौरान अल नीनो की स्थितियों के मजबूत होने की सूचना दी।
- **वर्षा का असमान वितरण:** वर्षा की कमी पूरे देश में समान नहीं थी। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में LPA की लगभग 76% वर्षा हुई, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 74% वर्षा हुई, जो क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर असमानता को दर्शाता है। इसी समय, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब तंत्रों ने मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में वर्षा लाने में मदद की और राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा की कमी को और अधिक बढ़ने से रोका।



दीर्घकालिक औसत और वर्षा वर्गीकरण को समझना:

- दीर्घकालिक औसत (LPA) किसी लंबी संदर्भ अवधि के दौरान हुई औसत वर्षा को दर्शाता है। भारत के लिए वर्तमान मौसमी LPA 868.6 मिमी (लगभग 87 सेमी), 1971–2020 की अवधि पर आधारित है।
- अखिल भारतीय वर्गीकरण:
 - **अधिक:** >110% LPA
 - **सामान्य से अधिक:** 104–110%
 - **सामान्य:** 96–104%
 - **सामान्य से कम:** 90–95%
 - **अल्प:** <90%

- इस प्रकार, 2026 में लगभग 87% LPA वर्षा अल्प वर्षा की श्रेणी में आती है।

भारत पर प्रभाव:

- **कृषि:** लंबे समय तक रहने वाले शुष्क दौर से विशेष रूप से वर्षा-आधारित क्षेत्रों में धान, कपास और मक्का की पैदावार प्रभावित हो सकती है।
- **जल सुरक्षा:** कम वर्षा से भूजल पुनर्भरण और जलाशयों में जल भंडारण कम हो सकता है।
- **जलविद्युत:** जलाशयों में जल स्तर कम होने से जलविद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
- **मुद्रास्फीति:** फसल को नुकसान होने से खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** कृषि आय में कमी से ग्रामीण मांग और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।
- **पारिस्थितिकी:** जल की कमी से प्रभावित वन, आर्द्रभूमि और पारिस्थितिक तंत्र जलवायु संबंधी तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

आगे की राह:

- सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन का विस्तार करना।
- सूखा-रोधी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसल किस्मों को बढ़ावा देना।
- भूजल पुनर्भरण और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को मजबूत करना।
- जिला स्तर पर मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करना।
- फसल बीमा और जलवायु-अनुकूल कृषि का विस्तार करना।
- अवलोकन प्रणालियों और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मिशन मौसम जैसे कार्यक्रमों का उपयोग करना।

निष्कर्ष:

2026 का मानसून यह दर्शाता है कि भारत में वर्षा की चुनौती केवल वर्षा की मात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके समय, अवधि और स्थानिक वितरण से भी जुड़ी है। मानसून में बढ़ती परिवर्तनशीलता के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि, बेहतर जल प्रबंधन और पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट

2026

संदर्भ:

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) ने अपनी नवीनतम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। इस आकलन में 5,790 कशेरुकी प्रजातियों से संबंधित 35,803 आबादी के रुझानों का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में गिरावट की दर काफी अलग-अलग है:
 - **मीठे पानी की आबादी:** 85% गिरावट
 - **स्थलीय आबादी:** 69% गिरावट
 - **समुद्री आबादी:** नवीनतम आकलन में लगभग 59% गिरावट।
- रिपोर्ट में आवास का नुकसान और क्षरण सबसे अधिक रिपोर्ट किया गया खतरा है। इसके बाद अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियाँ और बीमारियाँ प्रमुख खतरे हैं। ये दबाव खाद्य, ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों से जुड़ी व्यापक समस्याओं से संबंधित हैं।

मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक संवेदनशील क्यों हैं?

- मीठे पानी की जैव विविधता को एक साथ कई दबावों का सामना करना पड़ रहा है:
 - बाँधों और अवसंरचना के माध्यम से नदियों का विखंडन
 - जल का अत्यधिक दोहन
 - प्रदूषण
 - आर्द्रभूमियों का क्षरण
 - असंधारणीय मत्स्यन
 - जलवायु परिवर्तन
- 85% की गिरावट मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षण की एक प्रमुख प्राथमिकता बनाती है।

भारत का संरक्षण अनुभव:

- वैश्विक गिरावट के बावजूद, भारत यह दर्शाता है कि लक्षित संरक्षण प्रयास कई प्रजातियों की आबादी में पुनरुद्धार ला सकते हैं। WWF के आकलन पर हालिया रिपोर्टिंग में बाघ, एक सींग वाले

गैंडे, एशियाई सिंह और गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि को रेखांकित किया गया है। भारत का अनुभव निम्नलिखित के महत्व को दर्शाता है:

- » संरक्षित क्षेत्र
- » प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम
- » आवास का पुनर्स्थापन
- » अवैध शिकार-रोधी उपाय
- » सामुदायिक भागीदारी
- » वैज्ञानिक आबादी निगरानी

जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे:

- **आवास का नुकसान:** कृषि विस्तार, वनों की कटाई, खनन और अवसंरचना विकास।
- **अत्यधिक दोहन:** असंधारणीय शिकार, मछली पकड़ना और जैविक संसाधनों का दोहन।
- **जलवायु परिवर्तन:** तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाएँ।
- **प्रदूषण:** रसायन, प्लास्टिक, सीवेज और कृषि प्रदूषक।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ:** देशज प्रजातियों को प्रभावित करने वाली प्रतिस्पर्धा और परभक्षण।

वैश्विक महत्व:

- यह रिपोर्ट कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) को लागू करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उलटना तथा 2050 तक प्रकृति-सकारात्मक विश्व प्राप्त करना है।
- ये निष्कर्ष जैव विविधता पर अभिसमय (CBD), सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और भारत की जैव विविधता संबंधी प्रतिबद्धताओं के लिए भी प्रासंगिक हैं।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में:

- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। मूल रूप से इसका नाम वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड था। वर्ष 1986 में इसने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नाम अपनाया, जबकि WWF संक्षिप्त नाम को बरकरार रखा।
- इसका मिशन प्रकृति का संरक्षण करना और जैव विविधता के लिए खतरों का समाधान करना है। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्रों में जलवायु, खाद्य, वन, मीठा पानी, महासागर और वन्यजीव शामिल हैं। इसका प्रतिष्ठित लोगो विशाल पांडा है।
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है और जैव विविधता के रुझानों का अध्ययन करने के लिए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का उपयोग करती है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की पहल:

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं:
 - » **अर्थ आवर (Earth Hour):** पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2007 में सिडनी में शुरू किया गया।
 - » **ऋण-के-बदले-प्रकृति स्वैप (Debt-for-Nature Swaps):** ऐसे तंत्र जो ऋण राहत को संरक्षण निवेश से जोड़ते हैं।
- WWF ने मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल (MSC) की स्थापना में भी सहायता की।
- **डब्ल्यूडब्ल्यूएफ - इंडिया:** डब्ल्यूडब्ल्यूएफ – इंडिया की स्थापना 1969 में एक धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास के रूप में की गई थी और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसकी संरक्षण प्राथमिकताओं में बाघ, हाथी, गैंडा, लाल पांडा, हिम तेंदुआ और नीलगिरि तहर जैसी प्रजातियाँ तथा तराई आर्क लैंडस्केप जैसे परिदृश्य शामिल हैं।

निष्कर्ष:

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जैव विविधता का नुकसान तेजी से एक पारिस्थितिकी तंत्र-स्तरीय संकट बनता जा रहा है। इसलिए संरक्षण को केवल व्यक्तिगत प्रजातियों की सुरक्षा तक सीमित रखने के बजाय आवास के पुनर्स्थापन, टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों और प्रकृति के नुकसान के मूल कारणों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

मध्य प्रदेश में जंगली जल भैंसों का पुनः प्रवर्तन

संदर्भ:

हाल ही में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व की सुपखार रेंज में 17 हेक्टेयर के बाड़े में आठ जंगली जल भैंसों को छोड़ा। इन भैंसों को मध्य प्रदेश में इस प्रजाति को पुनः स्थापित करने के लिए चलाए जा रहे चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत असम के काजीरंगा

राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया है। यह प्रजाति लगभग एक शताब्दी पहले मध्य प्रदेश के जंगलों से विलुप्त हो गई थी।

जंगली जल भैंस के बारे में:

- जंगली जल भैंस (Bubalus arnee) दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की मूल निवासी एक बड़ी गोवंशीय प्रजाति है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह प्रजाति पर्याप्त जल संसाधनों वाले घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और वन क्षेत्रों में निवास करती है। यह अपने आवास के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है और इन भैंसों का स्रोत है।

स्थानांतरण और अनुकूलन:

- चार भैंसों का पहला समूह, जिसमें तीन मादाएँ और एक नर शामिल था, 28 अप्रैल 2026 को कान्हा पहुँचा। चार भैंसों का दूसरा समूह, जिसमें समान लिंग संरचना थी, 9 मई 2026 को पहुँचा। वर्तमान समूह में छह मादाएँ और दो नर शामिल हैं।
- शुरुआत में, इन जानवरों को संगरोध (क्वारंटीन) और अनुकूलन के लिए एक हेक्टेयर के बाड़े में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संगरोध से विभिन्न पशु आबादियों के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। मानसून के मौसम के बाद इन जानवरों को धीरे-धीरे उनके प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है।

पुनः प्रवर्तन कार्यक्रम:

- मध्य प्रदेश का लक्ष्य तीन वर्षों में कान्हा क्षेत्र में 50 जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करना है। असम ने चरणबद्ध तरीके से इन जानवरों की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में बाड़े में मौजूद आठ भैंसें इसी कार्यक्रम का हिस्सा हैं और उन्हें अभी तक खुले जंगल में नहीं छोड़ा गया है।

महत्त्व और चुनौतियाँ:

- इस पहल का उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना, एक संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में सहायता करना और वन्यजीव प्रबंधन में अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करना है। हालाँकि, इसकी सफलता उपयुक्त आवास, पर्याप्त भोजन और पानी, आनुवंशिक विविधता, रोगों की रोकथाम तथा दीर्घकालिक निगरानी पर निर्भर करती है।
- संभावित चुनौतियों में मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास का क्षरण और घरेलू भैंसों के साथ संकरण शामिल हैं। इस कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता के लिए वैज्ञानिक निगरानी और समुदाय की भागीदारी आवश्यक होगी।

निष्कर्ष:

कान्हा में जंगली जल भैंसों का पुनः प्रवर्तन मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता केवल जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उनके अस्तित्व, प्रजनन और प्राकृतिक आवास के अनुकूल होने को सुनिश्चित करने पर भी निर्भर करेगी।

किगाली संशोधन के 10 वर्ष

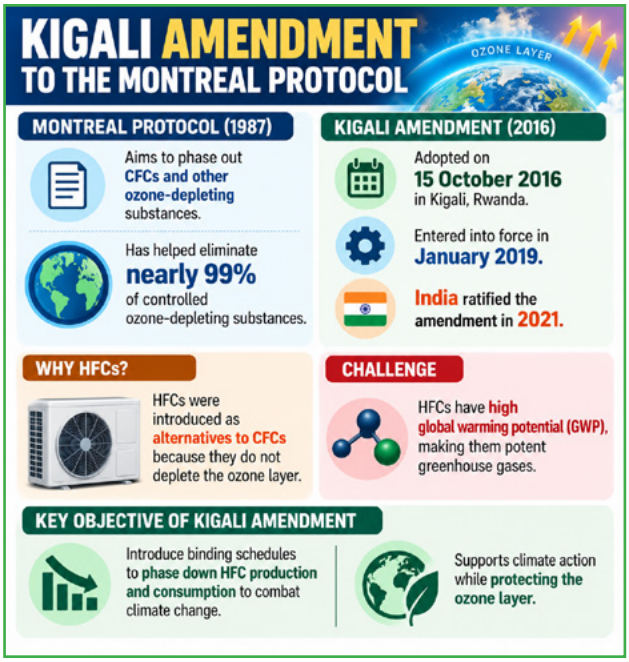
संदर्भ:

हाल ही में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन ने 15 अक्टूबर 2026 को अपनी 10वीं वर्षगाँठ पूरी की। वर्ष 2016 में अपनाए गए इस संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) का चरणबद्ध तरीके से उपयोग कम करना है। HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, जिनका उपयोग प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। इससे वर्ष 2100 तक वैश्विक तापवृद्धि को 0.5°C तक रोकने में मदद मिल सकती है। वर्ष 2035 तक भारत में शीतलन की माँग दोगुने से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में ऊर्जा-कुशल उपकरण और रेफ्रिजरेंट का बेहतर प्रबंधन महत्त्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि:

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन को 15 अक्टूबर 2016 को किगाली, रवांडा में अपनाया गया था और यह जनवरी 2019 में लागू हुआ। वर्ष 1987 में अपनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और अन्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इसने लगभग 99% नियंत्रित ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने में मदद की है।

- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को CFCs के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हालाँकि, इनकी उच्च वैश्विक तापन क्षमता (GWP) इन्हें शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बनाती है। इसलिए, किगाली संशोधन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए HFCs के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु बाध्यकारी समय-सीमा निर्धारित की गई। भारत ने वर्ष 2021 में इस संशोधन की पुष्टि की।



प्रमुख प्रावधान और भारत की प्रतिबद्धताएँ:

- **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) में चरणबद्ध कमी:** अलग-अलग देशों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में धीरे-धीरे कमी करना।
- **भारत के लक्ष्य:** वर्ष 2028 में HFCs के उत्पादन और खपत को स्थिर करना, वर्ष 2032 में सहमत आधार स्तर से 10% की कमी करना और वर्ष 2047 तक 85% की कमी हासिल करना।
- **वित्तीय सहायता:** बहुपक्षीय कोष विकासशील देशों को वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ अपनाने और अनुपालन लागत को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी परिवर्तन:** जलवायु-अनुकूल रेफ्रिजरेंट और बेहतर शीतलन दक्षता को बढ़ावा देना।

भारत के लिए महत्त्व:

- भारत में बढ़ते तापमान, शहरीकरण और आय में वृद्धि के कारण एयर कंडीशनर तथा प्रशीतन की माँग बढ़ रही है। ऊर्जा-कुशल उपकरण बिजली की खपत, घरेलू खर्च और विद्युत अवसंरचना पर दबाव को कम कर सकते हैं।
- यह परिवर्तन हरित विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। रेफ्रिजरेंट की बेहतर पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को और कम किया जा सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- किफायती शीतलन की माँग में तेजी से वृद्धि।
- ऊर्जा-कुशल उपकरणों की उच्च प्रारंभिक लागत।
- वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट से संबंधित सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताएँ।
- सर्विसिंग और निपटान के दौरान रेफ्रिजरेंट का रिसाव।
- निर्माताओं और छोटे उद्यमों के लिए वित्तपोषण तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच संबंधी बाधाएँ।

आगे की राह:

- भारत को न्यूनतम ऊर्जा-प्रदर्शन मानकों को मजबूत करना चाहिए, कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए तथा रेफ्रिजरेंट की पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान का विस्तार करना चाहिए। तकनीशियनों के कौशल विकास, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता और सतत शीतलन अवसंरचना में निवेश आवश्यक हैं।
- निष्क्रिय शीतलन, बेहतर भवन डिजाइन, शहरी हरित क्षेत्र और जिला शीतलन प्रणाली ऊर्जा-गहन एयर कंडीशनिंग पर निर्भरता को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

किगाली संशोधन दर्शाता है कि बाध्यकारी लक्ष्यों, तकनीकी नवाचार और वित्तीय सहायता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है। भारत के लिए HFCs में चरणबद्ध कमी को ऊर्जा-कुशल शीतलन और जिम्मेदार रेफ्रिजरेंट प्रबंधन के साथ जोड़ना बढ़ती शीतलन आवश्यकताओं तथा जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।

सुखना झील और सौज झील को रामसर स्थल का दर्जा

संदर्भ:

15 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि तथा उत्तर प्रदेश की सौज झील को अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया। जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 103 हो गई। यह उपलब्धि भारत में जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमियों के सतत प्रबंधन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

सुखना झील (Sukhna Wetland):

- **भौगोलिक स्थिति:** सुखना झील चंडीगढ़ में बाह्य हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। लगभग 565 एकड़ में फैली यह आर्द्रभूमि शहरी क्षेत्र के निकट एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
 - » यह मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway) से होकर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन, प्रजनन, विश्राम और शीतकालीन आवास उपलब्ध कराती है।
 - » यहाँ संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड (Aythya ferina), पैलस फिश ईगल (Haliaeetus leucoryphus) और ब्लैक पॉन्ड टर्टल (Geoclemys hamiltonii) जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - » यह आसपास के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले जल और तलछट के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता करती है।
 - » यह चंडीगढ़ के निवासियों के लिए मनोरंजन, पर्यावरणीय शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ाव का महत्त्वपूर्ण केंद्र है।

सौज झील (Sauj Jheel):

- **भौगोलिक स्थिति:** सौज झील उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित एक उथली झील है। इसके आसपास कृषि भूमि फैली हुई है। यह आर्द्रभूमियों के व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है और रामसर स्थल समान पक्षी विहार के निकट स्थित है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
 - » यहाँ कमल और जंगली गन्ना (Saccharum spontaneum) जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
 - » यह झील नियमित रूप से 30,000 से अधिक जलपक्षियों को आश्रय प्रदान करती है।
 - » इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - » यहाँ सुभेद्य सारस क्रेन (Grus antigone) और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (Clanga clanga) जैसी पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

रामसर कन्वेंशन क्या है?

- रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था तथा यह 1975 में प्रभावी हुई। भारत वर्ष 1982 में इसका पक्षकार बना।
- इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।



प्रमुख चुनौतियाँ:

- **गाद का जमाव:** सुखना झील में जलग्रहण क्षेत्र से आने वाली मिट्टी और तलछट जलधारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** बाहरी वनस्पतियों का प्रसार स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा है।
- **मानवीय दबाव:** शहरीकरण, पर्यटन, प्रदूषण और कृषि गतिविधियाँ प्राकृतिक आवासों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **आवासों का क्षरण एवं विनाश:** शहरीकरण, भूमि पुनर्ग्रहण, अतिक्रमण और बुनियादी ढाँचे के विस्तार से आर्द्रभूमियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं।
- **जैव विविधता पर दबाव:** सौज झील में अनियंत्रित मत्स्य आखेट तथा मवेशियों की आवाजाही पक्षियों और अन्य जीवों के आवास को

प्रभावित कर सकती है।

- **प्रभावी प्रबंधन एवं निगरानी का अभाव:** आर्द्रभूमियों की नियमित निगरानी, वैज्ञानिक आँकड़ों की उपलब्धता, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संरक्षण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी भी एक प्रमुख चुनौती है।

संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय:

- जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं नमी संरक्षण को बढ़ावा देना।
- जल गुणवत्ता और जैव विविधता की नियमित निगरानी करना।
- आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करना तथा प्राकृतिक आवासों का पुनर्स्थापन करना।
- सौज झील में मौसमी मत्स्य आखेट प्रतिबंध और बारीक जालों के उपयोग पर नियंत्रण जैसे उपाय अपनाना।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संरक्षण एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष:

सुखना झील और सौज झील को रामसर स्थल का दर्जा मिलना भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय मान्यता तभी सार्थक होगी, जब वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रभावी निगरानी और जनभागीदारी के माध्यम से इन आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक अखंडता बनाए रखी जाए। यह सतत विकास, जल सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

केरलम वन्यजीव सर्वेक्षण में दर्ज की गईं 36 नई प्रजातियां

संदर्भ:

हाल ही में, केरल वन एवं वन्यजीव विभाग ने ट्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी (TNHS) के सहयोग से 8 से 11 अक्टूबर, 2026 तक चार दिवसीय वन्यजीव सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में केरल के तीन अभयारण्यों में वन्यजीवों के 36 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में पक्षियों, तितलियों और ड्रैगनफ्लाई एवं डैम्सलफ्लाई (Odonates) की कुल 395 प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जिनमें पश्चिमी घाट की 24 स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:

- इस सर्वेक्षण में दस आधार शिविरों के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया:
 - » चिम्मोनी वन्यजीव अभयारण्य
 - » पीची-वाझानी वन्यजीव अभयारण्य
 - » चुलन्नूर मोर अभयारण्य
- प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे:
 - » **पक्षी:** 165 प्रजातियाँ, जिनमें चेकलिस्ट में 8 नई प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
 - » **तितलियाँ:** 174 प्रजातियाँ, जिनमें चेकलिस्ट में 22 नई प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
 - » **ओडोनेट्स (ड्रैगनफ्लाई और डैम्सलफ्लाई):** 56 प्रजातियाँ, जिनमें चेकलिस्ट में 6 नई प्रविष्टियाँ शामिल हैं।
- सर्वेक्षण में पतंगों की 52 प्रजातियाँ, चींटियों की 22 प्रजातियाँ, सिकाडा की 5 प्रजातियाँ और मकड़ियों की लगभग 30 प्रजातियाँ भी दर्ज की गईं। इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुए, एशियाई हाथी और गौर भी पाए गए।

दर्ज की गई प्रमुख प्रजातियाँ:

- प्रमुख प्रजातियों में मालाबार लार्क, पर्पल हेरॉन, साइबेरियन स्टोनचैट और ईस्टर्न येलो वैगटेल शामिल हैं।
- पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियों में मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पैराकीट, मालाबार बैडेड पीकॉक, मालाबार रोज़ और ट्रावणकोर बैम्बूटेल दर्ज की गईं।
- ये निष्कर्ष क्षेत्रीय जैव विविधता के बारे में जानकारी बढ़ाते हैं। इन नए रिकॉर्ड का अर्थ मौजूदा प्रजाति-सूचियों में नई प्रविष्टियाँ जुड़ना है, न कि आवश्यक रूप से विज्ञान के लिए नई प्रजातियों की खोज होना।

जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्त्व:

- **पश्चिमी घाट की जैव विविधता:** पश्चिमी घाट वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ प्रजातियों की समृद्ध विविधता और स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य:** तितलियाँ परागण में योगदान देती हैं, जबकि ड्रैगनफ्लाई और डैम्सलफ्लाई कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ये मीठे पानी के आवासों की स्थिति के संकेतक भी हो सकते हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** सत्यापित प्रजाति-सूचियाँ उनके वितरण के स्वरूप को समझने में मदद करती हैं और संरक्षण की आवश्यकता वाले आवासों की पहचान करने में सहायक होती हैं।
- **साक्ष्य-आधारित प्रबंधन:** विश्वसनीय जैव विविधता संबंधी आँकड़े

आवासों के पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और वन्यजीवों की दीर्घकालिक निगरानी में सहायता करते हैं।

चुनौतियाँ:

- आवासों का विखंडन, जलवायु परिवर्तन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, आधारभूत आँकड़ों की कमी और दुर्लभ प्रजातियों की पहचान शामिल हैं। एक ही मौसम में किए गए सर्वेक्षणों में प्रवासी या मौसमी प्रजातियाँ भी छूट सकती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा:

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** नागरिकों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** यह वन्यजीव संरक्षण, शिकार पर प्रतिबंध और संरक्षित क्षेत्रों के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसके 2022 के संशोधन ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया।
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002**: यह जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को बढ़ावा देता है। इसके 2023 के संशोधन ने नियामक ढाँचे को अद्यतन किया।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** यह केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और उसमें सुधार करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

वन्यजीवों के 36 अतिरिक्त रिकॉर्ड दर्ज होना केरल के वन क्षेत्रों के पारिस्थितिक महत्त्व को उजागर करता है। नियमित, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित और अलग-अलग मौसमों में किए जाने वाले जैव विविधता सर्वेक्षण संरक्षण रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं तथा पश्चिमी घाट की दीर्घकालिक सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं।

उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 जारी की। इसमें चेतावनी दी गई है कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखना, बिना इस सीमा को महत्त्वपूर्ण रूप से पार किए, अब संभव नहीं रह गया है।

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट क्या है?

- UNEP द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित यह रिपोर्ट अनुमानित वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन स्तरों के बीच के अंतर का आकलन करती है।
- वर्ष 2026 का संस्करण इस रिपोर्ट का 17वाँ संस्करण है।



रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **वैश्विक उत्सर्जन:** वर्ष 2025 में GHG उत्सर्जन 58.4 गीगाटन CO_2 समतुल्य ($GtCO_2e$) तक पहुँच गया, जो वर्ष 2024 की तुलना में 0.1 $GtCO_2e$ की मामूली कमी दर्शाता है।
- **जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन:** समग्र उत्सर्जन में मामूली गिरावट के बावजूद कोयले, तेल और गैस से होने वाला CO_2 उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहा।
- **प्रमुख योगदानकर्ता:** अफ्रीकी संघ को छोड़कर G20 के सदस्य देशों का वैश्विक उत्सर्जन में 76% योगदान रहा। भूमि उपयोग में परिवर्तन को छोड़कर इनका उत्सर्जन वर्ष 2025 में 0.7% बढ़ गया।
- **उत्सर्जन की प्रवृत्तियाँ:** पिछले दशक में 63 देशों ने उत्सर्जन में कमी दर्ज की, जबकि 124 देशों में उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई।
- **तापमान संबंधी रिकॉर्ड:** वर्ष 2024 में वैश्विक तापमान 1.5°C के स्तर को पार कर गया, जो जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

1.5°C का लक्ष्य महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- पेरिस समझौते के तहत 1.5°C की सीमा का उद्देश्य जलवायु संबंधी जोखिमों को सीमित करना है। इस सीमा को पार करने से अत्यधिक गर्मी की लहरों, बाढ़, सूखे, समुद्र-स्तर में वृद्धि और जैव विविधता के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है।

आवश्यक कदम:

- न्यूनतम संभावित सीमा-अतिक्रमण (Overshoot) के साथ 1.5°C के मार्ग पर वापस लौटने के लिए वैश्विक GHG उत्सर्जन में वर्ष 2025 के स्तर की तुलना में निम्नलिखित कमी आवश्यक है:
 - » वर्ष 2030 तक 18%
 - » वर्ष 2035 तक 45%
 - » वर्ष 2040 तक 69%
- सदी के अंत तक तापमान को वापस 1.5°C या उससे नीचे लाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon Dioxide Removal) भी आवश्यक होगा।

चुनौतियाँ:

- जीवाश्म ईंधनों पर निरंतर निर्भरता।
- अपर्याप्त जलवायु नीतियाँ और उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी प्रतिबद्धताएँ।
- विभिन्न देशों के बीच ऐतिहासिक जिम्मेदारी और उत्सर्जन में असमानता।
- विकासशील देशों में वित्तीय और तकनीकी बाधाएँ।
- उत्सर्जन-गहन बुनियादी ढाँचे की निगरानी और उन्नयन में कठिनाई।

आगे की राह:

- नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करना।
- पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को मजबूत करना।
- विकासशील देशों को जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि करना।
- ऊर्जा दक्षता, सतत परिवहन और वन संरक्षण को बढ़ावा देना।
- तत्काल उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देते हुए विश्वसनीय कार्बन निष्कासन प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

भारत के लिए महत्त्व:

- भारत को जलवायु कार्रवाई के साथ-साथ विकास और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा दक्षता में सुधार, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना और वनों का संरक्षण भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।
- जलवायु समानता और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत के अनुरूप विकसित देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट संकेत देती है कि 1.5°C की सीमा को पूरी तरह पार होने से रोकना अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं रह गया है। अब प्राथमिकता तत्काल उत्सर्जन कटौती, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई के माध्यम से इस सीमा के अतिक्रमण की मात्रा और अवधि को न्यूनतम करने पर होनी चाहिए।

असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति की खोज

संदर्भ:

हाल ही में, शोधकर्ताओं बरनाली दास और नमिता नाथ ने असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पीय पौधे की एक नई प्रजाति ओस्बेकिया असामेंसिस (Osbeckia assamensis) की पहचान की है। यह शोध 22 अक्टूबर को वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोटेक्सा (Phytotaxa) में प्रकाशित हुआ। यह खोज वर्ष 2021 से 2025 के बीच किए गए व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के बाद सामने आई है।

प्रजाति की प्रमुख विशेषताएँ:

- ओस्बेकिया असामेंसिस (Osbeckia assamensis) मेलास्टोमैटेसी (Melastomataceae) कुल से संबंधित है। यह एक बहुवर्षीय झाड़ी है, जो लगभग 2–2.5 मीटर ऊँची होती है।
- इसमें 3–3.5 सेमी आकार के गुलाबी फूल लगते हैं तथा प्रत्येक पुष्पक्रम में लगभग 30–35 फूल होते हैं। इसमें फूल आने और फल लगने की अवधि सितंबर से फरवरी तक रहती है।
- यह प्रजाति निकट संबंधी ओस्बेकिया नायरी (Osbeckia nayarii) के समान दिखाई देती है, लेकिन तने की संरचना, फूलों की व्यवस्था, बाह्यदलपुंज (Calyx) के किनारों पर बालों की उपस्थिति और बीजों

के आकार जैसी आकारिकी संबंधी विशेषताओं में इससे भिन्न है।

- इसका मूल नमूना (Type Specimen) 8 अक्टूबर, 2022 को मानस राष्ट्रीय उद्यान से एकत्र किया गया था, जबकि एक अन्य नमूने का दस्तावेजीकरण अक्टूबर 2025 में किया गया।

मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसकी सीमा भूटान से लगती है। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था तथा यह मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इसे बाघ अभयारण्य और हाथी अभयारण्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
- ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस इस क्षेत्र से होकर बहती है। इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय वन, जलोढ़ घास के मैदान और नदीय पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जो समृद्ध जैव विविधता को सहारा देते हैं। यहाँ के प्रमुख जीव-जंतुओं में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडा और गोल्डन लंगूर शामिल हैं।

पारिस्थितिक और वैज्ञानिक महत्त्व:

- यह खोज पहले से दर्ज नहीं की गई प्रजातियों की पहचान करने में व्यवस्थित वनस्पति सर्वेक्षणों, वर्गिकी अनुसंधान और हर्बेरियम अध्ययनों के महत्त्व को दर्शाती है। इससे पौधों की विविधता के बारे में वैज्ञानिक समझ बेहतर होती है तथा घास के मैदानों के पारिस्थितिक महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।
- ये मैदान विशिष्ट पादप समुदायों और वन्यजीवों को सहारा देते हैं। ऐसी खोजें उन प्रजातियों की पहचान करके संरक्षण संबंधी योजनाओं को भी दिशा दे सकती हैं, जिनके वितरण और पारिस्थितिक आवश्यकताओं की आगे जाँच करना आवश्यक है।

IUCN संरक्षण स्थिति:

- शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के मानदंडों के अंतर्गत ओस्बेकिया असामेंसिस (Osbeckia assamensis) को डेटा की कमी (Data Deficient—DD) की श्रेणी में रखा है, क्योंकि वर्तमान में यह प्रजाति केवल अपने मूल खोज-स्थल से ज्ञात है।
- इसके विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। डेटा की कमी की श्रेणी का अर्थ यह नहीं है कि कोई प्रजाति अनिवार्य रूप से संकटग्रस्त है या पूरी तरह सुरक्षित है।

बद्रीनाथ में लटकते ग्लेशियरों से खतरा

संदर्भ:

हाल ही में, 28 अक्टूबर, 2026 को लैंड्स्लाइड्स (Landslides) जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में उत्तराखंड के बद्रीनाथ के ऊपर स्थित तीन लटकते ग्लेशियरों (Hanging Glaciers) की संवेदनशीलता का आकलन किया गया। यह शोध भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।

लटकते ग्लेशियर क्या हैं?

- लटकते ग्लेशियर बर्फ के ऐसे विशाल भंडार होते हैं, जो खड़ी पर्वतीय ढलानों पर स्थित होते हैं या चट्टानी ढलानों के किनारों पर अचानक समाप्त हो जाते हैं। इनका संबंध घाटी के तल से नहीं होता है। इनकी स्थिरता तापमान, ढलान के कोण, बर्फ की मोटाई और आधार पर मौजूद प्रतिरोध पर निर्भर करती है।
- जब ये ग्लेशियर अस्थिर हो जाते हैं, तो इनके बर्फ के कुछ हिस्से टूटकर नीचे की ओर गिर सकते हैं, जिससे हिमस्खलन (Ice Avalanches) की घटनाएँ हो सकती हैं। इस तरह की घटनाओं में चट्टानें, बर्फ, पानी और मलबा भी बहकर नीचे आ सकता है, जिससे बस्तियों और बुनियादी ढाँचे को व्यापक नुकसान पहुँच सकता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए सबसे खराब स्थिति (Worst-case Scenario) के अनुसार, सबसे अधिक जोखिम वाले लटकते ग्लेशियर के ढहने से उत्पन्न हिमस्खलन लगभग 398 इमारतों, 2.66 किलोमीटर सड़कों, दो पुलों, एक हेलीपैड और एक पार्किंग क्षेत्र को नुकसान पहुँचा सकता है।
- अध्ययन में पाया गया कि बद्रीनाथ मंदिर के सीधे तौर पर इसकी चपेट में आने की आशंका नहीं है। हालाँकि, जमा हुई चट्टानें और मलबा संभावित रूप से मंदिर परिसर को प्रभावित कर सकते हैं।

बद्रीनाथ क्यों संवेदनशील है?

- बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 3,415 मीटर की ऊँचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है और वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ लगभग 17 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे।

- खड़ी हिमालयी ढलानों, ग्लेशियरों और संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच स्थित होने के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते पर्यटन और बुनियादी ढाँचे के विकास से ऐसे खतरों के संभावित प्रभाव और अधिक बढ़ जाते हैं।

तीन लटकते ग्लेशियरों का आकलन:

- शोधकर्ताओं ने 30 डिग्री या उससे अधिक औसत ढलान वाले ग्लेशियरों की पहचान करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों और ऊँचाई संबंधी मॉडलों का उपयोग किया। इसके बाद संख्यात्मक सिमुलेशन (Numerical Simulations) के माध्यम से उनके बर्फ के आयतन, मोटाई और संवेदनशील हिस्सों का आकलन किया गया।
- तीनों ग्लेशियरों में दूसरे ग्लेशियर स्थल में सबसे अधिक नुकसान की संभावना पाई गई। इसमें बर्फ का अनुमानित आयतन 5.32 मिलियन घन मीटर और ढलान का कोण 34.57 डिग्री पाया गया।
- सिमुलेटेड हिमस्खलन की स्थिति में इसकी अधिकतम गति 78.5 मीटर प्रति सेकंड और प्रवाह की ऊँचाई लगभग 73.5 मीटर तक पहुँच सकती है।

जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर से संबंधित जोखिम:

- जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्रायोस्फीयर (Himalayan Cryosphere) की संवेदनशीलता को बढ़ा रहा है। इसमें ग्लेशियर, बर्फ का आवरण और पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) शामिल हैं।
- बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज होती है और बर्फ की स्थिरता प्रभावित होती है। पर्माफ्रॉस्ट के क्षरण से पर्वतीय ढलान कमजोर हो सकती हैं, जबकि ग्लेशियरों के पीछे हटने से हिमनद झीलों (Glacial Lakes) का निर्माण और विस्तार हो सकता है। इससे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods-GLOFs) का खतरा बढ़ जाता है।
- इन प्रक्रियाओं के कारण भूस्खलन, हिमस्खलन और आकस्मिक बाढ़ जैसी परस्पर जुड़ी आपदाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- एक पूर्व अध्ययन में 219 लटकते ग्लेशियरों की पहचान की गई थी, जिनमें से लगभग 30% अलकनंदा बेसिन में स्थित थे।



प्रमुख चुनौतियाँ:

- ग्लेशियर से संबंधित आपदाओं के प्रबंधन में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें सीमित वैज्ञानिक निगरानी, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अपर्याप्त जोखिम मानचित्रण और अनियोजित बुनियादी ढाँचा विकास शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, बर्फ की मोटाई, टूटकर गिरने वाली बर्फ के आयतन और घर्षण संबंधी मापदंडों का अनुमान लगाने में अनिश्चितता हिमस्खलन के सिमुलेशन की सटीकता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, निरंतर क्षेत्रीय अवलोकन और वैज्ञानिक सत्यापन आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

बद्रीनाथ से संबंधित यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं के प्रति हिमालयी बस्तियों की बढ़ती संवेदनशीलता को उजागर करता है। हालाँकि, अध्ययन के निष्कर्ष निकट भविष्य में ग्लेशियर के ढहने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन वे आपदा की तैयारी के लिए एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। हिमालयी समुदायों और तीर्थस्थलों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक निगरानी, जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग नियोजन और सतत बुनियादी ढाँचा विकास आवश्यक हैं।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



इसरो का NVS-03 मिशन: भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'NavIC' को मिलेगी नई मजबूती

संदर्भ:

हाल ही में 30 अक्टूबर 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने प्रक्षेपण यान GSLV-F18 के माध्यम से अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। NVS-03 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित किया गया है। यह भारत की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली 'नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन' (NavIC) को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मिशन भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।

NavIC क्या है?

- NavIC (Navigation with Indian Constellation) भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (Indian Regional Navigation Satellite System–IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
- इस प्रणाली का विकास इसरो द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को स्थान निर्धारण, नेविगेशन और सटीक समय (Positioning, Navigation and Timing–PNT) से संबंधित स्वतंत्र सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- NavIC को भारत के संपूर्ण भूभाग तथा इसकी सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है:
 - » **मानक स्थिति निर्धारण सेवा (Standard Positioning Service–SPS):** यह आम नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध सेवा है। इसका उपयोग मोबाइल नेविगेशन, परिवहन, समुद्री गतिविधियों और अन्य नागरिक कार्यों में किया जा सकता है।
 - » **प्रतिबंधित सेवा (Restricted Service–RS):** यह अधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सेवा है, जिसका उपयोग रक्षा तथा अन्य अधिकृत रणनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

NavIC के विकास की आवश्यकता:

- भारत में स्वतंत्र उपग्रह नेविगेशन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी थी।
- वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता की सीमाओं का अनुभव हुआ। उस समय भारत ने अमेरिका से GPS (Global Positioning System) की सहायता मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य उपयोग के लिए सटीक जीपीएस डेटा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। इस अनुभव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा अभियानों और आपातकालीन परिस्थितियों में किसी दूसरे देश की नेविगेशन प्रणाली पर पूर्ण निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकती है।
- इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी स्वतंत्र

क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली विकसित करने की दिशा में कदम उठाया। वर्ष 2006 में IRNSS परियोजना को स्वीकृति दी गई और इसके बाद उपग्रहों के विकास एवं प्रक्षेपण की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2016 में इस प्रणाली को NavIC नाम दिया गया।

NVS-03 मिशन की प्रमुख विशेषताएँ:

NVS-03, NavIC की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की शृंखला का तीसरा उपग्रह है। इस पीढ़ी में कुल पाँच उपग्रहों (NVS-01 से NVS-05) की परिकल्पना की गई है। इनका उद्देश्य पुरानी पीढ़ी के उपग्रहों का स्थान लेना तथा नेविगेशन सेवाओं की निरंतरता और विश्वसनीयता बढ़ाना है।

- **प्रक्षेपण यान GSLV-F18:** NVS-03 को GSLV-F18 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में लगभग 2,250 किलोग्राम वजनी उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। NVS-03 का डिजाइन लगभग 12 वर्षों की परिचालन अवधि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ISRO के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) द्वारा विकसित I-2K सैटेलाइट बस आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है, जो उपग्रह के विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों को एकीकृत करने में सहायता करता है।
- **स्वदेशी परमाणु घड़ी (Indigenous Atomic Clock):** NVS-03 में भारत में विकसित परमाणु घड़ी को शामिल किया गया है। इसके साथ कुछ अन्य आयातित परमाणु घड़ियाँ भी लगाई गई हैं। NVS-03 में रुबिडियम आधारित स्वदेशी परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है, जिसे ISRO के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC) द्वारा विकसित किया गया है। यह अत्यंत सटीक समय निर्धारण में सहायता करती है, जो उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।



- **L1 फ्रीक्वेंसी बैंड का समावेश:** NVS-03 में पहले से उपलब्ध L5 और S बैंड के अतिरिक्त L1 फ्रीक्वेंसी बैंड भी शामिल किया गया है। इससे NavIC की आधुनिक नागरिक नेविगेशन उपकरणों के साथ अनुकूलता बढ़ेगी। विशेष रूप से L1 बैंड का उपयोग करने वाले स्मार्टफोन और अन्य उपभोक्ता उपकरणों में NavIC के उपयोग की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
- **बेहतर नेविगेशन क्षमता:** यह उपग्रह भारत की स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय सेवाओं को अधिक मजबूत बनाने में सहायता करेगा। इससे नागरिक और रणनीतिक दोनों क्षेत्रों में सेवाओं की निरंतरता बेहतर होने की उम्मीद है।

उपग्रह नेविगेशन प्रणाली कैसे कार्य करती है?

- उपग्रह नेविगेशन प्रणाली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित होती है। ये उपग्रह लगातार रेडियो सिग्नल प्रसारित करते हैं, जिनमें उनकी सटीक स्थिति और समय से संबंधित जानकारी शामिल होती है।
- जब कोई स्मार्टफोन, वाहन या नेविगेशन उपकरण इन उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है, तो वह सिग्नल के आने में लगे समय के आधार पर उपग्रह से अपनी दूरी का अनुमान लगाता है।
- इसके बाद कई उपग्रहों से प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके रिसीवर अपनी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया को त्रिलैटरेशन (Trilateration) कहा जाता है।
- सामान्यतः त्रि-आयामी स्थिति (अक्षांश, देशांतर और ऊँचाई) तथा रिसीवर की घड़ी की त्रुटि का निर्धारण करने के लिए कम-से-कम चार उपग्रहों के संकेतों की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार, उपग्रह नेविगेशन प्रणाली केवल स्थान की जानकारी ही नहीं देती, बल्कि गति, दिशा और सटीक समय निर्धारण में भी सहायता करती है।

NavIC के लिए NVS-03 क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- NavIC की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यशील उपग्रहों का उपलब्ध होना आवश्यक है। समय के साथ कुछ पुराने उपग्रहों की परमाणु घड़ियों में तकनीकी खराबी आने के कारण प्रणाली की परिचालन क्षमता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह अपने प्रणोदन तंत्र में तकनीकी समस्या के कारण निर्धारित परिचालन कक्षा तक नहीं पहुँच सका। इस स्थिति में NavIC के कार्यशील उपग्रहों की संख्या में कमी आई और स्वतंत्र स्थिति निर्धारण सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई।
- NVS-03 का सफल प्रक्षेपण इस कमी को दूर करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इसने NavIC तारामंडल को मजबूत करने तथा न्यूनतम आवश्यक उपग्रह विन्यास को बहाल करने की दिशा में प्रगति की है। हालाँकि, उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने, परीक्षण और परिचालन सेवाओं के लिए सक्रिय करने की प्रक्रिया भी आवश्यक है।

भारत की अन्य वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों से तुलना:

- वर्तमान में विश्व के कुछ प्रमुख देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी स्वतंत्र उपग्रह नेविगेशन प्रणालियाँ विकसित की हैं।

देश/क्षेत्र	नेविगेशन प्रणाली
अमेरिका	GPS (Global Positioning System)
रूस	GLONASS
यूरोपीय संघ	Galileo
चीन	BeiDou
जापान	QZSS
भारत	NavIC

- इन प्रणालियों में GPS, GLONASS, Galileo और BeiDou वैश्विक स्तर पर सेवाएँ प्रदान करती हैं, जबकि NavIC मुख्य रूप से भारत और इसके आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित क्षेत्रीय प्रणाली है।
- इस प्रकार, NavIC भारत को वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों के समान एक स्वतंत्र तकनीकी क्षमता प्रदान करती है। साथ ही, यह भारत की विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करती है।

NavIC के प्रमुख अनुप्रयोग:

- **रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा:** सैन्य वाहनों, नौसैनिक जहाजों, विमानों और अन्य रक्षा प्रणालियों के स्थान निर्धारण में सहायता मिलती है। इससे रणनीतिक अभियानों में विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
- **परिवहन एवं यातायात प्रबंधन:** सड़क परिवहन, रेलवे, विमानन और सार्वजनिक परिवहन में वाहनों की निगरानी तथा मार्ग निर्धारण को बेहतर बनाया जा सकता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** मछुआरों को समुद्र में अपनी स्थिति जानने, सुरक्षित मार्ग निर्धारित करने तथा समुद्री सीमाओं के निकट गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- **कृषि क्षेत्र:** सटीक कृषि (Precision Agriculture) में खेतों का मानचित्रण, कृषि मशीनों का संचालन, सिंचाई और उर्वरकों के प्रभावी उपयोग में नेविगेशन तकनीक उपयोगी हो सकती है।
- **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव दलों की स्थिति निर्धारित करने तथा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में सहायता मिलती है।
- **दूरसंचार एवं वित्तीय सेवाएँ:** दूरसंचार नेटवर्क, बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन में सटीक समय निर्धारण की आवश्यकता होती

है। NavIC की समय सेवाएँ इन क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती हैं।

भारत के लिए NVS-03 मिशन का रणनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व:

- **तकनीकी आत्मनिर्भरता:** NVS-03 में स्वदेशी परमाणु घड़ी का समावेश भारत को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली होने से भारत रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील गतिविधियों में बाहरी देशों पर निर्भरता कम कर सकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** स्मार्टफोन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार और अन्य डिजिटल सेवाओं में NavIC के उपयोग से घरेलू तकनीकी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका:** यह मिशन भारत की उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण और उन्नत अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **वन नेशन, वन टाइम पहल:** सटीक उपग्रह आधारित समय सेवाएँ देश में एक समान और विश्वसनीय समय संदर्भ विकसित करने की दिशा में सहायक हो सकती हैं।

NavIC प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **पुराने उपग्रहों की तकनीकी समस्याएँ:** NavIC के कुछ पुराने उपग्रहों में परमाणु घड़ियों की खराबी ने इसकी परिचालन क्षमता को प्रभावित किया है। इसलिए उपग्रहों की नियमित निगरानी और समय पर प्रतिस्थापन आवश्यक है।
- **सीमित क्षेत्रीय कवरेज:** NavIC मुख्य रूप से भारत और आसपास के 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र तक सीमित है। इसकी तुलना में GPS जैसी प्रणालियाँ वैश्विक कवरेज प्रदान करती हैं।
- **नागरिक उपकरणों में सीमित स्वीकार्यता:** NavIC की सफलता के लिए स्मार्टफोन, वाहन और अन्य उपभोक्ता उपकरणों में इसके अनुकूल चिपसेट तथा रिसीवर की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है।
- **तकनीकी आत्मनिर्भरता:** परमाणु घड़ियों, उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्त्वपूर्ण घटकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **सिग्नल की सुरक्षा:** आधुनिक युद्ध और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जैमिंग (Jamming) तथा स्पूफिंग (Spoofing) जैसी चुनौतियों से NavIC को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।

आगे की राह:

- NavIC प्रणाली को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए भारत को NVS-04 और NVS-05 सहित अगली पीढ़ी के उपग्रहों का समयबद्ध प्रक्षेपण सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, परमाणु घड़ियों, नेविगेशन चिपसेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो सके।
- इस दिशा में स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाकर NavIC आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के विकास को गति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, रेलवे और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में NavIC के उपयोग का विस्तार करना होगा, जिससे आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही, सिग्नल की सटीकता, साइबर सुरक्षा, जैमिंग और स्पूफिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

NVS-03 मिशन भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। NavIC केवल एक नेविगेशन प्रणाली नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी संप्रभुता का महत्त्वपूर्ण आधार है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता केवल उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उनकी परिचालन विश्वसनीयता, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और आम नागरिकों के बीच व्यापक स्वीकार्यता पर भी निर्भर करेगी। भारत को NavIC को एक मजबूत, सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से उपयोगी नेविगेशन प्रणाली के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2026

संदर्भ:

5 अक्टूबर 2026 को स्वीडन ने वर्ष 2026 के लिए चिकित्सा (Physiology or Medicine) के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों- कार्ल डीसेरोथ (अमेरिका), पीटर हेगेमैन (जर्मनी) और जॉर्ज नागेल (जर्मनी) को दिया गया है। इन्हें 'लाइट-गेटेड आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) के विकास और इसके माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

क्या है ऑप्टोजेनेटिक्स?

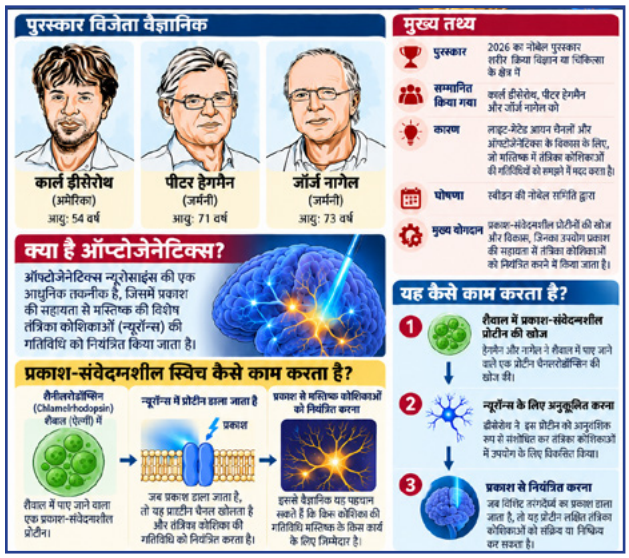
- ऑप्टोजेनेटिक्स न्यूरोसाइंस की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें प्रकाश (Light) की सहायता से विशेष तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रकाश-संवेदनशील प्रोटीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें ऑप्सिन (Opsin) कहा जाता है।
- वैज्ञानिक इन प्रोटीनों को विशिष्ट न्यूरॉन्स में व्यक्त कराते हैं। इसके बाद प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का उपयोग करके इन न्यूरॉन्स को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है।
- इससे वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि मस्तिष्क के किसी विशेष हिस्से में मौजूद न्यूरॉन्स किस प्रकार व्यवहार, स्मृति, भावनाओं और अन्य जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

वैज्ञानिकों का योगदान:

- पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने सूक्ष्मजीवों में पाए जाने वाले प्रकाश-संवेदनशील प्रोटीनों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसंधान ने यह समझने में मदद की कि प्रकाश के माध्यम से कोशिकाओं की विद्युत गतिविधि को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है।
- कार्ल डीसेरोथ ने इन खोजों को न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्य ने वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के विशिष्ट न्यूरॉन्स को प्रकाश की सहायता से नियंत्रित करने का व्यावहारिक तरीका प्रदान किया। इससे न्यूरल सर्किट और उनके व्यवहार से संबंध का अधिक सटीक अध्ययन संभव हुआ।

चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में इसका महत्व:

- **मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझना:** मस्तिष्क मानव शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है। ऑप्टोजेनेटिक्स वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि मस्तिष्क की विशिष्ट कोशिकाएं हमारी यादों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहारों को कैसे संचालित करती हैं।



- **न्यूरोलॉजिकल विकारों का उपचार:** इस तकनीक ने पार्किंसंस (Parkinson's), अल्जाइमर (Alzheimer's), मिर्गी (Epilepsy), डिप्रेशन (Depression) और अंधेपन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की नई दिशा दी है। प्रकाश के माध्यम से क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स को लक्षित कर उन्हें पुनर्जीवित या नियंत्रित किया जा सकता है।
- **सटीकता (Precision):** पारंपरिक दवाएं या दवा उपचार पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके विपरीत, ऑप्टोजेनेटिक्स केवल उन्हीं कोशिकाओं को प्रभावित करता है जिन्हें लक्षित किया जाता है।
- ऑप्टोजेनेटिक्स ने न्यूरोसाइंस में "कारण और प्रभाव" को समझने की क्षमता को मजबूत किया है। केवल यह देखना कि किसी न्यूरॉन की गतिविधि किसी व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है, पर्याप्त नहीं है। ऑप्टोजेनेटिक्स के माध्यम से वैज्ञानिक उस न्यूरॉन को नियंत्रित करके यह भी जांच सकते हैं कि उसके सक्रिय या निष्क्रिय होने से व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। इस प्रकार यह तकनीक मस्तिष्क, व्यवहार और रोगों के बीच संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण साबित हो सकती है।

निष्कर्ष:

2026 का नोबेल पुरस्कार यह दर्शाता है कि आधुनिक विज्ञान किस प्रकार प्रकाश जैसी सरल भौतिक घटना का उपयोग करके मानव मस्तिष्क जैसी

अत्यंत जटिल जैविक प्रणाली को समझने के नए रास्ते खोल रहा है। ऑप्टोजेनेटिक्स भविष्य में न्यूरोलॉजिकल रोगों की बेहतर समझ और संभावित उपचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2026

संदर्भ:

हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 अक्टूबर 2026 को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए बेल्जियम-अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस हाल्जेन को सम्मानित करने की घोषणा की। उन्हें यह पुरस्कार आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला (IceCube Neutrino Observatory) के निर्माण में उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज में निर्णायक योगदान के लिए दिया गया है। यह उपलब्धि आधुनिक खगोल भौतिकी और 'मल्टी-मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी' के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रो. फ्रांसिस हाल्जेन और उनका योगदान:

- फ्रांसिस हाल्जेन का जन्म 1944 में बेल्जियम में हुआ था। उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में भौतिकी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर तथा आइसक्यूब परियोजना के मुख्य अन्वेषक हैं।
- उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार 1988 में सामने आया, जब उन्होंने सुझाव दिया कि अंटार्कटिका की गहरी और अत्यंत पारदर्शी बर्फ का उपयोग एक विशाल न्यूट्रिनो डिटेक्टर के रूप में किया जा सकता है। बाद में यही विचार आइसक्यूब वेधशाला की आधारशिला बना।

आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला:

- आइसक्यूब विश्व की सबसे अनोखी और विशाल न्यूट्रिनो वेधशालाओं में से एक है। यह अंटार्कटिका के अमंडसन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन के निकट स्थित है। इसका डिटेक्टर सतह से लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर नीचे जमी हुई बर्फ में लगभग एक घन किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 86 केबलों पर 5,000 से अधिक डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल लगाए गए हैं।
- जब अंतरिक्ष से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो बर्फ के परमाणुओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो म्यूऑन जैसे आवेशित कण उत्पन्न हो सकते हैं। ये कण बर्फ में प्रकाश की गति की तुलना में अधिक गति से चलते हैं और चेरेनकोव विकिरण नामक हल्की नीली चमक उत्पन्न करते हैं। आइसक्यूब के सेंसर इस प्रकाश को रिकॉर्ड करके न्यूट्रिनो की दिशा और ऊर्जा का अनुमान लगाते हैं।



न्यूट्रिनो को 'घोस्ट पार्टिकल्स' क्यों कहा जाता है?

- न्यूट्रिनो अत्यंत सूक्ष्म उप-परमाण्विक कण हैं। इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता और इनका पदार्थ के साथ अंतःक्रिया बहुत कमजोर होती है। यही कारण है कि अरबों-खरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे शरीर और पृथ्वी के आर-पार लगभग बिना किसी रुकावट के गुजरते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें 'घोस्ट पार्टिकल्स' या 'भूतिया कण' कहा जाता है।
- न्यूट्रिनो का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये सुपरनोवा, ब्लैक होल और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जैसी अत्यधिक ऊर्जावान ब्रह्मांडीय घटनाओं की जानकारी पृथ्वी तक ला सकते हैं। चूंकि वे विद्युत आवेशित नहीं होते, इसलिए वे चुंबकीय क्षेत्रों से बहुत कम प्रभावित होते हैं और अपने स्रोत की अधिक प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं।

वैज्ञानिक महत्व:

- फ्रांसिस हाल्जेन और आइसक्यूब की उपलब्धि ने मल्टी-मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी को नई दिशा दी है। अब वैज्ञानिक केवल प्रकाश, एक्स-रे या अन्य विद्युतचुंबकीय विकिरण के माध्यम से ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिनो जैसे कणों के माध्यम से भी ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं।
- इससे ब्रह्मांड की उन घटनाओं को समझने में मदद मिल रही है जो पारंपरिक दूरबीनों के लिए अदृश्य रही हैं। इस प्रकार, आइसक्यूब वेधशाला ने मानवता को ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका दिया

है और आधुनिक भौतिकी तथा खगोल विज्ञान के बीच संबंध को और मजबूत किया है।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2026

संदर्भ:

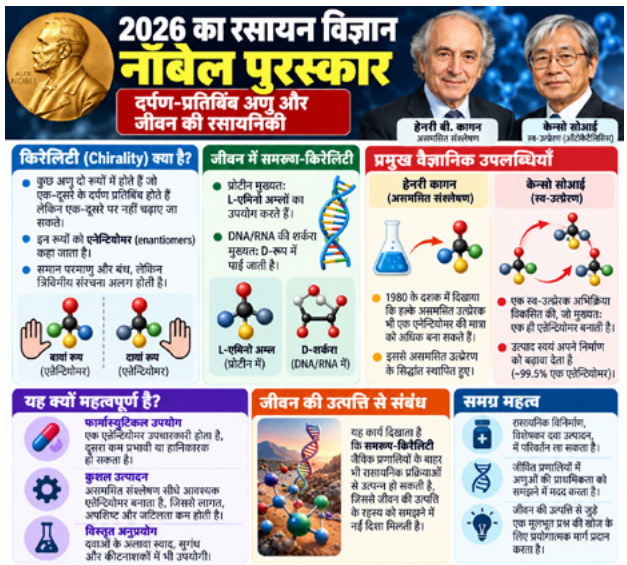
2026 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान हेनरी बी. कगन (Henri B. Kagan) और केन्सो सोआई (Kenso Soai) को चिरैलिटी और असममित संश्लेषण पर उनके अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार किसी अणु के एक दर्पण-प्रतिबिंबित रूप का प्राथमिकता से उत्पादन कर सकती है। उनके कार्य का औषधीय क्षेत्र तथा जीवन के आधारभूत रसायन को समझने में महत्वपूर्ण प्रभाव है।

चिरैलिटी क्या है?

- चिरल अणु (Chiral molecules) दो ऐसे रूपों में मौजूद होते हैं जो एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक-दूसरे पर पूर्णतः आरोपित नहीं किए जा सकते। यह बाएँ और दाएँ हाथ के समान है। इन रूपों को एनैन्टियोमर (Enantiomers) कहा जाता है।
- इनमें समान परमाणु और रासायनिक बंध होते हैं, लेकिन उनकी त्रि-आयामी व्यवस्था अलग होती है।
- जैविक प्रणालियाँ समचिरलता (Homochirality) प्रदर्शित करती हैं — अर्थात वे किसी एक एनैन्टियोमर को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देती हैं।
 - » प्रोटीन मुख्य रूप से L-अमीनो अम्लों का उपयोग करते हैं।
 - » DNA/RNA में पाई जाने वाली शर्कराएँ मुख्य रूप से D-रूप में होती हैं।

प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियाँ:

- **हेनरी कगन – असममित संश्लेषण:**
 - » पहले, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में आमतौर पर दोनों एनैन्टियोमर लगभग समान मात्रा में उत्पन्न होते थे। कगन ने प्रदर्शित किया कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है।
 - » 1980 के दशक में उन्होंने दिखाया कि एक हल्का चिरल उत्प्रेरक भी दोनों एनैन्टियोमर के बीच बहुत अधिक असंतुलन उत्पन्न कर सकता है।
 - » इसने असममित उत्प्रेरण (Asymmetric Catalysis) के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया, जिससे रसायनज्ञ किसी वांछित आणविक रूप का चयनात्मक रूप से उत्पादन कर सके।
- **केन्सो सोआई – स्व-उत्प्रेरण:**
 - » इसके बाद सोआई ने स्व-उत्प्रेरक अभिक्रियाओं (Autocatalytic Reactions) का अध्ययन किया, जिसमें किसी अभिक्रिया का उत्पाद स्वयं एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
 - » उन्होंने एक ऐसी स्व-उत्प्रेरक अभिक्रिया विकसित की, जो मुख्य रूप से एक एनैन्टियोमर का उत्पादन करने में सक्षम थी।
 - » चयनित एनैन्टियोमर स्वयं के अधिक निर्माण को बढ़ावा दे सकता था, यह एक स्व-सुदृढ़ीकरण/स्व-प्रतिकृति प्रक्रिया थी।
 - » इस अभिक्रिया ने लगभग 99.5% एक ही एनैन्टियोमर प्राप्त किया, जो जैविक प्रणालियों में देखी जाने वाली मजबूत आणविक प्राथमिकता के करीब है।



यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **औषधीय अनुप्रयोग:**
 - » औषधि विकास में चिरैलिटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैविक रिसेप्टर और एंजाइम एनैन्टियोमर के बीच अंतर कर सकते हैं।
 - » एक एनैन्टियोमर वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान कर सकता है, जबकि दूसरा कम प्रभावी या संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है।
 - » पहले, औषधि निर्माता अक्सर दोनों रूपों के मिश्रण का

उत्पादन करते थे और बाद में वांछित एनैन्टियोमर को अलग करते थे।

» असममित संश्लेषण सीधे आवश्यक एनैन्टियोमर का उत्पादन कर सकता है, जिससे लागत, अपशिष्ट और प्रसंस्करण की जटिलता कम हो सकती है।

» इसका महत्व औषधियों के अलावा स्वाद, सुगंध और कीटनाशकों तक भी विस्तृत है, जो जैविक प्रणालियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं।

- **जीवन की उत्पत्ति से संबंध:**
 - » यह कार्य दर्शाता है कि जैविक प्रणालियों के बाहर रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समचिरलता उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, यह अपने आप में यह नहीं समझाता कि जीवन ने किसी विशेष आणविक अभिविन्यास को क्यों चुना। यह इस लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न की जाँच के लिए एक प्रायोगिक मार्ग प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

2026 का रसायन विज्ञान नोबेल इस बात को रेखांकित करता है कि अणुओं के त्रि-आयामी अभिविन्यास को नियंत्रित करना रासायनिक विनिर्माण, विशेष रूप से औषधि उत्पादन, में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। साथ ही, यह जीव विज्ञान के एक मौलिक रहस्य, जीवन कुछ अणुओं के एक दर्पण-प्रतिबिंबित रूप को अत्यधिक प्राथमिकता क्यों देता है, को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेत भी प्रदान करता है।

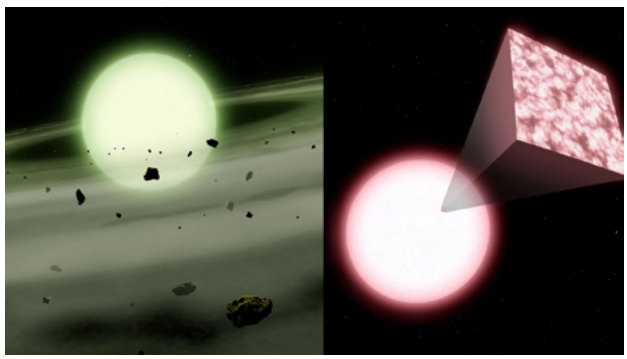
खगोलविदों ने हरे-सफेद बौने तारे WD J1330+6435 की खोज की

संदर्भ:

हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसे तारे की पहचान की है, जो असामान्य रूप से पीले-हरे रंग की चमक बिखेरता है। इस तारे का नाम WD J1330+6435 है। यह एक सफेद बौना (White Dwarf) है। इसकी वायुमंडलीय परतों में मौजूद सोडियम और हीलियम के बीच होने वाली अंतःक्रिया के कारण यह असामान्य रंग दिखाई देता है। इस खोज से पता चलता है कि परमाणुओं के व्यवहार और प्रकाश के अध्ययन से ब्रह्मांड की कई अनोखी घटनाओं को समझा जा सकता है।

सफेद बौना क्या है?

- सफेद बौना एक अत्यंत सघन और गर्म तारकीय अवशेष है, जो सूर्य जैसे कम या मध्यम द्रव्यमान वाले तारे के परमाणु ईंधन समाप्त होने और अपनी बाहरी परतों को छोड़ देने के बाद बचता है। इसका निर्माण तब होता है, जब तारा विकसित होकर लाल दानव (Red Giant) बन जाता है और अपने बाहरी पदार्थ को अंतरिक्ष में उत्सर्जित कर देता है। इस प्रक्रिया में अक्सर एक ग्रहीय नीहारिका (Planetary Nebula) का निर्माण होता है।
- सफेद बौने का द्रव्यमान सामान्यतः सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इसका आकार पृथ्वी के समान होता है। इस कारण यह ब्रह्मांड की सबसे सघन वस्तुओं में से एक है। यह परमाणु संलयन (Nuclear Fusion) के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है।
- इसके बजाय, यह इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दाब (Electron Degeneracy Pressure) के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में और अधिक संकुचित होने से बचा रहता है। यह दाब पाउली अपवर्जन सिद्धांत (Pauli Exclusion Principle) का परिणाम है।
- चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit), जो सूर्य के द्रव्यमान की लगभग 1.4 गुना है, उस अधिकतम द्रव्यमान को दर्शाती है जिसे एक सफेद बौना स्थिर अवस्था में सहन कर सकता है। इस सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर, उपयुक्त परिस्थितियों में, यह टाइप Ia सुपरनोवा (Type Ia Supernova) विस्फोट को जन्म दे सकता है।
- अरबों वर्षों में सफेद बौना धीरे-धीरे ठंडा होता जाता है और सैद्धांतिक रूप से अंततः काला बौना (Black Dwarf) बन सकता है। हालाँकि, ब्रह्मांड की आयु अभी इतनी अधिक नहीं हुई है कि कोई काला बौना बन पाया हो।



यह तारा हरा क्यों दिखाई देता है?

- वायुमंडल में अत्यधिक घनत्व की परिस्थितियों के कारण सोडियम और हीलियम के बीच होने वाली अंतःक्रिया सोडियम के प्रकाश-अवशोषण स्पेक्ट्रम को बदल देती है।

- पीली, नारंगी और लाल रंग की कुछ तरंगदैर्घ्यों का अधिक अवशोषण होने से तारा पीले-हरे रंग का दिखाई देता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से वैज्ञानिक तारों के वायुमंडल में मौजूद तत्त्वों की पहचान करते हैं और उनके विकास की प्रक्रिया को समझते हैं।

अन्य तारकीय अवशेष:

- **न्यूट्रॉन तारा:** न्यूट्रॉन तारे का निर्माण तब होता है, जब पर्याप्त द्रव्यमान वाले तारे का क्रोड (Core) संकुचित होकर ढह जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः सुपरनोवा विस्फोट के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। एक न्यूट्रॉन तारे में सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान लगभग 20 किलोमीटर व्यास वाले क्षेत्र में समाहित हो सकता है। पल्सर (Pulsar) नियमित अंतराल पर विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं, जबकि मैग्नेटर (Magnetar) में अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है।
- **ब्लैक होल:** ब्लैक होल का निर्माण तब होता है, जब किसी तारे का क्रोड इतना अधिक संकुचित होकर ढह जाता है कि न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का दाब भी उसे स्थिर रखने में सक्षम नहीं होता। ब्लैक होल के घटना क्षितिज (Event Horizon) के भीतर पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है। श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या (Schwarzschild Radius) एक ऐसे ब्लैक होल के घटना क्षितिज की त्रिज्या को दर्शाती है, जो घूर्णन नहीं करता और जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता।

तुलना:

विशेषता	सफेद बौना	न्यूट्रॉन तारा	ब्लैक होल
सहारा देने वाला बल या दाब	इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दाब	न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का दाब	पारंपरिक मॉडल में कोई ज्ञात दाब गुरुत्वीय संकुचन को नहीं रोक पाता
अनुमानित आकार	पृथ्वी के आकार के समान	शहर के आकार के समान	घटना क्षितिज द्वारा परिभाषित
प्रमुख अवधारणा	चंद्रशेखर सीमा	टोलमैन-ओपेनहाइमर-वोल्कॉफ (TOV) सीमा	घटना क्षितिज

निष्कर्ष:

हरे रंग की आभा वाला यह सफेद बौना दर्शाता है कि स्थापित भौतिक नियम भी ब्रह्मांड में अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। यह खोज तारों के जीवन चक्र और उनके विकास की प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ को और व्यापक बनाती है।

आदित्य-L1 मिशन ने सौर विस्फोट की गतिशीलता का खुलासा किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के पहले समर्पित सौर मिशन आदित्य-L1 ने अपने दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (Visible Emission Line Coronagraph—VELC) पेलोड का उपयोग करके सौर कोरोना की नई डॉप्लर वेग छवियाँ तैयार की हैं। ये छवियाँ सौर विस्फोटों के दौरान सौर प्लाज्मा की गति की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। इससे वैज्ञानिकों को कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

आदित्य-L1 मिशन के बारे में:

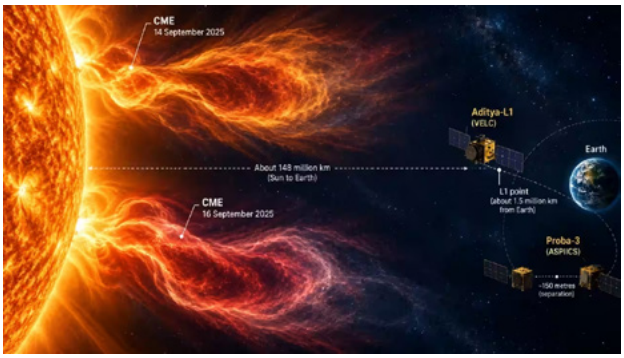
- आदित्य-L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 2 सितंबर, 2023 को PSLV-C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य–पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु-1 (L1) के चारों ओर हेलो कक्षा में कार्य करता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल, सौर गतिविधियों, सौर पवन और उनसे संबंधित अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अध्ययन करना है।
- इस अंतरिक्ष यान में दूरस्थ संवेदन और प्रत्यक्ष मापन के लिए सात वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। L1 पर इसकी स्थिति सूर्य का अपेक्षाकृत निर्बाध दृश्य प्रदान करती है, जिससे सौर गतिविधियों की लगातार निगरानी संभव होती है।

प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष:

- दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC) डॉप्लर वेग इमेजिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों को सौर प्लाज्मा की गति का अध्ययन करने में सहायता करता है।
- इन अवलोकनों से पता चलता है कि प्लाज्मा प्रेक्षक की ओर बढ़ रहा है या उससे दूर जा रहा है। साथ ही, ये सौर विस्फोटों के दौरान

सौर पदार्थ के प्रसार की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- पारंपरिक छवियों के साथ वेग मापन को जोड़कर आदित्य-L1 सौर गतिशीलता की वैज्ञानिक समझ को बेहतर बनाता है। यह मिशन सौर अवलोकन और वैज्ञानिक आँकड़ों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है।



कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के बारे में:

- कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल मात्रा में बाहर निकलने की घटनाएँ हैं। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती हैं और अंतरिक्ष में भारी मात्रा में आवेशित कण छोड़ सकती हैं।
- जब पृथ्वी की ओर आने वाले CME, पृथ्वी के चुंबकमंडल के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो वे भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यवधान उपग्रहों, रेडियो संचार, नौवहन प्रणालियों और विद्युत पारेषण नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं।

डॉप्लर प्रभाव की भूमिका:

- डॉप्लर प्रभाव से तात्पर्य स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण किसी तरंग की प्रेक्षित तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन से है। सौर अवलोकनों में, नीला विस्थापन (Blueshift) सामान्यतः यह दर्शाता है कि प्लाज्मा प्रेक्षक की ओर बढ़ रहा है, जबकि लाल विस्थापन (Redshift) यह दर्शाता है कि प्लाज्मा प्रेक्षक से दूर जा रहा है।
- इन वर्णक्रमीय विस्थापनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक प्लाज्मा के वेग का अनुमान लगा सकते हैं और सौर विस्फोटों की दिशा का अध्ययन कर सकते हैं। इससे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे केवल सामान्य छवियों के माध्यम से पूरी तरह समझना संभव नहीं है।

भारत के लिए महत्त्व:

- आदित्य-L1 अंतरिक्ष मौसम के बेहतर आकलन और उससे निपटने की तैयारी में योगदान दे सकता है। सौर विस्फोटों की बेहतर समझ से उपग्रह संचालकों को संभावित व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाने तथा संचार और नौवहन सेवाओं की सुरक्षा करने में मदद मिल सकती है।
- यह विद्युत ग्रिड और अन्य महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों को प्रभावित करने वाले भू-चुंबकीय तूफानों के आकलन में भी सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, उन्नत सौर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में देश के योगदान को बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

आदित्य-L1 भारत की सौर अनुसंधान क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। प्लाज्मा की गति से संबंधित इसके अवलोकन कोरोनल मास इजेक्शन की समझ को गहरा कर सकते हैं और अंतरिक्ष मौसम के आकलन में सुधार कर सकते हैं। निरंतर अनुसंधान और मिशन से प्राप्त आँकड़ों का प्रभावी उपयोग महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करने तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

PHP2Shell कमजोरियाँ: AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचा

संदर्भ:

हाल ही में, लाखों वेबसाइटों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा PHP में दो गंभीर कमजोरियों के कारण 21 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर में आपातकालीन सुरक्षा अपडेट और एहतियातन सिस्टम बंद करने की घटनाएँ सामने आईं। जापान के वित्त मंत्रालय, अमेरिका के मानव संसाधन प्लेटफॉर्म BambooHR, रॉटरडैम बंदरगाह और विकिमीडिया फाउंडेशन सहित कई सेवाएँ अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो गईं, क्योंकि संबंधित संगठन अपने सिस्टम को सुरक्षित करने में लगे हुए थे।

PHP क्या है और इसका व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है?

- PHP (Hypertext Preprocessor-हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर)

एक निःशुल्क और ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है, जो उन वेबसाइटों में से लगभग 70% के बैकएंड पर काम करती है, जिनकी सर्वर-साइड भाषा की पहचान की जा सकती है। यह लॉगिन, एप्लिकेशन और ऑनलाइन खरीदारी जैसी प्रक्रियाओं को संचालित करती है।

- वर्डप्रेस (WordPress), जो दुनिया भर की 40% से अधिक वेबसाइटों को संचालित करता है, भी PHP का उपयोग करता है। इसके व्यापक उपयोग के कारण इसमें मौजूद कमजोरियाँ सरकारी संस्थानों, व्यवसायों और मीडिया संगठनों की वेबसाइटों को प्रभावित कर सकती हैं।

PHP2Shell क्या है और यह खतरनाक क्यों है?

- PHP2Shell, PHP में मौजूद दो गंभीर कमजोरियों को संदर्भित करता है, जिनका फायदा उठाकर हमलावर बिना लॉगिन किए दूरस्थ रूप से दुर्भावनापूर्ण कोड चला सकते हैं या सर्वर की मेमोरी में मौजूद संवेदनशील जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
- साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ये कमजोरियाँ PHP के भीतर ही मौजूद हैं। इस कारण अलग-अलग वेबसाइटों की लॉगिन जाँच या सुरक्षा प्रणालियों के सक्रिय होने से पहले ही इनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- शोधकर्ताओं ने दो समस्याओं की पहचान की:
 - » **PHP में मेमोरी समाप्त होने से संबंधित समस्या:** जब कोई अनुरोध मेमोरी संबंधी त्रुटि उत्पन्न करता है, तो PHP अधूरी या अमान्य जानकारी को गलती से वैध मान सकता है। इससे हमलावरों को इस कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर मिल सकता है।
 - » **पहले से मौजूद जानकारी के पुनः उपयोग से संबंधित समस्या:** PHP पहले के अनुरोधों से जुड़ी आंतरिक जानकारी के पुराने संदर्भों का गलती से दोबारा उपयोग कर सकता है। इसके कारण बाद के अनुरोधों को गलत तरीके से संसाधित किया जा सकता है।
- हमलावर इन कमजोरियों का फायदा उठाकर ग्राहकों का डेटा, डेटाबेस पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं, वेबसाइटों में बदलाव कर सकते हैं, बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हैं या आंतरिक नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। AI उपकरण हमलावरों को ऐसे साइबर हमलों के लिए एक्सप्लॉइट अधिक तेजी से विकसित करने में भी सहायता कर सकते हैं।



वेबसाइटें ऑफलाइन क्यों हो गईं?

- साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने संगठनों को तुरंत सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी। जिन वेबसाइटों में समय पर सुरक्षा पैच लागू नहीं किए जा सकते थे, उन्हें साइबर हमले के जोखिम को कम करने के लिए अस्थायी रूप से ऑफलाइन करने की सलाह दी गई।
- PHP को अपडेट करना जटिल हो सकता है, क्योंकि इसका उपयोग होस्टिंग प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और तृतीय-पक्ष उत्पादों में किया जाता है। पुराने उपकरण भी अपडेट के लिए अपने निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं पर निर्भर हो सकते हैं।
- CERT-EU और भारत की CERT-In ने चेतावनियाँ जारी करते हुए प्रभावित संगठनों से सुरक्षा संबंधी सुधार लागू करने का आग्रह किया।

भारत के लिए निहितार्थ:

- यह घटना डिजिटल इंडिया सेवाओं, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, वित्तीय प्रणालियों और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए मौजूद जोखिमों को उजागर करती है। यह CERT-In की सलाहों, कमजोरियों के समन्वित प्रकटीकरण और मजबूत साइबर घटना प्रतिक्रिया तंत्र के महत्त्व को रेखांकित करती है।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

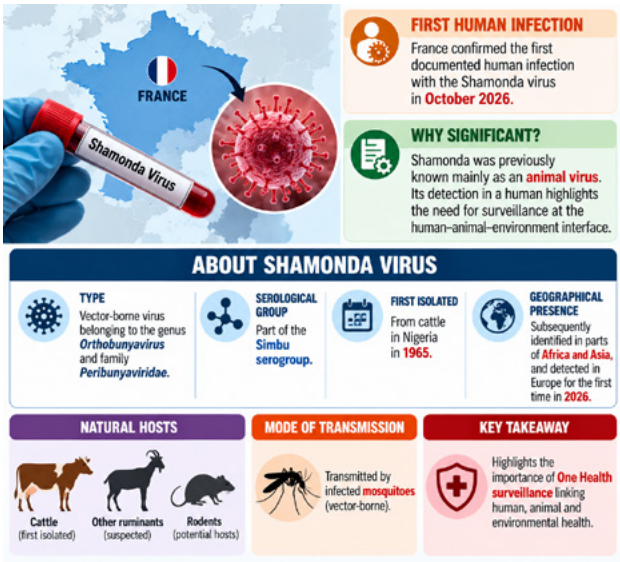
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000):** धारा 70 संरक्षित प्रणालियों से संबंधित है, धारा 70A महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा का प्रावधान करती है और धारा 70B CERT-In की साइबर घटना प्रतिक्रिया संबंधी भूमिका निर्धारित करती है।
- **CERT-In:** साइबर सुरक्षा संबंधी सलाह जारी करता है और साइबर घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करता है। इसके वर्ष 2022 के निर्देशों के अनुसार, निर्दिष्ट साइबर घटनाओं की जानकारी

का पता चलने या किसी संगठन के संज्ञान में आने के छह घंटे के भीतर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023):** धारा 8(5) के तहत डेटा न्यासियों (Data Fiduciaries) के लिए व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन को रोकने हेतु उचित सुरक्षा उपाय लागू करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

PHP2Shell यह दर्शाता है कि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन-सोर्स बुनियादी ढाँचे में मौजूद कमजोरियाँ किस प्रकार व्यापक और प्रणालीगत साइबर जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। एक सुदृढ़ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा, जिम्मेदार AI शासन और संस्थागत तैयारी को मजबूत करना आवश्यक है।



शमोंडा वायरस - फ्रांस में मानव संक्रमण का पहला दर्ज मामला

संदर्भ:

हाल ही में, फ्रांस ने अक्टूबर 2026 में शमोंडा वायरस से मानव संक्रमण के पहले प्रलेखित मामले की पुष्टि की। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले शमोंडा को मुख्य रूप से एक पशु वायरस के रूप में जाना जाता था। मनुष्य में इसका पता चलना मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच के संबंधों पर निगरानी के महत्व को उजागर करता है।

शमोंडा वायरस क्या है?

- शमोंडा वायरस एक वाहक-जनित वायरस है, जो ऑर्थोबुन्यावायरस वंश (genus) और पेरिबुन्याविरिडी परिवार (family) से संबंधित है। यह सिम्बू सीरोग्रुप का हिस्सा है और इसे पहली बार 1965 में नाइजीरिया में मवेशियों से अलग किया गया था।
- इसके बाद अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में इसकी पहचान की गई और 2026 में पहली बार यूरोप में इसका पता चला।
- यह वायरस मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है, हालाँकि भेड़ों, बकरियों, घोड़ों और अल्पाका में भी संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी पूर्ण महामारी-विज्ञान संबंधी विशेषताएँ और दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अनिश्चित हैं।

वायरस का संचरण कैसे होता है?

- शमोंडा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित क्यूलिकोइड्स मिज (Culicoides midges) के काटने से फैलता है। ये छोटे, काटने वाले, मक्खी जैसे कीट होते हैं। ये कीट वाहक के रूप में कार्य करते हैं और अतिसंवेदनशील पशुओं के बीच वायरस का संचरण करते हैं।
- सामान्य संपर्क के माध्यम से पशुओं के बीच प्रत्यक्ष संचरण स्थापित नहीं हुआ है, हालाँकि संक्रमित माँ से उसके भ्रूण में संक्रमण हो सकता है।

जूनोटिक स्पिलओवर और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:

- जूनोटिक स्पिलओवर तब होता है, जब कोई रोगजनक प्रजातियों की सीमा को पार करके पशुओं से मनुष्यों में पहुँच जाता है। इस जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में रोगजनक की विशेषताओं में बदलाव, मनुष्यों और पशुओं के बीच बढ़ता संपर्क, पारिस्थितिक परिवर्तन, वाहकों का वितरण और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों की संवेदनशीलता शामिल हो सकती है।
- फ्रांस के मामले में, अधिकारियों ने संक्रमित मिज के काटने से संक्रमण होने को प्रमुख परिकल्पना माना। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर थी और उसमें तंत्रिका संबंधी जटिलताएँ विकसित हुईं।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) की भूमिका:

- WOAH अंतरराष्ट्रीय पशु-स्वास्थ्य निगरानी, वैज्ञानिक सहयोग,

प्रयोगशाला निदान और सूचना-साझाकरण को समर्थन देता है। शमोंडा के मामले में, यह वायरस और मानव तथा पशु स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों की समझ को बेहतर बनाने के लिए संदर्भ केंद्रों, विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर रहा है।

आगे की राह:

- वन हेल्थ दृष्टिकोण यह मानता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत को पशु चिकित्सा निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण, वाहकों की निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन अधिकारियों के बीच सूचना-साझाकरण को मजबूत करना चाहिए।
- पशुधन में असामान्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाना, उभरते रोगजनकों पर अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग संभावित खतरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, इससे पहले कि वे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएँ बन जाएँ।

निष्कर्ष:

फ्रांस में शमोंडा वायरस से मानव संक्रमण का पहला लिखित मामला उभरती बीमारियों की निगरानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन केवल इससे यह संकेत नहीं मिलता कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कोई आसन्न आपातकाल है। जोखिम का सटीक आकलन करने के लिए निरंतर अनुसंधान, पारदर्शी रिपोर्टिंग और मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समन्वित निगरानी आवश्यक है।

डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS)

संदर्भ:

हाल के समय में, एनीमिया मुक्त भारत (AMB) के अंतर्गत भारत सरकार की संशोधित 7X7X7 रणनीति ने उन निवारक उपायों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, जिनका अभी तक पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। इनमें विशेष रूप से डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS) शामिल है, जो आयरन की लगातार बनी रहने वाली कमी को दूर करने और एनीमिया कम करने के भारत के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए एक किफायती एवं व्यापक जनसंख्या तक पहुँच वाला समाधान है।

एनीमिया क्या है?

- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हीमोग्लोबिन या स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।
- आयरन की कमी इसका एक प्रमुख कारण है, हालाँकि फोलेट और विटामिन B12 की कमी, संक्रमण, रक्तस्राव तथा आनुवंशिक विकार भी इसमें योगदान देते हैं। एनीमिया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता, आर्थिक उत्पादकता और समग्र मानव विकास को प्रभावित करता है।



डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS) क्या है?

- डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS) ऐसा खाद्य नमक है, जिसमें आयरन और आयोडीन दोनों मिलाए जाते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम में मदद करता है, जबकि आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग और मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के विकास में होने वाली बाधाओं जैसे विकारों को रोकने में सहायक होता है।
- चूँकि विभिन्न आय वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में नमक का नियमित रूप से सेवन किया जाता है, इसलिए DFS पूरक पोषण और आहार विविधता के साथ-साथ बड़े स्तर पर सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आपूर्ति का एक व्यावहारिक माध्यम प्रदान करता है।

डबल फोर्टिफाइड नमक की संभावनाएँ और महत्त्व:

- भारत का सार्वभौमिक नमक आयोडीनीकरण कार्यक्रम इस दिशा में एक स्थापित आधार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत लगभग 95% परिवार आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। बताया जाता है कि सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से चार राज्यों में लगभग 7.6 करोड़ लोगों तक DFS पहुँच रहा है।
- बेंगलुरु, दार्जिलिंग और पंजाब में किए गए परीक्षणों के साक्ष्य तथा उत्तर प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के अनुभव से संकेत मिलता है कि उपयुक्त फॉर्मूलेशन का उपयोग करने पर आयरन की स्थिति और

उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता में सुधार हो सकता है। लेख में उद्धृत एक वैश्विक समीक्षा के अनुसार, DFS एनीमिया में 21% तक की कमी ला सकता है।

- प्रति व्यक्ति लगभग ₹14–₹20 की अनुमानित वार्षिक लागत के साथ DFS एक किफायती निवारक उपाय है। मौजूदा नमक प्रसंस्करण सुविधाएँ, फोर्टिफिकेशन तकनीकें और प्रयोगशाला संबंधी बुनियादी ढाँचा बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा गुणवत्ता की निगरानी को सुगम बना सकते हैं।

मौजूदा नियामक और संस्थागत ढाँचा:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) DFS सहित फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए लागू मानक निर्धारित करता है। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति 7X7X7 दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें सात लाभार्थी समूह, सात हस्तक्षेप और सात संस्थागत तंत्र शामिल हैं। PM POSHAN और आंगनवाड़ी सेवाएँ बच्चों एवं माताओं के पोषण में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कमजोर परिवारों तक किफायती DFS की पहुँच बढ़ाने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है। हालाँकि, इसकी खरीद और कार्यान्वयन से संबंधित सटीक आवश्यकताओं की पुष्टि वर्तमान कार्यक्रम दिशा-निर्देशों से की जानी चाहिए।

प्रमुख चुनौतियाँ और बाधाएँ:

- डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS) को व्यापक स्तर पर अपनाने में प्रमुख बाधाएँ संस्थागत और परिचालन संबंधी हैं। PDS में DFS का एकीकरण अभी भी असमान है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन, वित्तपोषण और खरीद काफी हद तक राज्य स्तर के निर्णयों पर निर्भर करते हैं। खुदरा बाजार में सीमित उपलब्धता और अधिक कीमत के कारण परिवारों की पहुँच प्रभावित हो सकती है।
- अनुचित फॉर्मूलेशन या पैकेजिंग से नमक का रंग बदल सकता है और उसका स्वाद अप्रिय हो सकता है, जबकि नमी तथा रासायनिक अंतःक्रियाएँ पोषक तत्त्वों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
- जनस्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में नमक के सेवन को कम करने के महत्त्व और फोर्टिफिकेशन के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। साथ ही, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग जैसे हीमोग्लोबिन संबंधी आनुवंशिक विकारों की उचित चिकित्सकीय जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

डबल फोर्टिफाइड नमक (DFS) भारत को आयरन और आयोडीन की कमी से निपटने का एक किफायती एवं व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकने वाला अवसर प्रदान करता है। सार्वभौमिक नमक आयोडीनीकरण की सफलता के आधार पर, देशभर में DFS को अपनाने से एनीमिया मुक्त भारत के लक्ष्यों और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की दिशा में प्रगति तेज हो सकती है। इसकी तकनीकी संभावनाओं को वास्तविक जनस्वास्थ्य लाभ में बदलने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त वित्तपोषण, गुणवत्ता आश्वासन और अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी वितरण आवश्यक हैं।

डायमंडाइन: नया कार्बन अपररूप

संदर्भ:

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कार्बन के एक नए अपररूप (Allotrope) 'डायमंडाइन' (Diamondiyne) का सफलतापूर्वक संश्लेषण किया है। यह उपलब्धि पदार्थ विज्ञान (Materials Science) के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी संरचना हीरे के समान त्रिविमीय (3D) जाल जैसी है, लेकिन इसमें छिद्रयुक्त एवं खुली संरचना पाई जाती है। इस खोज ने कार्बन आधारित नवीन पदार्थों के विकास की संभावनाओं को बढ़ाया है।

डायमंडाइन क्या है?

- डायमंडाइन कार्बन का एक नया अपररूप है। अपररूप ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनमें एक ही रासायनिक तत्त्व के परमाणु अलग-अलग संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, हीरा, ग्रेफाइट और ग्राफीन सभी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन उनकी परमाण्विक संरचना अलग-अलग होती है, जिसके कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं।
- डायमंडाइन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
 - » यह कार्बन परमाणुओं से निर्मित एक त्रिविमीय जालदार संरचना वाला पदार्थ है।
 - » इसकी संरचना में हीरे की तरह मजबूत त्रिविमीय नेटवर्क पाया जाता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत अधिक छिद्रयुक्त है।
 - » इसमें कार्बन-कार्बन के एकल बंध (Single Bond) और त्रिबंध (Triple Bond) दोनों उपस्थित होते हैं।
 - » इसमें कार्बन के sp और sp^3 संकरण (Hybridisation) का मिश्रण पाया जाता है।
 - » इसकी विशेष परमाण्विक व्यवस्था इसे अन्य कार्बन अपररूपों

से अलग बनाती है।



डायमंडाइन का संश्लेषण कैसे किया गया?

- डायमंडाइन का संश्लेषण वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। लगभग तीन दशक पहले इसकी संरचना की सैद्धांतिक संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन इसे प्रयोगशाला में तैयार करना कठिन था।
- शोधकर्ताओं ने इसके संश्लेषण के लिए जल (Water) और क्लोरोफॉर्म (Chloroform) के बीच बनने वाले द्रव-द्रव अंतरापृष्ठ (Liquid-Liquid Interface) का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में नियंत्रित रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कार्बन परमाणुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसके परिणामस्वरूप डायमंडाइन युक्त पतली कार्बन फिल्म और छोटे क्रिस्टल प्राप्त हुए।
- इसकी परमाण्विक संरचना की पुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया।

कार्बन के प्रमुख अपररूपों से तुलना:

कार्बन की विशेषता यह है कि यह अलग-अलग प्रकार के रासायनिक बंध बनाकर विविध संरचनाएँ तैयार कर सकता है।

कार्बन अपररूप	प्रमुख विशेषताएँ
हीरा (Diamond)	त्रिविमीय संरचना, अत्यधिक कठोर एवं विद्युत का कुचालक
ग्रेफाइट (Graphite)	षट्कोणीय परतदार संरचना एवं विद्युत का सुचालक
ग्राफीन (Graphene)	कार्बन परमाणुओं की एकल द्विविमीय परत
फुलरीन (Fullerene)	पिंजरे जैसी बंद संरचना
कार्बन नैनोट्यूब	बेलनाकार नैनो संरचना
डायमंडाइन (Diamondiyne)	छिद्रयुक्त त्रिविमीय संरचना तथा sp और sp^3 संकरण

डायमंडाइन का वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्त्व:

- डायमंडाइन की खोज केवल कार्बन के एक नए अपररूप की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में नवीन पदार्थों के विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
 - » **इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में:** इसकी विशिष्ट परमाण्विक संरचना और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसके उपयोग की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।
 - » **नैनो प्रौद्योगिकी में:** इसकी छिद्रयुक्त संरचना नैनो स्तर पर पदार्थों के परिवहन और उनके व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकती है।
 - » **ऊर्जा एवं पदार्थ विज्ञान में:** इसके माध्यम से नई संरचनाओं और उन्नत कार्यात्मक पदार्थों के विकास का मार्ग खुल सकता है।
 - » **नवीन पदार्थों का संश्लेषण:** इसकी निर्माण तकनीक अन्य त्रिविमीय कार्बन संरचनाओं के विकास में भी सहायक हो सकती है।

निष्कर्ष:

डायमंडाइन का संश्लेषण कार्बन रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करके नए गुणों वाले पदार्थ विकसित किए जा सकते हैं। हालाँकि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग अभी शोध के प्रारंभिक चरण में हैं, फिर भी भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी और उन्नत पदार्थों के विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह खोज वैज्ञानिक अनुसंधान में नवाचार और अंतरविषयक सहयोग के महत्त्व को भी रेखांकित करती है।

6 आर्थिक मुद्दे

भारत में श्रम की बदलती प्रकृति: गिग अर्थव्यवस्था एवं घरेलू कार्यों की पहचान की आवश्यकता

संदर्भ:

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS) में व्यापक बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ते गिग एवं प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों तथा महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों को रोजगार के आंकड़ों में बेहतर ढंग से शामिल करना है। प्रस्तावित बदलाव जनवरी 2027 से लागू किए जाने हैं। इसके लिए मंत्रालय ने विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। यह पहल भारतीय श्रम बाजार की बदलती वास्तविकताओं को समझने और रोजगार की अधिक समावेशी परिभाषा विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

भारत में रोजगार आकलन की वर्तमान व्यवस्था:

- किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या औद्योगिक विकास के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि आर्थिक गतिविधियों में कितने लोग भाग ले रहे हैं और उन्हें किस प्रकार का रोजगार प्राप्त है। इसके लिए विश्वसनीय श्रम संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता होती है।
- भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का प्रमुख माध्यम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार, बेरोजगारी, श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जैसे संकेतकों का आकलन करना है।



- वर्तमान व्यवस्था में रोजगार के आंकड़े मुख्य रूप से वेतनभोगी, स्वरोजगार और आकस्मिक श्रम जैसी श्रेणियों पर आधारित होते हैं।

हालांकि, बदलती अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए स्वरूप उभर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों तथा घरों में किए जाने वाले अवैतनिक कार्यों को पारंपरिक रोजगार मापन व्यवस्था में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है। परिणामस्वरूप, श्रम बाजार की वास्तविक स्थिति का आकलन अधूरा रह जाता है।

गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार और नए रोजगार संबंध:

- डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार ने भारत में रोजगार के स्वरूप को तेजी से बदला है। अब बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक कार्यालयों या नियमित कार्यस्थलों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस व्यवस्था को गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
- गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जो स्थायी रोजगार के बजाय निश्चित अवधि, कार्य या परियोजना के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें टैक्सी चालक, खाद्य वितरण कर्मचारी, ऑनलाइन सेवा प्रदाता और स्वतंत्र पेशेवर शामिल हैं। ओला, उबर, जोमैटो, अमेजन और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- नीति आयोग की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 77 लाख गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक थे। वर्ष 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकती है। यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिग क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व को दर्शाती है।
- हालांकि, इन श्रमिकों की वास्तविक संख्या और उनकी कार्य परिस्थितियों का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि गिग कार्य अक्सर अनियमित होता है और कई लोग इसे अपनी मुख्य नौकरी के अतिरिक्त करते हैं। ऐसे में पारंपरिक सर्वेक्षणों में इनकी पहचान छूट सकती है।

PLFS में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव:

- मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बदलावों के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों की पहचान के लिए एक अलग द्वितीय चरण स्तरीकरण (Second Stage Stratum-SSS) विकसित किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों से पूछा जाएगा कि क्या पिछले 365 दिनों में परिवार का कोई सदस्य किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य कर रहा था।
- इसके अतिरिक्त, श्रमिकों से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर काम करने, इस प्रकार के रोजगार को चुनने के कारणों तथा कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।
- इन समस्याओं में लंबे कार्य घंटे, अत्यधिक गर्मी और बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां, अनिश्चित आय, दुर्घटनाओं से सुरक्षा का अभाव और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की कमी शामिल हैं।
- इस प्रकार, प्रस्तावित बदलाव केवल गिग श्रमिकों की संख्या का आकलन करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके रोजगार की गुणवत्ता और कार्य परिस्थितियों को समझने में भी सहायता करेंगे।

अवैतनिक घरेलू कार्यों को आर्थिक पहचान देने की आवश्यकता:

- प्रस्तावित सुधारों का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्यों को बेहतर ढंग से दर्ज करना है।
- भारतीय समाज में खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सहायता और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने जैसे कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों में पर्याप्त समय और श्रम लगता है, लेकिन इनके बदले प्रत्यक्ष आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता। इसलिए पारंपरिक रोजगार सर्वेक्षणों में इन्हें अक्सर रोजगार के रूप में दर्ज नहीं किया जाता।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 2024 के समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) के अनुसार, छह वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन साढ़े चार घंटे से अधिक समय अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी सेवाओं में व्यतीत किया। इसके विपरीत, पुरुषों के लिए यह समय केवल 37 मिनट था। यह अंतर भारतीय समाज में घरेलू जिम्मेदारियों के असमान वितरण को दर्शाता है।
- प्रस्तावित बदलावों के अंतर्गत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन, अवैतनिक घरेलू कार्यों, देखभाल संबंधी गतिविधियों, स्वयंसेवी कार्यों और अवैतनिक प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली उन गतिविधियों की पहचान संभव होगी जिन्हें अब तक पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया है।

प्रस्तावित सुधारों का आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व:

- **रोजगार के आंकड़ों की व्यापकता:** गिग श्रमिकों और अवैतनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से दर्ज करने से श्रम बाजार की अधिक वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। इससे रोजगार के पारंपरिक और नए स्वरूपों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी।
- **महिला सशक्तीकरण:** घरेलू कार्यों में महिलाओं के योगदान का आकलन करने से लैंगिक असमानता, समय के असमान बंटवारे और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।
- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:** गिग श्रमिकों की संख्या, कार्य परिस्थितियों और समस्याओं से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उनके लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने में उपयोगी होंगे।
- **समावेशी विकास:** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के विविध स्वरूपों की पहचान से सरकार को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- **नीतिगत निर्णयों में सुधार:** विश्वसनीय श्रम आंकड़े कौशल विकास, रोजगार सृजन, महिला श्रम बल भागीदारी और श्रम सुधारों से संबंधित नीतियों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

सुधारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

- सबसे मुख्य चुनौती गिग श्रमिकों की सटीक पहचान है। कई श्रमिक एक साथ अनेक प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं या इसे अपनी नियमित नौकरी के अतिरिक्त करते हैं। ऐसे में सर्वेक्षण के दौरान उनके कार्य का छूट जाना संभव है।
- पिछले 365 दिनों में किए गए अनियमित कार्यों की जानकारी याद रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा। इससे सर्वेक्षण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- अवैतनिक घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन भी एक चुनौती है। केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति घरेलू कार्य करता है, बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि वह इन गतिविधियों में कितना समय व्यतीत करता है। इसके लिए समय उपयोग सर्वेक्षण और PLFS के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
- सर्वेक्षण की पद्धति और रोजगार की श्रेणियों में बदलाव होने से पुराने तथा नए आंकड़ों के बीच सीधी तुलना कठिन हो सकती है। इसलिए तुलनात्मक आंकड़ों और संशोधित कार्यप्रणाली का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- इसके अतिरिक्त, गिग श्रमिकों की बदलती कार्य परिस्थितियों, प्लेटफॉर्म कंपनियों की जवाबदेही तथा श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को भी नीति निर्माण में पर्याप्त स्थान देना होगा।

आगे की राह:

- भारत को श्रम बाजार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप रोजगार मापन की व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले PLFS में प्रस्तावित बदलावों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण की प्रश्नावली को सरल बनाने के साथ-साथ सर्वेक्षणकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों, श्रम मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है, ताकि गिग श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। ई-श्रम पोर्टल जैसे मौजूदा तंत्रों के साथ आंकड़ों के बेहतर समन्वय से श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
- अवैतनिक घरेलू कार्यों के मूल्यांकन के लिए समय उपयोग सर्वेक्षण को नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही, महिलाओं के घरेलू कार्यभार को कम करने के लिए सार्वजनिक बाल देखभाल केंद्र, वृद्ध देखभाल सेवाएं, स्वच्छ ईंधन और पेयजल जैसी सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।
- रोजगार की गुणवत्ता को भी रोजगार की संख्या के समान महत्त्व दिया जाना चाहिए। गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी प्रावधान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत में रोजगार की बदलती प्रकृति के अनुरूप श्रम संबंधी आंकड़ों का आधुनिकीकरण समय की आवश्यकता है। गिग अर्थव्यवस्था और अवैतनिक घरेलू कार्यों को बेहतर ढंग से दर्ज करने का प्रस्ताव केवल सांख्यिकीय सुधार नहीं, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण पहल है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वही योगदान प्रभावी नीतियों का आधार बन सकता है जिसे सही ढंग से पहचाना और मापा

जाए। इसलिए भारत को ऐसी श्रम मापन व्यवस्था विकसित करनी होगी जो न केवल वेतन पाने वाले श्रमिकों, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्यरत लोगों और परिवार तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले अवैतनिक श्रमिकों के श्रम को भी उचित पहचान दे। यही समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील विकास की आधारशिला बन सकता है।

संक्षिप्त मुद्दे

वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (RELIEF) योजना की समयसीमा बढ़ाई

संदर्भ:

हाल ही में, वाणिज्य विभाग ने रिलीफ (RELIEF) योजना के घटक-II के तहत पात्रता और वैधता अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। इस विस्तार का उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक और समुद्री-लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

RELIEF योजना क्या है?

- रिलीफ (RELIEF) का पूरा नाम रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है। इसे निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया था।
- यह योजना निम्नलिखित कारणों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए शुरू की गई थी:
 - माल ढुलाई लागत में असाधारण वृद्धि
 - बीमा प्रीमियम में वृद्धि
 - युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिम
 - खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे में व्यवधान
- एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) इस पहल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

RELIEF का घटक-II:

- घटक-II आगामी निर्यात खेपों के लिए बीमा सहायता पर केंद्रित है।
- विस्तारित व्यवस्था के तहत:
 - निर्यातक पात्र ECGC कवर के माध्यम से 95% जोखिम कवरेज प्राप्त कर सकते हैं।
 - यह 16 मार्च 2026 को या उसके बाद प्राप्त की गई स्टैंड अलोन पॉलिसियों और होल टर्नओवर पॉलिसियों पर लागू होता है।
 - पात्रता की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है।
 - पात्र अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर से अधिक नहीं होगा।

पात्र कार्गो:

- इस सहायता के अंतर्गत शामिल हैं:
 - फुल कंटेनर लोड (FCL)
 - लेस दैन कंटेनर लोड (LCL)
 - रीफर कंटेनर
- हालाँकि, इस घटक के अंतर्गत ऊर्जा से संबंधित खेपों को शामिल नहीं किया गया है।



भारतीय निर्यात के लिए महत्व:

- पश्चिम एशिया भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है। इस क्षेत्र में व्यवधान से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं: भू-राजनीतिक तनाव, शिपिंग जोखिम, माल ढुलाई लागत, बीमा लागत, निर्यात लागत में वृद्धि
- इसलिए, यह विस्तार जारी लॉजिस्टिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निर्यातकों को अधिक निश्चितता प्रदान करता

है।

संबंधित निर्यात सहायता:

- रिलीफ के साथ-साथ, सरकार ने RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना को भी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। मौजूदा दरें और मूल्य सीमा अपरिवर्तित रहेंगी।
- RoDTEP का उद्देश्य उन पात्र केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों, करों तथा लेवी की वापसी करना है, जो अन्यथा निर्यातकों को वापस नहीं किए जाते हैं।

निष्कर्ष:

रिलीफ (RELIEF) के घटक-II की समयसीमा का विस्तार भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच व्यापार जोखिम प्रबंधन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को दर्शाता है। बेहतर बीमा कवरेज और प्रीमियम सुरक्षा प्रदान करके यह उपाय भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को बनाए रखने में मदद करने का प्रयास करता है।

नेक्स्ट-जेन जीएसटी और भारत के विकास का अगला चरण

संदर्भ:

हाल ही में, 22 सितंबर 2025 को लागू किए गए नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों को एक वर्ष पूरा हो गया है। इन सुधारों के बाद कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supplies) में 25.8% की वृद्धि हुई, जबकि H1 FY27 में सकल GST संग्रह ₹12.46 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 11.6% की वृद्धि है। 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली GST परिषद की बैठक में ई-इनवॉइसिंग, ITC, पंजीकरण, रिफंड और अनुपालन से जुड़े आगे के सुधारों पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

नेक्स्ट-जेन जीएसटी दर युक्तिकरण क्या है?

- नेक्स्ट-जेन जीएसटी का उद्देश्य बहु-स्लैब जीएसटी संरचना को सरल बनाना, दरों में असमानता को कम करना, उपभोक्ताओं की लागत घटाना, इनवर्टेड ड्यूटी संरचना को ठीक करना और अनुपालन को आसान बनाना है।
- इसकी मुख्य संरचना मुख्य रूप से 5% और 18% स्लैब पर आधारित है, जबकि कुछ निर्दिष्ट विलासिता और हानिकारक वस्तुओं (Sin Goods) के लिए 40% डीमेरिट दर रखी गई है।
- प्रमुख उपायों में शामिल हैं:
 - आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और चयनित कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर GST में कमी।
 - निर्दिष्ट ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और सीमेंट पर GST को 28% से घटाकर 18% करना।
 - व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को GST से छूट।
 - संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कम करने के लिए इनवर्टेड ड्यूटी संरचना में सुधार।

आर्थिक प्रभाव:

- इस सुधार के साथ आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण विस्तार भी देखने को मिला है:
 - **कर योग्य आपूर्ति:** इसमें 25.8% की वृद्धि हुई।
 - **सकल GST संग्रह:** H1 FY27 में ₹12.46 लाख करोड़, जो वर्ष-दर-वर्ष 11.6% की वृद्धि है।
 - **B2C बिक्री:** इसमें 26.7% की वृद्धि हुई, जो उपभोक्ता मांग में मजबूती को दर्शाती है।
 - **GST पंजीकरण:** अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 1.71 करोड़ हो गया।
 - **राज्य GST राजस्व:** लगभग 16% की वृद्धि हुई।
 - **GST रिफंड:** ₹1.80 लाख करोड़, जिससे व्यवसायों की तरलता में सुधार हुआ।
- ये रुझान दर्शाते हैं कि जब कर दरों को कम और सरल बनाने के साथ औपचारिकीकरण (Formalisation) तथा बेहतर अनुपालन को बढ़ावा दिया जाए, तो कम कर दरों के बावजूद राजस्व में मजबूती बनी रह सकती है।

जीएसटी सुधार का अगला एजेंडा:

- प्रस्तावित सुधार एजेंडे में जोखिम-आधारित डिजिटल पंजीकरण, स्वचालित रिटर्न फाइलिंग, तेज रिफंड, फेसलेस अपील और निर्बाध ITC प्रवाह शामिल हैं। कर संबंधी मुकदमों को कम करने और कर व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- प्रगति के बावजूद महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, ATF और रियल एस्टेट अभी भी बड़े पैमाने

पर जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जिससे करों के बार-बार लगने की समस्या उत्पन्न होती है।

- MSMEs को अभी भी कार्यशील पूंजी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कर भुगतान वास्तविक भुगतान प्राप्त होने के बजाय इनवॉइस जारी करने से जुड़ा हुआ है। वर्गीकरण संबंधी विवाद, अलग-अलग अग्रिम निर्णय और फर्जी इनवॉइस भी अनुपालन से जुड़ी चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

आगे की राह:

- जीएसटी परिषद को प्राकृतिक गैस और ATF को धीरे-धीरे GST के दायरे में शामिल करने, छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने, देशभर में GSTAT की पीठों को कार्यशील बनाने और पात्र सूक्ष्म उद्यमों के लिए नकद-आधारित GST भुगतान विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

नेक्स्ट-जेन जीएसटी यह दर्शाता है कि कर युक्तिकरण, औपचारिकीकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित अनुपालन राजस्व में मजबूती बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन दे सकते हैं। अगले चरण में अनुपालन लागत को कम करने, जीएसटी के आधार का विस्तार करने, विवादों का समाधान करने तथा ITC और रिफंड तंत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक सरल और अधिक पूर्वानुमान योग्य जीएसटी व्यवस्था निवेश, उपभोग, MSME प्रतिस्पर्धात्मकता और विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य को मजबूत कर सकती है।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड (SME Growth Fund- SGF) की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े संभावनाशील लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को दीर्घकालिक विकास पूंजी उपलब्ध कराना है।

एसएमई ग्रोथ फंड के बारे में:

- एसएमई ग्रोथ फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के माध्यम से प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश उपलब्ध कराएगा। पारंपरिक बैंक ऋणों के विपरीत, इक्विटी पूंजी से तत्काल पुनर्भुगतान का बोझ नहीं बनता है और इसलिए यह विस्तार की तलाश कर रहे उद्यमों को दीर्घकालिक एवं धैर्यपूर्ण पूंजी (Patient Capital) उपलब्ध करा सकती है।
- इस कोष से विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादकता में सुधार करने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
- यह द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों (Tier-II और Tier-III Cities) में स्थित औद्योगिक क्लस्टरों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर अधिक संतुलित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।



भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व:

- यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि MSME भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनका भारत के GDP में लगभग 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% योगदान है।
- MSME ऑटोमोबाइल, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए घटकों, कच्चे माल और उप-असेंबली के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं।
- विकास के चरण में इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराकर एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी उद्यमों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने, मशीनरी के आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उत्पादकता

में सुधार करने में सहायता कर सकता है।

- इससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायता मिल सकती है।

एमएसएमई का वर्गीकरण:

- संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत उद्यमों को निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है।
- सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise) वह है जिसमें 2.5 करोड़ रुपये तक का निवेश और 10 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो।
- लघु उद्यम (Small Enterprise) में 25 करोड़ रुपये तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है।
- वहीं, मध्यम उद्यम (Medium Enterprise) में 125 करोड़ रुपये तक का निवेश और 500 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है। इन बढ़ी हुई सीमाओं से उद्यमों को सरकारी सहायता का लाभ लेते हुए अपने परिचालन का विस्तार करने में मदद मिलती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- अपने महत्त्व के बावजूद, MSME को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। औपचारिक ऋण तक सीमित पहुँच, जमानत की आवश्यकताएँ और कार्यशील पूंजी की कमी व्यवसाय के विस्तार में बाधा डालती हैं। बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भुगतान में देरी से MSME के नकदी प्रवाह पर और अधिक दबाव पड़ता है।
- MSME को प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे की कमी, कुशल श्रमिकों की कमी, नियामकीय अनुपालन का बोझ तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उभरते पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों तथा कार्बन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, इक्विटी पूंजी तक पहुँच के साथ व्यापक संस्थागत और बुनियादी ढाँचे से जुड़े सुधारों की भी आवश्यकता है।

सरकार की पहल:

- सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। CGTMSE पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है।
- TReDS एमएसएमई को व्यापारिक प्राप्य राशि (Trade Receivables) के आधार पर वित्त प्राप्त करने और भुगतान में देरी की समस्या से निपटने में सहायता करता है।
- Udyam Registration डिजिटल औपचारिकीकरण को बढ़ावा देता है, जबकि RAMP योजना MSME के प्रदर्शन, बाजार तक पहुँच और केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
- सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy) के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSE से वार्षिक खरीद का 25% किया जाना निर्धारित है।
- इसके अतिरिक्त, GeM, PM Vishwakarma, SFURTI और CHAMPIONS Portal जैसी पहलें बाजार तक पहुँच, पारंपरिक कारीगरों, क्लस्टर विकास और शिकायत निवारण को समर्थन प्रदान करती हैं।

आगे की राह:

- एसएमई ग्रोथ फंड में उच्च क्षमता वाले भारतीय SMEs को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनने की क्षमता है। हालाँकि, इसकी सफलता पारदर्शी लाभार्थी चयन, पेशेवर कोष प्रबंधन और प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी।
- इक्विटी सहायता के साथ बेहतर बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल विकास, समय पर भुगतान और बाजार तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसलिए, भारत को अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत "पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार, बुनियादी ढाँचा" दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.50% किया

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक (Basis Points) की वृद्धि कर इसे 5.50% कर दिया है और अपनी मौद्रिक नीति की स्थिति को "तटस्थ (Neutral)" से "सुनियोजित सख्ती (Calibrated Tightening)" में बदल दिया है। यह मौद्रिक परिस्थितियों को अधिक सख्त करने की दिशा में बदलाव का संकेत देता है।

MPC का प्रमुख निर्णय:

- MPC ने रेपो दर को बढ़ाकर 5.50% कर दिया है, जबकि स्थायी

जमा सुविधा (Standing Deposit Facility-SDF) की दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF) तथा बैंक दर (Bank Rate) 5.75% पर बनी हुई है।

- RBI ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, जो घरेलू आर्थिक गतिविधियों की मजबूती में उसके विश्वास को दर्शाता है। वहीं, CPI मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.2% कर दिया गया है, जो उभरते मूल्य दबावों को लेकर चिंता को दर्शाता है।



रेपो दर क्यों महत्वपूर्ण है?

- रेपो दर वह दर है जिस पर RBI पात्र प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। जब RBI रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए उधार लेना अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है, जिसका प्रभाव परिवारों और व्यवसायों के लिए ऋण दरों में वृद्धि के रूप में दिखाई दे सकता है। इससे अत्यधिक मांग और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
- इसके विपरीत, रेपो दर में कमी से उधार लेने की लागत कम हो सकती है, जिससे उपभोग और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है तथा आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है। इस प्रकार, मौद्रिक नीति में मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित छह सदस्यीय वैधानिक निकाय है। इसका गठन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों तथा लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (Flexible Inflation Targeting-FIT) व्यवस्था को अपनाने के बाद किया गया।
- इसकी प्रमुख जिम्मेदारी मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना है, साथ ही आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखना है।
- MPC में RBI के तीन प्रतिनिधि और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचा:

- लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (Flexible Inflation Targeting-FIT) ढाँचे के तहत RBI का लक्ष्य हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें 2% से 6% की सहनशीलता सीमा निर्धारित है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य की समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक निर्धारित सहनशीलता सीमा से बाहर रहती है, तो RBI को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें विचलन के कारणों की व्याख्या तथा सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव दिया जाता है।
- इस प्रकार, MPC मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए रेपो दर को अपने प्रमुख नीतिगत साधन के रूप में उपयोग करती है। यह ढाँचा मौद्रिक नीति में अधिक पूर्वानुमेयता प्रदान करता है, साथ ही विकास और आपूर्ति-पक्ष के झटकों से निपटने के लिए आवश्यक लचीलापन भी बनाए रखता है।

दर वृद्धि के पीछे कारण:

- रेपो दर में वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रास्फीति का फिर से बढ़ता जोखिम है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और संभावित आपूर्ति व्यवधान भारत के आयात बिल को बढ़ा सकते हैं तथा आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) उत्पन्न कर सकते हैं।
- तेल की ऊँची कीमतें रुपये पर भी दबाव डाल सकती हैं, जिससे आयात और महंगा हो जाता है। चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर काफी अधिक निर्भर है, इसलिए लगातार बाहरी मूल्य झटकों का

घरेलू मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- RBI का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाता है। GDP वृद्धि के 7.1% रहने के अनुमान के साथ केंद्रीय बैंक के पास मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए अधिक नीतिगत गुंजाइश है, बिना आर्थिक गति को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाए।
- सुनियोजित सख्ती (Calibrated Tightening) की ओर बदलाव यह संकेत देता है कि यदि मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना रहता है, तो RBI आगे भी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- उच्च रेपो दर सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन की लागत बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण दरों में वृद्धि हो सकती है। इससे फ्लोटिंग-रेट वाले गृह, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों की EMI बढ़ सकती है, जबकि जमा पर मिलने वाले रिटर्न में संभावित सुधार हो सकता है।
- उच्च उधारी लागत अत्यधिक ऋण मांग और निवेश को नियंत्रित कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। हालाँकि, लंबे समय तक मौद्रिक सख्ती निजी निवेश और उपभोग को भी प्रभावित कर सकती है।
- यह नीति भारतीय रुपये को कुछ समर्थन भी दे सकती है, क्योंकि इससे रुपये में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो सकती हैं। हालाँकि, विनिमय दर में बदलाव वैश्विक ब्याज दरों, पूंजी प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों पर भी निर्भर करता रहेगा।

निष्कर्ष:

अक्टूबर 2026 की MPC बैठक भारत के मौद्रिक नीति चक्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। रेपो दर को 5.50% तक बढ़ाकर और सुनियोजित सख्ती (Calibrated Tightening) का रुख अपनाकर, RBI ने संकेत दिया है कि भारत की विकास संभावनाओं पर विश्वास बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिकता बन रहा है। इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों और घरेलू मांग में आने वाले समय में किस प्रकार के बदलाव होते हैं।

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अनुसंधान, योजना, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करने के लिए एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (Integrated Transport & Logistics Authority-ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न परिवहन मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच मौजूद खंडित योजना व्यवस्था को दूर करना तथा बहु-माध्यमीय परिवहन एकीकरण (Multimodal Integration) को बढ़ावा देना है।

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण क्या है?

- एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण-ITLA एक राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा, जो एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, नीतिगत सहयोग और डेटा विश्लेषण का कार्य करेगी।
- इसके दायरे में सड़क, रेलवे, बंदरगाह एवं नौवहन, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स शामिल होंगे।



प्रमुख कार्य:

- **राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान:** ITLA कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक की योजना अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसके साथ ही, यह परिवहन मंत्रालयों की पाँच वर्षीय क्षेत्रीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन योजना के अनुरूप हैं।
- **परियोजना मूल्यांकन और निगरानी:** ITLA ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली केंद्र सरकार की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा। वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ही जारी रहेगा। ITLA

₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी भी करेगा और परियोजना पूरी होने के बाद उनके प्रभाव का आकलन करेगा।

- **राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार:** ITLA एक राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार (National Transport Data Repository-NTDR) विकसित करेगा। इसके लिए GSTN ई-वे बिल, FASTag, VAHAN, GPS आधारित प्रणालियों और शहरी यातायात प्रबंधन प्रणालियों जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा को एकीकृत किया जाएगा। यह व्यवस्था माल ढुलाई के प्रवाह (Freight Flow) तथा मूल-गंतव्य विश्लेषण (Origin-Destination Analysis) में सहायता करेगी और साक्ष्य-आधारित परिवहन योजना को बढ़ावा देगी।
- **लॉजिस्टिक्स नीति और क्षमता निर्माण:** ITLA राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 की समीक्षा और समय-समय पर उसके अद्यतन में सहायता करेगा। इसके साथ ही, यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।

ITLA और PM गति शक्ति:

- ITLA, PM गति शक्ति का पूरक होगा। जहाँ PM गति शक्ति बुनियादी ढाँचे की योजना और बहु-माध्यमीय संपर्क के लिए एक एकीकृत, GIS-आधारित ढाँचा उपलब्ध कराता है, वहीं ITLA दीर्घकालिक परिवहन योजना, तकनीकी परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, डेटा विश्लेषण और प्रभाव आकलन के लिए संस्थागत सहयोग प्रदान करेगा।
- इस प्रकार, PM गति शक्ति मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे की योजना में समन्वय पर केंद्रित है, जबकि ITLA परिवहन क्षेत्र की योजना और मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करेगा।

महत्त्व:

- ITLA अलग-अलग क्षेत्रों और संस्थाओं में बँटी हुई योजना व्यवस्था (Silo-based Planning) की समस्या को दूर करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और बहु-माध्यमीय परिवहन संपर्क को मजबूत करने में सहायता कर सकता है।
- सड़क, रेलवे, जलमार्ग, बंदरगाह और विमानन के बीच बेहतर एकीकरण से:
 - » बुनियादी ढाँचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 - » लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।
 - » भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत किया जा सकेगा।
 - » परिवहन क्षेत्र में संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
 - » विकसित भारत @2047 के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।

चुनौतियाँ:

- एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण-ITLA के सामने कई चुनौतियाँ भी हो सकती हैं, जिनमें मौजूदा संस्थानों के साथ कार्यक्षेत्र का संभावित दोहराव, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, डेटा की परस्पर उपयोगिता (Data Interoperability), डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ तथा एकीकृत योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना प्रमुख हैं।
- इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और परिणाम-आधारित निगरानी कितनी प्रभावी ढंग से स्थापित की जाती है।

निष्कर्ष:

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण-ITLA की स्थापना खंडित और परिवहन के अलग-अलग माध्यमों पर आधारित योजना व्यवस्था से एकीकृत, बहु-माध्यमीय और डेटा-आधारित शासन व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। दीर्घकालिक परिवहन योजना को परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन के साथ जोड़कर ITLA भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को मजबूत, बुनियादी ढाँचे की दक्षता में सुधार और परिवहन लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार, ITLA भारत की लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम साबित हो सकता है।

भारत की एआई तैयारी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2026

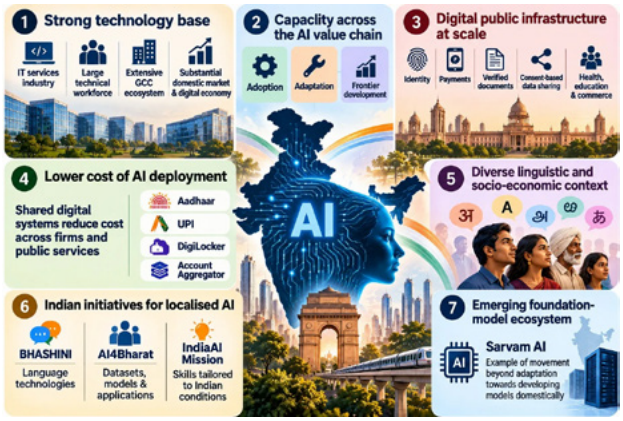
संदर्भ:

हाल ही में, विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: विकास के अवसरों का लाभ उठाना (India and Artificial Intelligence: Seizing the Development Opportunity) में भारत को एआई की तैयारी के मामले में उभरते बाजारों के शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। भारत की प्रमुख शक्तियों में बड़ा तकनीकी कार्यबल, एक सुस्थापित IT क्षेत्र और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) शामिल हैं। हालाँकि,

कंप्यूटिंग अवसंरचना, वित्तपोषण और AI को अपनाने के क्षेत्र में मौजूद कमियाँ इसकी संभावनाओं को सीमित कर रही हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **बढ़ता निवेश:** निजी क्षेत्र में एआई निवेश वर्ष 2024 के 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 4.1 अरब डॉलर हो गया।
- **बढ़ते रोजगार:** वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) में कार्यरत पेशेवरों की संख्या वर्ष 2024 के 19 लाख से बढ़कर वर्ष 2025 में 23.6 लाख हो गई।
- **एआई को अपनाना:** लगभग 23% भारतीय कंपनियों ने AI का उपयोग करने की सूचना दी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आँकड़ा लगभग 43% था।
- **अवसंरचना संबंधी कमी:** वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर स्थापित डेटा सेंटर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1% थी।
- **रोजगार पर प्रभाव:** भारत में लगभग 22% रोजगार AI से अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र में हैं, हालाँकि AI के संपर्क में आने का अर्थ आवश्यक रूप से नौकरियों का समाप्त होना नहीं है।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उन तकनीकों को संदर्भित करती है, जो मशीनों को मानवीय बुद्धिमत्ता से जुड़े कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। इनमें सीखना, तर्क करना, भाषा प्रसंस्करण और निर्णय लेना शामिल हैं।
- एक सामान्य-उद्देश्य वाली तकनीक के रूप में, AI उत्पादकता में सुधार कर सकती है, विशेष कौशलों तक पहुँच बढ़ा सकती है तथा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, विनिर्माण और वित्त जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला सकती है।

एआई के क्षेत्र में भारत के लाभ:

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** आधार, UPI, डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर व्यापक स्तर पर एआई अनुप्रयोगों के विकास के लिए डिजिटल आधार प्रदान करते हैं।
- **मानव पूंजी:** भारत का विशाल इंजीनियरिंग कार्यबल और IT सेवा उद्योग सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण तथा AI के कार्यान्वयन में सहयोग करते हैं।
- **घरेलू बाजार:** भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI समाधान विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।
- **सरकारी पहलें:** IndiaAI मिशन, भाषिणी (BHASHINI) और AI4Bharat एआई अवसंरचना, भाषा प्रौद्योगिकियों, डेटासेट, अनुसंधान और कौशल विकास को समर्थन देते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **अवसंरचना की कमी:** किफायती कंप्यूटिंग सुविधाओं, डेटा सेंटर क्षमता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की सीमित उपलब्धता।
- **असमान अपनाना:** छोटे उद्यमों और अनौपचारिक व्यवसायों को वित्तीय तथा तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **कौशल की कमी:** विशेष एआई शोधकर्ताओं और पेशेवरों की कमी।
- **डेटा संबंधी सीमाएँ:** उच्च गुणवत्ता वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप डेटासेट की अपर्याप्त उपलब्धता।
- **रोजगार संबंधी चिंताएँ:** एआई विभिन्न व्यवसायों के स्वरूप को बदल सकता है, कुछ कार्यों का स्थान ले सकता है और कौशल-आधारित असमानताओं को बढ़ा सकता है।
- **नैतिक जोखिम:** पक्षपात, निजता का उल्लंघन, गलत सूचना और जवाबदेही का अभाव।

आगे की राह:

- भारत को किफायती क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, ब्रॉडबैंड और विद्युत अवसंरचना को मजबूत बनाना चाहिए, एआई साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लक्षित सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- मजबूत निजता सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा को अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए। निवेश में बहुभाषी एआई, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और वंचित समुदायों के लिए कम लागत वाले समाधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- जिम्मेदार कार्यान्वयन के लिए जोखिम-आधारित विनियमन, एआई सुरक्षा मूल्यांकन, श्रमिकों के पुनः कौशल विकास और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत में अपनी तकनीकी प्रतिभा, डिजिटल अवसंरचना और घरेलू बाजार का समन्वय करके AI के क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचारकर्ता बनने की क्षमता है। प्राथमिकता अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने, समावेशी रूप से AI को अपनाने को बढ़ावा देने तथा विश्वसनीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI प्रणालियाँ विकसित करने पर होनी चाहिए, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को समर्थन मिल सके।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index—GII) 2026 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। भारत निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा मध्य और दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर है। यह उपलब्धि भारत की डिजिटल सेवाओं, उद्यमिता और तकनीकी विकास की क्षमता को दर्शाती है। हालांकि, अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है?

- वैश्विक नवाचार सूचकांक नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न देशों के प्रदर्शन का आकलन करने वाला एक प्रमुख सूचकांक है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 2026 इसका 19वाँ संस्करण है।
- यह सूचकांक लगभग 80 संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। इसके दो प्रमुख उप-सूचकांक हैं:
 - » **नवाचार निवेश (Innovation Inputs):** संस्थान, मानव पूंजी एवं अनुसंधान, बुनियादी ढाँचा, बाजार की परिष्कृतता और व्यावसायिक परिष्कृतता।
 - » **नवाचार परिणाम (Innovation Outputs):** ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी परिणाम तथा रचनात्मक परिणाम।
- इन दोनों उप-सूचकांकों को समान भार दिया जाता है। इस प्रकार यह सूचकांक केवल नवाचार के लिए उपलब्ध संसाधनों को नहीं, बल्कि उनसे प्राप्त वास्तविक परिणामों को भी मापता है।

GII 2026 के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड प्रथम, स्वीडन द्वितीय और अमेरिका तृतीय स्थान पर हैं। दक्षिण कोरिया चौथे तथा सिंगापुर पाँचवें स्थान पर हैं। चीन दसवें स्थान पर बना हुआ है।
- भारत की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वह सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार के परिणामों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2026 में भारत नवाचार निवेश में 49वें और नवाचार परिणामों में 25वें स्थान पर है। इससे पता चलता है कि भारत उपलब्ध संसाधनों को आर्थिक एवं तकनीकी उपलब्धियों में बदलने की क्षमता रखता है।

भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **डिजिटल सेवाएँ:** भारत ICT सेवाओं के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। इससे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका मजबूत हुई है।
- **स्टार्टअप एवं निवेश:** भारत देर के चरण के वेंचर कैपिटल सौदों में चौथे स्थान पर है, जो नवाचार आधारित उद्यमों के विकास की संभावनाओं को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय नेतृत्व:** भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर है और निम्न-मध्यम आय वाली 36 अर्थव्यवस्थाओं में भी शीर्ष स्थान रखता है।
- **नवाचार आधारित विकास:** डिजिटल सेवाओं, सॉफ्टवेयर, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताएँ उसके नवाचार परिणामों को मजबूत कर रही हैं।



भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की

आवश्यकता है।

- **शिक्षा और उद्योग में समन्वय:** विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है।
- **नवाचार का व्यावसायीकरण:** प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उपयोगी उत्पादों और बड़े पैमाने के उद्योगों में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** उच्चस्तरीय अनुसंधान सुविधाओं, तकनीकी उपकरणों और नवाचार केंद्रों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना जरूरी है।
- **क्षेत्रीय असमानता:** नवाचार गतिविधियों को कुछ प्रमुख शहरों तक सीमित रखने के बजाय छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना होगा।

आगे की राह:

भारत को नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

- अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक तथा निजी निवेश बढ़ाया जाए।
- विश्वविद्यालयों में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाए।
- स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की सुविधाएँ दी जाएँ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकों का विकास किया जाए।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में नवाचार केंद्र, इन्क्यूबेशन हब तथा अनुसंधान संस्थान विकसित किए जाएँ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों को अनुसंधान एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं से बेहतर ढंग से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष:

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत की स्थिति उसकी तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता की प्रगति को दर्शाती है। हालाँकि, नवाचार परिणामों और निवेश के बीच मौजूद अंतर को कम करना आवश्यक है। भारत को केवल डिजिटल सेवाओं का प्रमुख निर्यातक बनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौलिक अनुसंधान, स्वदेशी तकनीक और उच्च मूल्यवर्धित विनिर्माण में भी नेतृत्व विकसित करना चाहिए। इससे आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत @2047 और समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

अर्थशास्त्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार

संदर्भ:

हाल ही में, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को वर्ष 2026 का अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार प्रदान किया। दोनों अर्थशास्त्रियों को "व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधार" (Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilisation) पर किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उनके शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के निर्णय पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा आर्थिक अस्थिरता को कम करने के लिए नीतियाँ कैसे बनाई जानी चाहिए।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्या है?

- इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार है।
- **स्थापना:** 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा, इसकी 300वीं वर्षगाँठ के अवसर पर।
- **प्रथम पुरस्कार:** 1969 में प्रदान किया गया।
- **उद्देश्य:** आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना।
- **चयन:** रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है।

पुरस्कार विजेताओं का योगदान:

- **रॉबर्ट ई. हॉल:** स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हॉल का शोध घरेलू उपभोग, बचत संबंधी निर्णयों, श्रम बाजारों और बेरोजगारी पर केंद्रित रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भविष्य की आय के बारे में अपेक्षाएँ वर्तमान खर्च और समग्र आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं।
- **माइकल वुडफोर्ड:** कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर वुडफोर्ड के कार्य ने आधुनिक मौद्रिक अर्थशास्त्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उनके शोध में ब्याज दर संबंधी नीतियों, मुद्रास्फीति प्रबंधन तथा आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में अपेक्षाओं और केंद्रीय बैंक के संचार की भूमिका का अध्ययन किया गया।

मूल अवधारणा को समझना:

- समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण से तात्पर्य आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति

और रोजगार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले उपायों से है। मंदी के दौरान नीति-निर्माता ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं या सार्वजनिक व्यय बढ़ा सकते हैं।



- अत्यधिक मुद्रास्फीति के दौरान वे ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं या राजकोषीय प्रोत्साहन को कम कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के सूक्ष्म आर्थिक आधार व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों को समग्र आर्थिक परिणामों से जोड़ते हैं।

सूक्ष्म अर्थशास्त्र	समष्टि अर्थशास्त्र
व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, परिवारों और कंपनियों का अध्ययन करता है।	संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है।
व्यक्तिगत उपभोग, बचत और मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों का विश्लेषण करता है।	कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का विश्लेषण करता है।
व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है।	समग्र आर्थिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।

उदाहरण के लिए, जब परिवारों को भविष्य में अपनी आय में गिरावट की आशंका होती है, तो वे वर्तमान खर्च कम कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में परिवार इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, तो समग्र मांग, उत्पादन और रोजगार में गिरावट आ सकती है। इसलिए, व्यक्तिगत निर्णयों को समझने से नीति-निर्माताओं को आर्थिक उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने तथा प्रभावी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है।

शोध का महत्त्व:

- **मौद्रिक नीति में सुधार:** उनका शोध यह विश्लेषण करने के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है कि ब्याज दरों में बदलाव उपभोग, निवेश और मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करते हैं।
- **अपेक्षाओं की भूमिका:** आर्थिक निर्णय केवल वर्तमान परिस्थितियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की कीमतों, आय और नीतिगत उपायों के बारे में अपेक्षाओं पर भी निर्भर करते हैं।
- **केंद्रीय बैंक के संचार का महत्त्व:** स्पष्ट और विश्वसनीय संचार किसी नीतिगत बदलाव के प्रभावी होने से पहले भी आर्थिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।
- **आर्थिक झटकों का बेहतर प्रबंधन:** यह रूपरेखा नीति-निर्माताओं को यह विश्लेषण करने में मदद करती है कि ऊर्जा की कीमतों में झटके, घरेलू उपभोग में अचानक बदलाव और वैश्विक आर्थिक व्यवधान जैसी घटनाएँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं।
- **व्यापार चक्रों को समझना:** यह शोध यह समझाने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्थाओं में विस्तार और संकुचन की अवधियाँ क्यों आती हैं तथा नीतियों के माध्यम से इन उतार-चढ़ावों को कैसे कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2026 यह रेखांकित करता है कि प्रभावी आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए केवल मुद्रास्फीति, उत्पादन और रोजगार जैसे संकेतकों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। परिवारों और व्यवसायों के व्यवहार तथा भविष्य के प्रति उनकी अपेक्षाओं को समझना भी आवश्यक है। यह दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026

संदर्भ:

हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक (Henley Passport Index) का अक्टूबर 2026 संस्करण जारी किया गया। यह सूचकांक पासपोर्टों को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है कि उनके धारक कितने गंतव्यों पर पहले से वीज़ा प्राप्त किए बिना यात्रा कर सकते हैं। अक्टूबर संस्करण में

भारत को 84वें स्थान पर रखा गया, जहाँ भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 गंतव्यों तक पहुँच प्राप्त थी।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या है?

- हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले एंड पार्टनर्स (Henley & Partners) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह पासपोर्टों की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उनके धारक कितने गंतव्यों पर पहले से पारंपरिक वीज़ा प्राप्त किए बिना यात्रा कर सकते हैं।
 - » **आँकड़ों का स्रोत:** अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (International Air Transport Association- IATA) के आँकड़े।
 - » **व्यापकता:** 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य।
 - » **कार्यप्रणाली:** वीज़ा-मुक्त प्रवेश, आगमन पर वीज़ा (Visa on Arrival) और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (Electronic Travel Authorisation- ETA) के माध्यम से यात्रा की सुविधा सामान्यतः सूचकांक के स्कोर में योगदान देती है।
- इस सूचकांक में उच्च रैंकिंग किसी देश के नागरिकों को उपलब्ध अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्वतंत्रता को दर्शाती है।



वर्ष 2026 के संस्करण के प्रमुख निष्कर्ष:

- **भारत:** 55 गंतव्यों तक पहुँच के साथ 84वें स्थान पर रहा।
- **सिंगापुर:** 193 गंतव्यों तक पहुँच के साथ प्रथम स्थान पर रहा।
- **जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE):** प्रत्येक देश 188 गंतव्यों तक पहुँच के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।
- **स्वीडन:** 187 गंतव्यों तक पहुँच के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

भारत का प्रदर्शन:

- भारत की रैंकिंग अक्टूबर 2025 के 85वें स्थान से सुधरकर अक्टूबर 2026 में 84वें स्थान पर पहुँच गई। हालाँकि, पहले से पारंपरिक वीज़ा प्राप्त किए बिना यात्रा किए जा सकने वाले गंतव्यों की संख्या 57 से घटकर 55 रह गई।
- यह दर्शाता है कि अन्य देशों के स्कोर में होने वाले बदलावों के आधार पर किसी देश की सापेक्ष रैंकिंग में सुधार हो सकता है, भले ही उसका वास्तविक स्कोर कम हो जाए।

भारत के लिए सूचकांक का महत्त्व:

- **राजनयिक संबंध:** वीज़ा नियमों में उदारीकरण से संबंधित समझौते द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत कर सकते हैं।
- **आर्थिक विकास:** आसान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर्यटन, व्यावसायिक यात्राओं, व्यापार और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।
- **जन-से-जन संबंध:** आवागमन की सुगमता शिक्षा, सांस्कृतिक संपर्क और पारिवारिक संबंधों को प्रोत्साहित करती है।
- **वैश्विक एकीकरण:** पासपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध यात्रा सुविधाएँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय संपर्क क्षमता का एक संकेतक प्रदान करती हैं। हालाँकि, यह देश की समग्र शक्ति का मापन नहीं करती हैं।

निष्कर्ष:

हेनले पासपोर्ट सूचकांक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है। भारत निरंतर राजनयिक प्रयासों और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधाओं में सुधार कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 1% सतत विमानन ईंधन (SAF) का मिश्रण

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel - SAF) के मिश्रण के लिए क्रमिक और संकेतात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं: जनवरी 2027 से 1%, 2028 से 2% और 2030 तक 5%। इस पहल का उद्देश्य विमानन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना है।

सतत विमानन ईंधन (SAF) क्या है?

- सतत विमानन ईंधन (SAF) पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel - ATF) का एक वैकल्पिक ईंधन है। इसका उत्पादन टिकाऊ कच्चे माल से किया जाता है और यह अपने संपूर्ण जीवन चक्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकता है।
- SAF एक "ड्रॉप-इन ईंधन" (Drop-in Fuel) है। इसका अर्थ है कि इसे पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। लागू ईंधन मानकों के अधीन, इसे संगत विमान इंजनों और हवाई अड्डों की मौजूदा ईंधन अवसंरचना में बड़े बदलाव किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत की SAF पहल की प्रमुख विशेषताएँ:

- **क्रमिक लक्ष्य:** 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 तक 5% ईंधन मिश्रण का लक्ष्य।
- **प्रारंभिक दायरा:** इस पहल के शुरुआती चरण में घरेलू उड़ानों पर समान रूप से लागू करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **नियामक ढाँचा:** अप्रैल 2026 में सरकार ने मिश्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित ATF नियामक ढाँचे के अंतर्गत SAF को मान्यता देने वाली अधिसूचना जारी की।
- **घरेलू उत्पादन:** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ प्रयुक्त खाना पकाने के तेल सहित विभिन्न स्रोतों से SAF उत्पादन की तकनीकों पर काम कर रही हैं।

कच्चे माल के स्रोत और उत्पादन:

- SAF का उत्पादन प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (Used Cooking Oil - UCO), अपशिष्ट वसा, कृषि अवशेषों, नगरपालिका एवं औद्योगिक कचरे तथा अल्कोहल-टू-जेट (Alcohol-to-Jet - ATJ) तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। इसका सतत उत्पादन कच्चे माल की उपलब्धता, रूपांतरण तकनीक और संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाले उत्सर्जन पर निर्भर करता है।
- अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के उद्देश्यों को भी बढ़ावा दे सकता है। हालाँकि, पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए कच्चे माल की स्थिरता और उसकी आपूर्ति की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।



सतत विमानन ईंधन (SAF) मिश्रण का महत्त्व:

- **पर्यावरणीय लाभ:** कुछ उत्पादन तकनीकों में SAF पारंपरिक ईंधन की तुलना में संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है। यह विमानन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना कठिन है।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:** अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना एक वैश्विक बाजार-आधारित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विमानन से होने वाले CO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। इसके नियमों के अंतर्गत पात्र SAF विमानन कंपनियों के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों में योगदान दे सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** घरेलू स्तर पर SAF का उत्पादन भारत के विमानन ईंधन स्रोतों में विविधता ला सकता है और जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति निर्भरता कम कर सकता है।
- **आर्थिक अवसर:** SAF से अपशिष्ट प्रबंधन, जैव-शोधन, कृषि अवशेषों के उपयोग, अनुसंधान और हरित ऊर्जा में निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- प्रमुख चुनौतियों में पारंपरिक ATF की तुलना में SAF की अधिक

लागत, व्यावसायिक स्तर पर सीमित उत्पादन, अपशिष्ट कच्चे माल के संग्रह की अपर्याप्त व्यवस्था, प्रमाणन संबंधी आवश्यकताएँ और आपूर्ति शृंखला में निवेश की जरूरत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कच्चे माल का उत्पादन उचित तरीके से नहीं किया जाता है, तो इससे भूमि, जल और खाद्य फसलों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

आगे की राह:

भारत को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, सतत घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, विश्वसनीय प्रमाणन और निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए तथा ईंधन उत्पादकों, विमानन कंपनियों और नियामक संस्थाओं के बीच सहयोग मजबूत करना चाहिए। उत्सर्जन में कमी और ईंधन की किफायती उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिससे विमानन कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनी रहे।

निष्कर्ष:

भारत की सतत विमानन ईंधन (SAF) पहल स्वच्छ विमानन, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता किफायती उत्पादन, टिकाऊ कच्चे माल, प्रभावी नियमन और उत्सर्जन की विश्वसनीय गणना पर निर्भर करेगी।

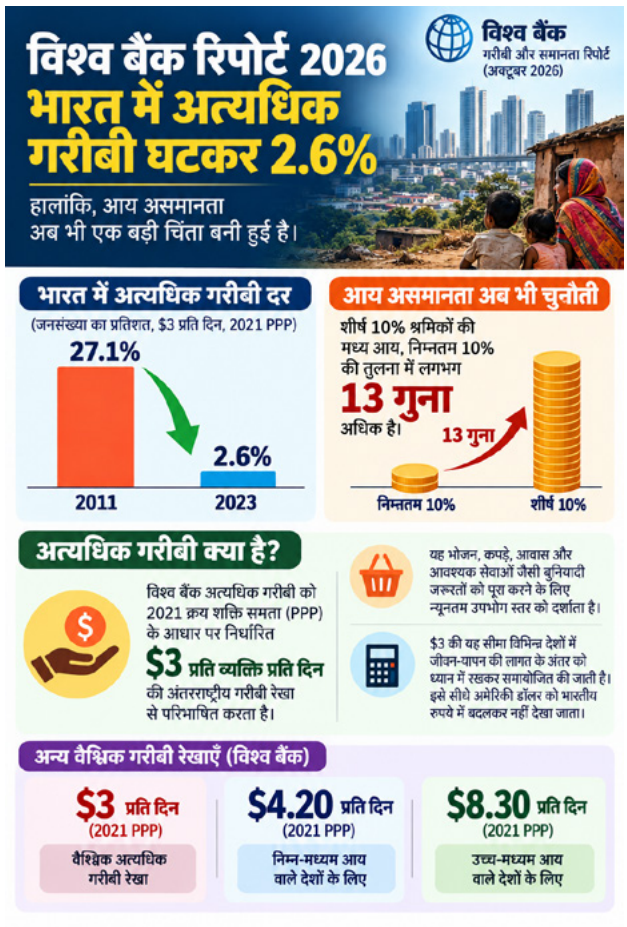
विश्व बैंक की रिपोर्ट: भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2.6% हुई

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की गरीबी एवं समानता रिपोर्ट (Poverty and Equity Brief) में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी की दर वर्ष 2011 के 27.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.6% रह गई है। हालाँकि, आय में असमानता अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि शीर्ष 10% श्रमिकों की औसत आय निचले 10% श्रमिकों की तुलना में लगभग 13 गुना अधिक है।

अत्यधिक गरीबी के बारे में:

- विश्व बैंक वर्ष 2021 की क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity-PPP) के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा का उपयोग करके अत्यधिक गरीबी को परिभाषित करता है।
- यह भोजन, कपड़े, आवास और आवश्यक सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग स्तर को दर्शाता है।
- 3 डॉलर की यह सीमा विभिन्न देशों में जीवन-यापन की लागत में अंतर के अनुसार समायोजित की जाती है। यह बाजार विनिमय दर के आधार पर 3 अमेरिकी डॉलर को सीधे भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के समान नहीं है।
- विश्व बैंक निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रतिदिन 4.20 डॉलर और उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रतिदिन 8.30 डॉलर की गरीबी रेखा का भी उपयोग करता है।



रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **मौद्रिक गरीबी में तीव्र गिरावट:** विश्व बैंक की प्रतिदिन 3 डॉलर की गरीबी रेखा (वर्ष 2021 PPP) के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर वर्ष 2011 के 27.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.6% रह गई। 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा के अंतर्गत भी गरीबी 57.7%

से घटकर 16.1% हो गई, जिससे लगभग 496 मिलियन लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। हालाँकि, लगभग 35 मिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में और 232 मिलियन लोग 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे।

- **बहुआयामी गरीबी में गिरावट:** ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा प्रकाशित भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) वर्ष 2005–06 के 53.8% से घटकर वर्ष 2019–21 में 16.4% रह गया। विश्व बैंक का बहुआयामी गरीबी माप वर्ष 2022–23 में 15.5% रहा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच को दर्शाता है।
- **आय असमानता का बने रहना:** गरीबी में कमी के बावजूद आय संबंधी असमानताएँ अभी भी महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं। वर्ष 2023–24 में शीर्ष 10% श्रमिकों की औसत आय निचले 10% श्रमिकों की तुलना में लगभग 13 गुना अधिक थी। वर्ष 2023 में भारत का गिनी सूचकांक (Gini Index) 23 दर्ज किया गया। यह समग्र उपभोग असमानता और मजदूरी संबंधी असमानता के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **अनुपातिक वेतन वृद्धि के बिना रोजगार में वृद्धि:** वर्ष 2017 से 2023 के बीच भारत में लगभग 134 मिलियन नए रोजगार जुड़े, जिसका एक कारण विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में वृद्धि रहा। हालाँकि, वास्तविक आय में व्यापक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि युवाओं में बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 14.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 15.9% हो गई। यह उत्पादक, सुरक्षित और पर्याप्त वेतन वाले रोजगार सृजित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **ग्रामीण-शहरी और क्षेत्रीय असमानताएँ:** 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर 19.3% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.6% थी। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैले राज्यों में भारत की कुल गरीब आबादी का लगभग 57% हिस्सा निवास करता था। यह क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बने रहने को दर्शाता है।

भारत में गरीबी में कमी के पीछे के कारण:

- विश्व बैंक ने उपभोग में मजबूत वृद्धि, रोजगार में बढ़ोतरी (विशेष रूप से महिलाओं के बीच) और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक हस्तांतरण के विस्तार को गरीबी में कमी के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना है।
- इसके अतिरिक्त, मनरेगा (MGNREGA), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी पहलों ने भी परिवारों के कल्याण तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में योगदान दिया है।

निष्कर्ष:

भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी समावेशी विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। हालाँकि, केवल गरीबी में कमी आर्थिक समानता की गारंटी नहीं देती है। अब ध्यान उत्पादक रोजगार सृजित करने, वास्तविक मजदूरी में सुधार करने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए।

असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दो वैधानिक निकायों के गठन की अधिसूचना जारी की है। इनमें 40 सदस्यों वाला असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा 22 सदस्यों वाला गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड शामिल हैं। इन बोर्डों का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करना, उनकी सिफारिश करना और उनकी निगरानी करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के बारे में:

- दोनों बोर्डों का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के वैधानिक ढाँचे के तहत किया गया है। इनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
 - » असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करना।
 - » सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना।
 - » कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
 - » राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था तथा संबंधित निधियों से किए गए व्यय की समीक्षा करना।
 - » सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
 - » दोनों बोर्डों की बैठक वर्ष में कम-से-कम तीन बार आयोजित

करना अनिवार्य है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया दोनों बोर्डों के अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय श्रम सचिव उपाध्यक्ष होंगे। इन बोर्डों में केंद्र और राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।



सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के बारे में:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एकीकृत और सरल बनाती है। इसका उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है।
- इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
 - **धारा 6:** असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य स्तरीय बोर्डों के गठन का प्रावधान करती है।
 - **धारा 109:** केंद्र सरकार को असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने का अधिकार देती है।
 - **धारा 113:** कल्याणकारी लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।
 - **धारा 114:** केंद्र सरकार को गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने का अधिकार देती है। इनमें जीवन एवं दिव्यांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) की सुविधाएँ शामिल हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के बारे में:

- **गिग श्रमिक (Gig Workers):** ऐसे व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रीलांसर और स्वतंत्र सेवा प्रदाता।
- **प्लेटफॉर्म श्रमिक (Platform Workers):** ऐसे व्यक्ति जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य वितरण भागीदार और ऐप आधारित ड्राइवर।
- **असंगठित श्रमिक (Unorganised Workers):** ऐसे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में घरेलू स्तर पर काम करने, स्वरोजगार या मजदूरी आधारित गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

इस विकास का महत्त्व:

- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार:** ऐसे श्रमिकों को संस्थागत सहायता प्रदान करना, जिनके पास अक्सर स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और दुर्घटना सुरक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं।
- **गिग अर्थव्यवस्था को मान्यता:** रोजगार के बदलते स्वरूप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करना।
- **संस्थागत समन्वय:** सरकारों, नियोक्ताओं, एग्रीगेटर कंपनियों और श्रमिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाना।
- **साझा जिम्मेदारी:** श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को प्रोत्साहित करना।
- **कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन:** कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा से पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

इन बोर्डों का गठन भारत के बदलते श्रम बाजार में समावेशी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इनकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और श्रमिकों तक वास्तविक रूप से लाभ पहुँचाने पर निर्भर करेगी।

7 आंतरिक सुरक्षा

डिजिटल भारत में साइबर सुरक्षा का संकट: डेटा गोपनीयता, डिजिटल विश्वास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में अक्टूबर 2026 में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर एक साथ कई साइबर खतरों की घटनाएँ देखी गई है, जिसने देश की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty), राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की कमियों को उजागर किया है। राष्ट्रीय डिजिटल प्रमाणन प्राधिकरण ई-मुद्रा (eMudhra) की एन्क्रिप्शन सुरक्षा कुंजियों (Private Keys) का लीक होना और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर उजागर होना, केवल दो अलग-अलग तकनीकी घटनाएं नहीं हैं। ये भारत के 'डिजिटल इंडिया' अभियान की आंतरिक सुरक्षा और विनियामक ढांचे (Regulatory Framework) में मौजूद बड़े अंतर को रेखांकित करती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, नागरिकों की निजता और डिजिटल शासन में जनता के विश्वास से जुड़ा विषय है।



डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा का बढ़ता महत्त्व:

- भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure- DPI) के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधार, UPI, डिजिटल बैंकिंग, डिजिलॉकर, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और ई-कॉमर्स ने नागरिकों तथा सरकार के बीच संपर्क को अधिक सरल बनाया है।
- इस परिवर्तन से आर्थिक समावेशन, सेवाओं की पहुँच और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिला है। लेकिन जैसे-जैसे अधिक सेवाएँ इंटरनेट पर निर्भर हो रही हैं, वैसे-वैसे साइबर हमलों का संभावित प्रभाव भी बढ़ रहा है। इसलिए डिजिटल विकास की सफलता का आकलन केवल ऑनलाइन सेवाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और संकट के समय काम करते रहने की क्षमता से भी किया जाना चाहिए।

ई-मुद्रा प्रकरण: डिजिटल ट्रस्ट चेन और एन्क्रिप्शन

- साइबर सुरक्षा में 'पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर' (PKI) डिजिटल विश्वास की आधारशिला है। इंटरनेट पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

सिक्योर (HTTPS) और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (TLS) प्रमाणपत्र वेबसाइट तथा उपयोगकर्ता के बीच सुरक्षित संचार स्थापित करने और वेबसाइट की पहचान सत्यापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- इन प्रमाणपत्रों को जारी करने वाली संस्थाओं को सर्टिफिकेट अथॉरिटी (Certificate Authority- CA) कहा जाता है। भारत में प्रमाणन प्राधिकरणों के नियमन और डिजिटल प्रमाणपत्रों से संबंधित व्यवस्था में नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण (Controller of Certifying Authorities- CCA) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- अक्टूबर 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, ई-मुद्रा से संबंधित आठ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रमाणपत्रों की निजी कुंजियों के निर्माण में पर्याप्त क्रिप्टोग्राफिक यादृच्छिकता का अभाव पाया गया। ऐसी कमजोरी के कारण निजी कुंजियों का अनुमान लगाने या उन्हें पुनः प्राप्त करने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- यदि इन कुंजियों का दुरुपयोग किया जाए, तो हमलावर फर्जी डिजिटल प्रमाणपत्र बनाकर वेबसाइट की पहचान की नकल करने या सुरक्षित संचार की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
- यह घटना स्पष्ट करती है कि डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्थाओं की सुरक्षा केवल एक तकनीकी विषय नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विश्वास से जुड़ा प्रश्न है। निजी कुंजियों के सुरक्षित निर्माण, भंडारण और उपयोग, स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट तथा समयबद्ध प्रमाणपत्र निरस्तीकरण की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

एसबीआई प्रकरण: डेटा गोपनीयता और वित्तीय सुरक्षा

- 21 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने ग्राहक डेटा के लीक होने की घटना की जाँच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी में 3,897 ग्राहकों से संबंधित रिकॉर्ड लीक होने का उल्लेख किया गया। बैंक ने स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी से जाँच कराने की जानकारी दी।
- यहाँ डार्क वेब और डेटा उल्लंघन के बीच संबंध को समझना आवश्यक है। डार्क वेब इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है, जहाँ कुछ सेवाओं तक पहुँचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वैध गोपनीयता उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है, लेकिन चोरी किए गए डेटा के व्यापार और साइबर अपराधों में भी किया जाता है।
- ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा होने से कई प्रकार के जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं:
 - **फिशिंग:** अपराधी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से OTP, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी माँग सकते हैं।
 - **पहचान की चोरी:** व्यक्तिगत विवरण का उपयोग फर्जी पहचान या धोखाधड़ी के प्रयासों में किया जा सकता है।
 - **लक्षित वित्तीय धोखाधड़ी:** ग्राहक की वास्तविक जानकारी का उपयोग करके उसे अधिक विश्वसनीय लगने वाले फर्जी संदेश भेजे जा सकते हैं।
 - **विश्वास में कमी:** बैंकिंग व्यवस्था में नागरिकों का भरोसा कमजोर हो सकता है।
- बैंकिंग सुरक्षा का मूल्यांकन केवल खातों और लेन-देन की सुरक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के आधार पर भी होना चाहिए।

भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- **तकनीकी निर्भरता और कमजोर सुरक्षा मानक:** अनेक संस्थान पुराने सॉफ्टवेयर, कमजोर पासवर्ड, असुरक्षित कॉन्फिगरेशन और अपर्याप्त सुरक्षा परीक्षण पर निर्भर रहते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जोखिम:** किसी एक सेवा प्रदाता या सॉफ्टवेयर कंपनी की सुरक्षा में चूक उसके अनेक ग्राहकों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए केवल अपने सिस्टम की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है।
- **संस्थागत जवाबदेही की कमी:** कई बार सुरक्षा उल्लंघन का पता लगने में देरी होती है। इससे नुकसान की सीमा बढ़ सकती है और प्रभावित नागरिकों को समय पर चेतावनी देना कठिन हो जाता है।
- **कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता:** साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक तकनीकी उपकरण और नियमित प्रशिक्षण सभी संस्थानों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- **सीमा-पार साइबर अपराध:** साइबर अपराधी, उनके सर्वर और चोरी किए गए डेटा अलग-अलग देशों में हो सकते हैं। इससे जाँच, साक्ष्य जुटाने और कानूनी कार्रवाई में कठिनाई आती है।

भारत में साइबर सुरक्षा का कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा:

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** साइबर अपराधों और

डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनी आधार प्रदान करता है।

- **सर्ट-इन (CERT-In):** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने, चेतावनी जारी करने और समन्वय स्थापित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है।
- **एनसीआईआईपीसी (NCIIPC):** राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर ध्यान देता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और डेटा फिड्यूशियरी की जवाबदेही के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC):** साइबर खतरों की पहचान और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय में सहायता करता है।
- सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र जैसी पहल के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा जागरूकता और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, कानून और संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता अपने-आप प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। इनके सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित ऑडिट, समयबद्ध कार्रवाई, प्रशिक्षित कर्मचारी और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था आवश्यक है।

आगे की राह:

भारत को डिजिटल विकास के साथ साइबर सुरक्षा को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए:

- **सुरक्षा-आधारित डिजाइन (Security by Design):** किसी डिजिटल सेवा को विकसित करते समय ही सुरक्षा को उसकी मूल संरचना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, न कि समस्या उत्पन्न होने के बाद अतिरिक्त उपाय के रूप में जोड़ा जाए।
- **नियमित सुरक्षा ऑडिट:** सरकारी वेबसाइटों, बैंकों, प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्थाओं और डिजिटल सेवा प्रदाताओं का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों के निर्माण, भंडारण और उपयोग की भी नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।
- **त्वरित सूचना और प्रतिक्रिया:** डेटा उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित संस्थानों को घटना की गंभीरता का आकलन करके निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित एजेंसियों और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए।
- **एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए स्पष्ट नियम:** एआई आधारित उपकरणों को न्यूनतम आवश्यक अधिकार दिए जाएँ। उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाए, संवेदनशील डेटा तक पहुँच सीमित हो और किसी महत्त्वपूर्ण कार्रवाई से पहले उचित मानवीय निगरानी सुनिश्चित की जाए।
- **डेटा न्यूनतमकरण:** संस्थानों को केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना चाहिए, जितना किसी वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। इससे डेटा लीक होने की स्थिति में संभावित नुकसान कम किया जा सकता है।
- **नागरिकों में जागरूकता:** नागरिकों को अनजान लिंक से बचने, बहु-कारक प्रमाणीकरण अपनाने, ओटीपी साझा न करने और संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता:** स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधानों, अनुसंधान, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, वैश्विक मानकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी महत्त्व देना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

डिजिटल भारत का भविष्य केवल तकनीकी नवाचार और इंटरनेट की व्यापक पहुँच पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि नागरिक अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल सेवाओं को कितना सुरक्षित मानते हैं। ई-मुद्रा से जुड़ी प्रमाणपत्र सुरक्षा खामी, एसबीआई के ग्राहक रिकॉर्ड के लीक होने की जाँच और एआई की बढ़ती तकनीकी क्षमताएँ अलग-अलग घटनाक्रम हैं, लेकिन ये घटनाएँ एक संदेश देती हैं कि डिजिटल व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारत को ऐसी साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो हमले होने के बाद प्रतिक्रिया न दे, बल्कि संभावित खतरों की पहले पहचान करे, नुकसान को सीमित रखे और संकट के बाद शीघ्र सामान्य स्थिति में लौट सके। यही सुरक्षित, समावेशी और विश्वसनीय डिजिटल भारत की आधारशिला होगी।

संक्षिप्त मुद्दे

फ्लीट सपोर्ट शिप-1 (FSS-1) लॉन्च

सन्दर्भ:

हाल ही में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम में फ्लीट सपोर्ट शिप-1 (FSS-1) को लॉन्च किया, FSS-5 की कील रखी तथा उन्नत स्लिपवे-4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का उद्घाटन किया। ये विकास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी जहाज निर्माण के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

फ्लीट सपोर्ट शिप क्या है?

- एक फ्लीट सपोर्ट शिप (FSS) एक विशेष नौसैनिक लॉजिस्टिक्स पोत है, जिसे समुद्र में तैनात युद्धपोतों को ईंधन, पानी, गोला-बारूद, स्पेयर पार्ट्स और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाता है।
- यह एक तैरते हुए लॉजिस्टिक्स बेस के रूप में कार्य करता है, जिससे युद्धपोतों को समुद्र में पुनःपूर्ति (Replenishment at Sea-RAS) की सुविधा मिलती है और वे लंबे समय तक बंदरगाह लौटे बिना परिचालन में बने रह सकते हैं।
- इस प्रकार, FSS नौसेना की परिचालन क्षमता, गतिशीलता और रणनीतिक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं, जो एक ब्लू-वॉटर नौसेना के लिए आवश्यक हैं।

भारत का FSS कार्यक्रम:

- भारतीय नौसेना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम के माध्यम से पाँच फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण की स्वदेशी परियोजना पर कार्य कर रही है। पहला पोत, FSS-1, 6 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया गया।
- इन जहाजों का विस्थापन लगभग 43,500–45,000 टन होने की उम्मीद है और ये हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) तथा इसके बाहर लंबे समय तक नौसैनिक अभियानों को समर्थन प्रदान करेंगे।
- FSS-5 की कील रखे जाने से श्रृंखलाबद्ध उत्पादन की दिशा में प्रगति हुई है और देश में जटिल नौसैनिक जहाज निर्माण परियोजनाओं को संचालित करने की भारत की क्षमता मजबूत हुई है।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का आधुनिकीकरण:

- उन्नत स्लिपवे-4, साथ ही 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) की बड़े जहाजों के निर्माण और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाएगी। ऐसी अवसंरचना एक मजबूत घरेलू जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।



रणनीतिक महत्व:

- **आत्मनिर्भर भारत:** स्वदेशी निर्माण रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।
- **ब्लू-वॉटर क्षमता:** फ्लीट सपोर्ट शिप नौसैनिक युद्धपोतों को लंबे समय तक तैनात रहने में सक्षम बनाते हैं, जिससे भारत की समुद्री उपस्थिति मजबूत होती है।
- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा:** बेहतर लॉजिस्टिक क्षमता भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भूमिका को मजबूत करती है और समुद्री स्थिरता में योगदान देती है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** विदेशी शिपयार्डों और तटवर्ती पुनःपूर्ति सुविधाओं पर कम निर्भरता लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के दौरान भारत की स्वतंत्र कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करती है।
- **समुद्री लॉजिस्टिक्स:** विश्वसनीय पुनःपूर्ति क्षमता समुद्री मार्गों की सुरक्षा, भारत के समुद्री हितों की रक्षा तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ:

- भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला, घटक निर्माण और परियोजना क्रियान्वयन को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

फ्लीट सपोर्ट शिप कार्यक्रम केवल भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और पोत को शामिल करना नहीं है; यह भारत के आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति बनने की दिशा में परिवर्तन का प्रतीक है। नौसैनिक लॉजिस्टिक्स को स्वदेशी जहाज निर्माण अवसंरचना के साथ जोड़कर भारत अपनी ब्लू-वॉटर क्षमताओं, रणनीतिक स्वायत्तता तथा एक सुरक्षित और स्थिर हिंद-प्रशांत में योगदान देने की क्षमता को बढ़ा सकता है।

INS मंगरोल: तीसरा माहे-क्लास एंटी-सबमरीन जहाज़

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय नौसेना ने मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में तीसरे माहे-श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत (ASW-SWC) INS मंगरोल (P82) को नौसेना में शामिल किया। कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित यह पोत भारत की तटीय रक्षा, पानी के भीतर निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करता है।

माहे-श्रेणी कार्यक्रम के बारे में:

- माहे-श्रेणी कार्यक्रम भारतीय नौसेना की एक परियोजना है, जिसके अंतर्गत पुराने अभय-श्रेणी के कार्वेट पोतों को बदलने के लिए आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत (ASW-SWC) बनाए जाने हैं। इस संबंध में 30 अप्रैल 2019 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इन पोतों की आपूर्ति जून 2028 तक निर्धारित है। यह कार्यक्रम नौसेना की तटीय युद्ध क्षमताओं के आधुनिकीकरण में सहायता करता है तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को बढ़ावा देता है।

INS मंगरोल के बारे में:

- INS मंगरोल माहे-श्रेणी श्रृंखला का तीसरा पोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आयातित रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।
- इस पोत का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक तटीय नगर और मछली पकड़ने के बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है। इसकी प्राथमिक भूमिका उथले तटीय जल में सक्रिय शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना है।



विशिष्टताएँ एवं डिजाइन:

- माहे-श्रेणी के पोतों की लंबाई लगभग 78 मीटर है तथा इनका विस्थापन लगभग 900–1,100 टन है। ये डीजल इंजन और वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके लगभग 25 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं। इनका डिजाइन उथले और सीमित जल क्षेत्रों में प्रभावी संचालन क्षमता प्रदान करता है।
- इन पोतों में RBU-6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, तीन नलियों वाले हल्के टॉरपीडो लॉन्चर, बारूदी सुरंग बिछाने वाली रेलें, 30 मिमी की नौसैनिक तोप और स्वदेशी पतवार पर लगे सोनार सिस्टम

लगाए गए हैं।

प्रमुख भूमिकाएँ एवं क्षमताएँ:

- INS मंगरोल को तटीय जलक्षेत्रों में पनडुब्बी संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध हेतु डिजाइन किया गया है। इसके सोनार सिस्टम पानी के भीतर मौजूद लक्ष्यों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सहायता करते हैं, जबकि इसके हथियार शत्रु पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम हैं।
- यह पोत पानी के भीतर निगरानी, खोज एवं बचाव (SAR), बारूदी सुरंग बिछाने तथा निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (LIMO) को भी अंजाम दे सकता है। ये क्षमताएँ बंदरगाहों, पोताश्रयों और तटीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूत करती हैं।

भारत के लिए महत्त्व:

- यह कार्यक्रम पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने की भारत की क्षमता में सुधार करके तटीय सुरक्षा तथा समुद्री क्षेत्र जागरूकता को मजबूत करता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों को भी समर्थन प्रदान करता है।
- भारतीय शिपयार्ड द्वारा इन पोतों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों को आगे बढ़ाता है, घरेलू रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है तथा भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए अवसर पैदा करता है।

निष्कर्ष:

INS मंगरोल को नौसेना में शामिल करना भारतीय नौसेना की तटीय युद्ध क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। माहे-श्रेणी कार्यक्रम स्वदेशी जहाज निर्माण को विशिष्ट पनडुब्बी रोधी तकनीक के साथ जोड़ता है, जिससे तटीय रक्षा, समुद्री निगरानी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के भारत के दीर्घकालिक उद्देश्य को बढ़ावा मिलता है।

आईएनएस समर्थक भारतीय नौसेना में शामिल

संदर्भ:

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा निर्मित स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (MPV), आईएनएस समर्थक को 16 अक्टूबर, 2026 को कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका शामिल होना रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

आईएनएस समर्थक के बारे में:

- आईएनएस समर्थक का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा तमिलनाडु स्थित अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किया गया है। यह परियोजना 25 मार्च, 2022 को रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित ₹887 करोड़ के अनुबंध का हिस्सा है, जो खरीद (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- इस पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसकी लंबाई 107 मीटर है, इसका विस्थापन 3,750 टन से अधिक है, यह अधिकतम 15 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है और इसकी अनुमानित परिचालन सीमा 4,500 समुद्री मील है। आईएनएस उत्कर्ष इस परियोजना का दूसरा पोत है। समर्थक नाम का अर्थ "प्रस्तावक" या "समर्थन करने वाला" है, जबकि इसका आदर्श वाक्य "विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है" (विजयार्थम् एकनिष्ठता) है।



भूमिकाएँ और क्षमताएँ:

- आईएनएस समर्थक एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है, जिसे कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
 - » **हथियारों और सेंसरों का परीक्षण:** स्वदेशी हथियारों, सेंसरों और युद्ध प्रणालियों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
 - » **समुद्री निगरानी:** टोही और अपतटीय गश्त में सहायता करना।
 - » **मानवरहित प्रणालियाँ:** मानवरहित हवाई और सतही वाहनों के लिए मातृ पोत के रूप में कार्य करना।
 - » **HADR:** मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना।

» **अन्य अभियान:** बचाव, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्रवाई और सीमित चिकित्सा सहायता में सहयोग करना।

भारत के लिए महत्त्व:

- **रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण:** घरेलू निर्माण से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है और भारत का रक्षा विनिर्माण तंत्र मजबूत होता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** L&T का योगदान नौसैनिक पोत निर्माण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है, जिससे नवाचार, कुशल रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** यह पोत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में निगरानी और परिचालन तत्परता को समर्थन प्रदान कर सकता है, जो समुद्री संचार मार्गों, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परीक्षण:** आईएनएस समर्थक घरेलू स्तर पर विकसित हथियारों, सेंसरों और मानवरहित प्रणालियों के परीक्षण के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उनकी परिचालन प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

आईएनएस समर्थक को भारतीय नौसेना में शामिल करना आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। स्वदेशी पोत निर्माण को मजबूत करके, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और समुद्री तत्परता को बढ़ाकर, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता में सुधार कर सकता है तथा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

जीसैट-7सी और वरुणास्त्र

संदर्भ:

हाल ही में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए जीसैट-7सी (GSAT-7C) संचार उपग्रह तथा भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र (Varunastra) भारी टॉरपीडो के अधिग्रहण हेतु कुल 4,106 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य सैन्य संचार व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना और समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है।

जीसैट-7सी संचार उपग्रह:

- जीसैट-7सी भारतीय वायुसेना की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित एक समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है।
 - » **अनुबंध राशि:** 2,563 करोड़ रुपये।
 - » **संबंधित संस्था:** न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)।
 - » **प्रमुख उद्देश्य:** वायुसेना के विभिन्न विमानों, कमान केंद्रों और अन्य सैन्य प्रणालियों के बीच सुरक्षित संचार को बेहतर बनाना।
- **प्रमुख महत्त्व:**
 - » **सुरक्षित सैन्य संचार:** उपग्रह आधारित संचार से सैन्य इकाइयों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
 - » **नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता:** विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय से वास्तविक समय में निर्णय लेने और अभियान संचालित करने में सहायता मिलेगी।
 - » **सामरिक स्वायत्तता:** स्वदेशी संचार क्षमताओं से विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
 - » **वायु रक्षा का आधुनिकीकरण:** आधुनिक युद्ध में सुरक्षित संचार और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान वायु अभियानों की प्रभावशीलता के लिए महत्त्वपूर्ण है।



वरुणास्त्र भारी टॉरपीडो:

- वरुणास्त्र भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक स्वदेशी, पोत से प्रक्षेपित होने वाला भारी पनडुब्बी-रोधी टॉरपीडो है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL) ने विकसित किया है।
 - » **अनुबंध राशि:** 1,543 करोड़ रुपये।

- **निर्माता:** भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL), हैदराबाद।
- **प्रमुख उद्देश्य:** समुद्र के भीतर संचालित होने वाली शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाना।

- **प्रमुख महत्त्व:**
 - **पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता:** आधुनिक टॉरपीडो समुद्री सुरक्षा और शत्रु पनडुब्बियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - **समुद्री हितों की सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के व्यापारिक समुद्री मार्गों और सामरिक हितों की रक्षा के लिए मजबूत नौसैनिक क्षमता आवश्यक है।
 - **स्वदेशी रक्षा तकनीक:** घरेलू स्तर पर विकसित और निर्मित हथियारों से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
 - **रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन:** इस प्रकार के अनुबंध भारतीय रक्षा कंपनियों और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र:

- भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। जीसैट-7सी और वरुणास्त्र से संबंधित अनुबंध इसी दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं।
- इन समझौतों के प्रमुख लाभ हैं:
 - **आयात पर निर्भरता में कमी:** महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों के घरेलू विकास को प्रोत्साहन।
 - **तकनीकी विकास:** अंतरिक्ष संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों में देश की क्षमता का विस्तार।
 - **रोजगार सृजन:** रक्षा विनिर्माण और सहायक उद्योगों में कुशल रोजगार के अवसर।
 - **रणनीतिक स्वायत्तता:** संकट या अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में घरेलू क्षमताओं का महत्त्व बढ़ जाता है।
- हालाँकि, वास्तविक आत्मनिर्भरता के लिए केवल उपकरणों का देश में निर्माण पर्याप्त नहीं है। महत्त्वपूर्ण कलपुर्जों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और अनुसंधान एवं विकास में भी घरेलू क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास में लागत और समय का प्रबंधन।
- साइबर हमलों तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सैन्य संचार की सुरक्षा।
- रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- स्वदेशी तकनीक के निरंतर उन्नयन और रखरखाव की व्यवस्था विकसित करना।

निष्कर्ष:

जीसैट-7सी और वरुणास्त्र के लिए 4,106 करोड़ रुपये के अनुबंध भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। ये क्रमशः वायुसेना की सुरक्षित संचार क्षमता और नौसेना की पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। दीर्घकाल में इनकी सफलता समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी विश्वसनीयता और घरेलू रक्षा अनुसंधान में निरंतर निवेश पर निर्भर करेगी।

केंद्र ने ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी

संदर्भ:

हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्तावित खरीद का लगभग 82% हिस्सा भारतीय उद्योगों से प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि:

- भारत को विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सीमा विवाद, सीमा पार से होने वाले खतरे और समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार, उन्नत निगरानी प्रणालियाँ और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियाँ लगातार महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं।
- भारत पारंपरिक रूप से सैन्य उपकरणों की कई श्रेणियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहा है। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए रक्षा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशी विनिर्माण महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताएँ बन गए हैं।

रक्षा सौदों की प्रमुख विशेषताएँ:

- इन प्रस्तावों में भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना शामिल हैं।

- » **भारतीय थल सेना:** उच्च गतिशीलता वाले वाहन, स्वचालित ट्रैक-आधारित तोपें, हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, निगरानी ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ।
- » **भारतीय नौसेना:** आने वाली जहाज-रोधी मिसाइलों से सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली (Active Offboard Decoy System)।
- » **भारतीय वायु सेना:** हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा क्षमताएँ और मोबाइल एक्स-बैंड डॉप्लर मौसम रडार।

- इन खरीद प्रस्तावों का उद्देश्य परिचालन गतिशीलता, युद्धक्षेत्र में निगरानी, मारक क्षमता, वायु रक्षा और समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

भारत के लिए महत्त्व:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** सैन्य तैयारी और उभरते खतरों का जवाब देने की क्षमता को बढ़ाती है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** घरेलू रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करती है।
- **आर्थिक विकास:** रक्षा उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), कुशल रोजगार और तकनीकी नवाचार के लिए अवसर पैदा करती है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** सैन्य उपकरणों का स्वतंत्र रूप से रखरखाव और उन्नयन करने की भारत की क्षमता को मजबूत करती है।
- **आधुनिक युद्ध:** ड्रोन, सटीक हमलों और बदलते समुद्री खतरों से निपटने की क्षमताओं में सुधार करती है।



सरकारी पहलें:

- ये मंजूरियाँ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के नेतृत्व में किए जा रहे अनुसंधान, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों तथा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों जैसी कई पहलों को पूरक बनाती हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्वदेशी डिजाइन, विनिर्माण, अनुसंधान और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

चुनौतियाँ:

- प्रमुख चुनौतियों में महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए आयात पर निर्भरता, खरीद प्रक्रिया में देरी, लागत में वृद्धि, अनुसंधान एवं विकास की सीमित क्षमताएँ और घरेलू उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाने में कठिनाइयाँ शामिल हैं। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन और गुणवत्ता आश्वासन आवश्यक होंगे।

आगे की राह:

- भारत को रक्षा अनुसंधान को मजबूत करना चाहिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, MSMEs को समर्थन देना चाहिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुधार करना चाहिए और खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। स्वदेशी इंजनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसरों और उन्नत सामग्रियों में अधिक निवेश से आयात पर निर्भरता को और कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी देना सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इनकी सफलता समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी प्रगति और सतत घरेलू उत्पादन पर निर्भर करेगी, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।



प्रमुख चर्चित स्थल

कोलामार्का और तानसा वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए कोलामार्का संरक्षण रिजर्व को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने तथा तानसा वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

कोलामार्का और तानसा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- कोलामार्का वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में गढ़चिरौली जिले की सिरोंचा तहसील में स्थित है। इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, घने बाँस के झुरमुट और नदी तटीय घास के मैदान शामिल हैं। यह प्राणहिता और इंद्रावती नदी बेसिन के अंतर्गत आता है तथा छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है।
- यह एक अंतर्राज्यीय वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। यह विशेष रूप से मध्य भारत में संकटग्रस्त एशियाई जंगली जल भैंस (Bubalus arnee) की पृथक एवं आनुवंशिक रूप से शुद्ध आबादी के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।



- तानसा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के ठाणे जिले की शाहपुर और भिवंडी तहसीलों तथा पालघर जिले की वाडा तहसील में फैला हुआ है। यह मुंबई से लगभग 90 किमी उत्तर-पूर्व में पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। इसके पहाड़ी भू-भाग की ऊँचाई लगभग 70–300 मीटर है, जबकि माहुली किला (762 मीटर) ठाणे जिले का सबसे ऊँचा स्थान है। यहाँ की वनस्पति में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रमुख हैं, जिनमें सागौन, खैर, कलंब और बाँस के वृक्ष पाए जाते हैं।
- तानसा और वैतरणा नदियाँ तथा तानसा, वैतरणा, मोडक सागर और भातसा जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र मुंबई की जलापूर्ति में सहायता करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीव-जंतुओं में तेंदुआ, स्लॉथ भालू, भौंकने वाला हिरण और संकटग्रस्त फॉरेस्ट आउलेट शामिल हैं। यह 200–250 से अधिक पक्षी प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है।

शिंटाफू (सिंटाफू) हिमनदीय झील, भूटान

हाल ही में 29 अक्टूबर 2026 को भूटान के गासा जिले में स्थित शिंटाफू हिमनदीय झील में कथित तौर पर एक बड़ी हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood–GLOF) की घटना हुई। इसके कारण बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बह निकला और पश्चिम बंगाल तथा असम के कुछ हिस्सों में बाढ़ संबंधी अलर्ट जारी किए गए।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- शिंटाफू झील, जिसे सिंटाफू या चिंटाफू त्शो (Chintaphu Tsho) के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर-पश्चिमी भूटान के सुदूरवर्ती गासा जिले में स्थित एक उच्च ऊँचाई वाली हिमनदीय झील है। यह लाया गेओग (Laya Gewog) के लुंगो क्षेत्र में वाकिला पर्वत के नीचे हिमनद

के अग्रभाग के निकट स्थित है। इसमें दो आपस में जुड़ी हुई झीलें शामिल हैं—एक ऊपरी झील (लगभग 8 हेक्टेयर) और दूसरी बड़ी निचली झील (लगभग 23.53 हेक्टेयर)।

- ये झीलें पीछे हटते हिमालयी हिमनदों से पिघलने वाले जल के कारण बनी हैं। इन्हें चट्टानों, बड़े पत्थरों और हिमनदीय मलबे से बने प्राकृतिक मोरेन बाँधों द्वारा रोका जाता है।
- यह झील प्रणाली मो छू नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। पुनाखा में मो छू नदी, फो छू नदी से मिलकर पुनात्सांगछू नदी का निर्माण करती है, जो अंततः संकोश नदी प्रणाली के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में मिल जाती है।

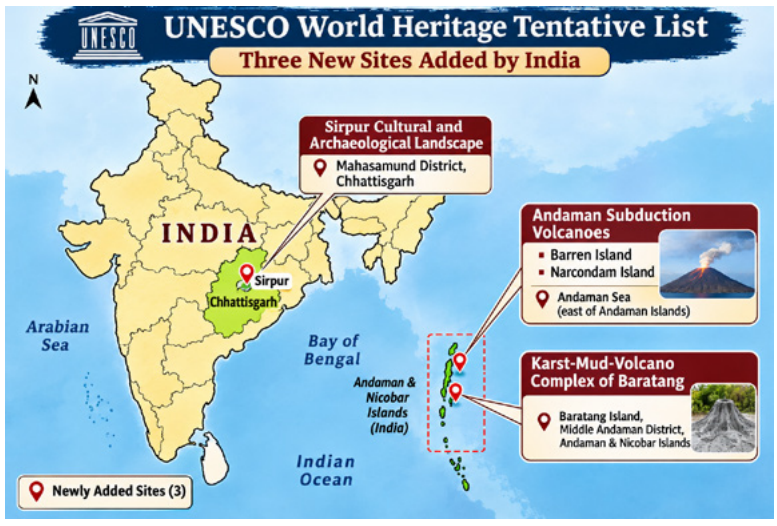


यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची

हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में तीन नए स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में इन स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 81 हो गई है। अस्थायी सूची में शामिल होना किसी देश द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए औपचारिक नामांकन प्रस्तुत करने से पहले की एक प्रारंभिक अनिवार्यता है।

तीन नए शामिल स्थल:

- **बाराटांग का कार्स्ट-मड-वोल्केनो कॉम्प्लेक्स:** यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान जिले में स्थित बाराटांग द्वीप पर स्थित है। यह दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीपों के बीच स्थित है। यहाँ जटिल चूना पत्थर की गुफाएँ तथा स्टैलेक्टाइट्स (Stalactites) और स्टैलेग्माइट्स (Stalagmites) जैसी गुफा संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिनका निर्माण भूजल द्वारा चूना पत्थर के रासायनिक विघटन से हुआ है। यहाँ विशिष्ट मड ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से जलकी (Jalki) कहा जाता है। ये पिघले हुए लावा के बजाय भूमिगत गैस के दबाव और संपीड़ित तलछट के कारण मिट्टी, पानी और गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इस द्वीप की प्रमुख विशेषताओं में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव और तटीय जलधाराएँ शामिल हैं।
- **अंडमान सबडक्शन ज्वालामुखी:** ये अंडमान सागर में स्थित हैं तथा इनमें अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में स्थित बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप शामिल हैं। यह क्षेत्र बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के अधःस्खलन (Subduction) से जुड़ी सक्रिय विवर्तनिक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है तथा सुंडा-अंडमान ज्वालामुखीय चाप का हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। यहाँ एक धँसा हुआ ज्वालामुखीय क्रेटर (Caldera) और बेसाल्टिक लावा प्रवाह देखने को मिलता है। नारकोंडम द्वीप, जो इससे आगे उत्तर-पूर्व में स्थित



है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखीय द्वीप है, जहाँ विशिष्ट ज्वालामुखीय भू-विज्ञान देखने को मिलता है। यह जैव विविधता की दृष्टि से भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है तथा स्थानिक नारकोंडम हॉर्नबिल (Narcondam Hornbill) का प्राकृतिक आवास है।

- **सिरपुर सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक परिदृश्य:** यह छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह रायपुर से लगभग 35 किमी पूर्व में स्थित है। यह प्राचीन दक्षिण कोसल क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण नदी-आधारित व्यापारिक एवं नगरीय केंद्र था। यह स्थल अपने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों तथा मठों के माध्यम से विभिन्न धर्मों के बीच समृद्ध अंतःक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। यह प्रोटेरोज़ोइक छत्तीसगढ़ बेसिन के अंतर्गत भी आता है, जो स्ट्रोमैटोलाइट संरचनाओं के लिए जाना जाता है। ये संरचनाएँ प्राचीन सूक्ष्मजीवी गतिविधियों, जिनमें सायनोबैक्टीरिया भी शामिल हैं, से संबंधित हैं।

मोंगला बंदरगाह, बांग्लादेश

हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को अपनी सीमा के निकट एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र विकास परियोजना में शामिल किया है। बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (BEZA) ने बागेरहाट में 110 एकड़ भूमि पर चीन-बांग्लादेश मोंगला पोर्ट आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (CCECC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अवस्थिति एवं भौगोलिक विशेषताएँ:

- मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। यह दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के खुलना मंडल के बागेरहाट जिले में स्थित है। यह खुलना शहर से लगभग 48 किमी दक्षिण में तथा बंगाल की खाड़ी की तटरेखा से लगभग 60–100 किमी उत्तर में स्थित है। यह पासुर (पुसुर) नदी और मोंगला नदी के संगम के निकट स्थित है, जो विस्तृत नदीय जलमार्ग प्रणाली के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुँच प्रदान करता है। इसके लगभग भौगोलिक निर्देशांक 21°26.9′ उत्तरी अक्षांश और 89°34.4′ पूर्वी देशांतर हैं।
- इस बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1950 में चालना (Chalna) में की गई थी, लेकिन बड़े समुद्री जहाजों के आवागमन की सुविधा के लिए वर्ष 1954 में इसके लंगर डालने के स्थान को वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्राकृतिक रूप से सुंदरबन द्वारा संरक्षित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके आसपास की ज्वारीय नदी जलधाराओं में व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए पर्याप्त नौवहन गहराई बनाए रखने हेतु नियमित रूप से ड्रेजिंग (तल की गाद निकालने) की आवश्यकता होती है।



पावर पैक्ड न्यूज

एशियाई खेल 2026

- 20वें एशियाई खेल, जिन्हें आधिकारिक रूप से आइची-नागोया 2026 (Aichi-Nagoya 2026) के नाम से जाना जाता है, का आयोजन जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 43 खेल, 71 स्पर्धाएँ और 469 पदक स्पर्धाएँ शामिल थीं। इसमें 45 देशों और क्षेत्रों ने भाग लिया। इन खेलों का आधिकारिक नारा "इमैजिन वन एशिया" (Imagine One Asia) था।
- भारत ने 503 सदस्यीय दल के साथ इन खेलों में भाग लिया और कुल 85 पदक हासिल किए। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल थे। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। तीरंदाजी भारत के लिए एक प्रमुख पदक स्रोत रही, जिसमें पाँच स्वर्ण पदक मिले। वहीं, निशानेबाजी और मुक्केबाजी में भारत ने तीन-तीन स्वर्ण पदक हासिल किए। क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में भी भारत ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। एशियाई खेलों का भारत के लिए ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इनका पहला संस्करण वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह खेलों के माध्यम से एशियाई एकता को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

दोहा को 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए OCA ध्वज सौंपा गया

- हाल ही में, कतर की राजधानी दोहा को जापान के नागोया में 4 अक्टूबर 2026 को आयोजित 20वें एशियाई खेल (आइची-नागोया 2026) के समापन समारोह के दौरान ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) का ध्वज आधिकारिक रूप से सौंपा गया। इस हस्तांतरण के साथ वर्ष 2030 में होने वाले 21वें एशियाई खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से कतर को सौंप दी गई।
- कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने OCA का ध्वज प्राप्त किया। इस समारोह की देखरेख OCA और कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी ने की।
- इस अवसर पर कतर ने दोहा 2030 एशियाई खेलों की आधिकारिक पहचान (लोगो) और नारे का भी अनावरण किया। इसका नारा "द गेम्स वी लिव फॉर" (The Games We Live For) है। इसके लोगो में OCA के सूर्य प्रतीक को DOHA शब्द के अक्षर 'O' में शामिल किया गया है। यह एशियाई खेल आंदोलन के साथ कतर के जुड़ाव, उसकी सांस्कृतिक विरासत और भावी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है।

उत्तर प्रदेश ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किया

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत, संत रविदास के सम्मान में भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2026 को जिले में 1,340 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस निर्णय की घोषणा की।
- नाम परिवर्तन के माध्यम से जिले के संत रविदास से जुड़े पुराने संबंध को पुनः स्थापित किया गया है, जबकि इसकी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए भदोही नाम को भी बरकरार रखा गया है। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
- भदोही जिले की स्थापना 30 जून 1994 को वाराणसी जिले से अलग करके की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का 65वाँ जिला बना। समय के साथ इसके आधिकारिक नाम में कई बदलाव हुए। इनमें 1990 के दशक के उत्तरार्ध में संत रविदास नगर नाम अपनाना भी शामिल था, जिसके बाद पुनः भदोही नाम बहाल कर दिया गया।

अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 (MOUNTAIN GUARDIAN 2026) का पहला संस्करण 5 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 से 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय युद्ध कौशल (Mountain Warfare) पर ध्यान केंद्रित करना तथा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। इस अभ्यास में कुल 92 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं, जिनमें दोनों देशों के 46-46 सैनिक शामिल हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व भैरव बटालियन कर रही है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का दल उसकी माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के सैन्यकर्मियों से बना है। दोनों देशों की सेनाओं की महिला अधिकारी और महिला योद्धा (combatants) भी विशेष भूमिकाओं में भाग ले रही हैं।
- इस अभ्यास में संयुक्त योजना निर्माण, सामरिक अभ्यास, फायरिंग अभ्यास, निगरानी अभियान, ड्रोन तैनाती, रॉक क्लाइम्बिंग और बाधा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability), परिचालन समन्वय तथा सैन्य रणनीतियों एवं तकनीकों के आदान-प्रदान को मजबूत करना है।

भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप 'सूर्य' लॉन्च किया

- हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 अक्टूबर 2026 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप (FSS-1) 'सूर्य' (Surya) को लॉन्च किया। यह उपलब्धि भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- इस जहाज का विस्थापन (Displacement) 43,500 टन है तथा इसकी लंबाई 223.6 मीटर और चौड़ाई 31.5 मीटर है। इसमें 82% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह अधिकतम 20 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है तथा 15 नॉट की गति से 12,000 समुद्री मील की परिचालन सीमा तय कर सकता है। इसे 60 दिनों तक लगातार समुद्र में अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 20,000 टन हाई-स्पीड डीजल, 2,500 टन विमानन ईंधन, ताजा पानी, खाद्य सामग्री और गोला-बारूद ले जाने में सक्षम है। यह लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने वाले नौसैनिक युद्धपोतों को रसद सहायता प्रदान करेगा।
- यह परियोजना भारत की नौसैनिक परिचालन तत्परता को मजबूत करेगी, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगी तथा स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाएगी। इसके साथ ही, यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना प्रमुख के रूप में 29वें प्रमुख का कार्यभार संभाला

- हाल ही में, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायुसेना (IAF) के 29वें वायुसेना प्रमुख (Chief of the Air Staff-CAS) के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लिया।
- एयर चीफ मार्शल दीक्षित का जन्म 9 दिसंबर 1966 को हुआ था। उन्हें दिसंबर 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्रदान किया गया था। वे एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट (Experimental Test Pilot) हैं और 20 से अधिक प्रकार के विमानों पर 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं। अपने विशिष्ट सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें वायुसेना उप प्रमुख (Vice Chief of the Air Staff), चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) तथा सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद शामिल हैं।
- उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर सहित कई महत्त्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लिया है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), वायु सेना मेडल (VM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया जा

चुका है।

10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026

- हाल ही में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 का 10वाँ संस्करण 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया गया। इसका विषय (Theme) "स्केल विदाउट बाउंड्रीज" (Scale Without Boundaries) था। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- इस आयोजन में उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। इनमें 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सैटेलाइट संचार, क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर विनिर्माण शामिल हैं।
- IMC 2026 के चार प्रमुख स्तंभ हैं—सृष्टि (भविष्य का निर्माण), सुरक्षा (विश्वास को मजबूत करना), सशक्त (अवसरों का विस्तार) और संवर्धन (विकास को गति देना)। इस आयोजन ने स्टार्टअप, निवेशकों, शोधकर्ताओं और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों को आपसी सहयोग तथा स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।

12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (SAREX-2026)

- हाल ही में, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 7 अक्टूबर 2026 को ओडिशा में पारादीप तट के निकट 12वें राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (SAREX-2026) का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य तकनीकी प्रगति और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से समुद्री खोज एवं बचाव (Search and Rescue-SAR) संबंधी तैयारियों को मजबूत करना था।
- इस अभ्यास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न देशों के बीच संयुक्त रूप से कार्य करने की क्षमता (Interoperability) को बढ़ावा देने के लिए 30 मित्र विदेशी देशों के 32 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का एक प्रमुख आकर्षण एक काल्पनिक सामूहिक बचाव अभियान (Mass Rescue Operation) था, जिसमें 228 लोगों को ले जा रहा एक विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरता है और इसके बाद कंटेनर जहाज MV Zumba से टकरा जाता है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के 15 जहाजों, डोर्नियर विमानों, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों, भारतीय नौसेना के जहाजों तथा भारतीय वायुसेना के C-130J और Mi-17 विमानों ने भाग लिया।
- इसके अतिरिक्त, भारत के 46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र (Indian Search and Rescue Region-ISRR) में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भुवनेश्वर में 24वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की बैठक भी आयोजित की गई।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1%

- हाल ही में, विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2026 की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (India Development Update) रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान पहले के 6.6% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। इस अनुमान में वृद्धि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू मांग में मजबूती, निर्यात में वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे मजबूत निजी उपभोग और निवेश का समर्थन मिला। विश्व बैंक को उम्मीद है कि आर्थिक विकास की यह गति बनी रहेगी और वित्त वर्ष 2027-28 के लिए विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में बुनियादी ढाँचे में निवेश, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र का विस्तार, GST सुधार और बेहतर व्यावसायिक परिस्थितियाँ शामिल हैं।
- हालाँकि, रिपोर्ट में कई जोखिमों को भी रेखांकित किया गया है, जिनमें वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, अल नीनो (El Niño) के कारण वर्षा में कमी, खाद्य मुद्रास्फीति और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता शामिल हैं।

- रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को भारत की आर्थिक वृद्धि के एक उभरते हुए कारक के रूप में भी महत्त्व दिया गया है। भारत का तकनीकी कार्यबल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विस्तारित IT क्षेत्र AI को अपनाने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। भारत में निजी AI निवेश वर्ष 2024 के 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 4.1 अरब डॉलर हो गया।

उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित

- हाल ही में, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड आधिकारिक रूप से 8 जुलाई 2026 को भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। यह घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उल्लास (ULLAS-Understanding of Lifelong Learning for All in Society) पहल के तहत की गई।
- शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच 98.7% की वयस्क साक्षरता दर हासिल की है, जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए निर्धारित 95% के मानक से अधिक है। राज्य की साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में 83.8% से बढ़कर 98.7% हो गई। इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड भारत के पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ शामिल हो गया है।
- उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और आवश्यक जीवन कौशल के माध्यम से गैर-साक्षर वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य समाज में आजीवन सीखने (Lifelong Learning) और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- **महत्त्व:** यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है। इसके साथ ही, यह सामाजिक सशक्तीकरण को मजबूत करती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है तथा विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों तक पहुँच में सुधार करती है।

भारत-घाना संबंध: द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना

- हाल ही में, भारत और घाना ने विज्ञान, शिक्षा, अकादमिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण तथा कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 6 अक्टूबर 2026 को दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया। इन समझौतों का आदान-प्रदान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अबलाक्वा की उपस्थिति में किया गया।
- दोनों समझौते निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:
 - » पहला समझौता ज्ञापन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और घाना विश्वविद्यालय (University of Ghana) के बीच हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक सहयोग, जैव विविधता संरक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
 - » दूसरा समझौता ज्ञापन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और घाना के CSIR-क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच प्रारंभिक पाँच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य संयुक्त कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से टमाटर की खेती और अधिक उपज देने वाली फसल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन (Post-Harvest Management), कोल्ड-चेन अवसंरचना और कृषि प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को भी बढ़ावा देना शामिल है।

RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से औपचारिक रूप से बाहर कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना 31 जुलाई 2026 को जारी की गई और इसे 7 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया।

- यह निर्णय RBI द्वारा PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिया गया। यह लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से रद्द किया गया था। इसका प्रमुख कारण लगातार नियामकीय नियमों का अनुपालन न करना और ऐसी गतिविधियाँ थीं, जिन्हें जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक माना गया।
- इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत PPBL को बंद करने (Winding Up) का आदेश दिया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) नियुक्त किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने 7–8 अक्टूबर 2026 को भारतीय प्रेस परिषद (PCI) का पुनर्गठन करते हुए कार्यरत पत्रकार समुदाय के 13 नए सदस्यों को नामित किया है। इस परिषद की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
- नव-नामित पत्रकार सदस्यों में छह संपादक और सात गैर-संपादकीय पत्रकार शामिल हैं। भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक, स्वायत्त और स्व-नियामक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा पत्रकारिता के मानकों को कायम रखने के उद्देश्य से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
 - » प्रथम प्रेस आयोग (1952) ने न्यायमूर्ति जी.एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। प्रारंभ में इसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत वर्ष 1966 में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर थे। वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत इसे पुनः स्थापित किया गया।

आंध्र प्रदेश में भारत की पहली 3D-प्रिंटेड ग्रामीण आवास पायलट परियोजना

- हाल ही में, भारत ने 4 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश में अपनी पहली 3D-प्रिंटेड ग्रामीण आवास पायलट परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य उभरती निर्माण प्रौद्योगिकी को किफायती ग्रामीण आवास व्यवस्था के साथ जोड़ना है।
- इस पायलट परियोजना के तहत गुंटूर जिले के बुर्रिपालेम, ओबुलनायुडुपालेम और पोथुरु गाँवों में 177 मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 13.93 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय 9.44 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि राज्य सरकार 4.49 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इस परियोजना के छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए CSIR-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI), रुड़की तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- इस तकनीक में डिजिटल डिजाइन के आधार पर विशेष प्रकार के कंक्रीट का उपयोग करके रोबोटिक एक्सट्रूज़न (Robotic Extrusion) के माध्यम से दीवारों का निर्माण परत-दर-परत किया जाता है। हालाँकि, नींव, छत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण पारंपरिक तरीकों से ही किया जाएगा। इस तकनीक से निर्माण का समय, श्रम की आवश्यकता और सामग्री की बर्बादी कम हो सकती है तथा निर्माण कार्य में सटीकता बढ़ सकती है।
- यह पहल प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण विकास और PMAY-G के उद्देश्यों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यदि इस तकनीक का सफलतापूर्वक बड़े स्तर पर विस्तार किया जाता है, तो 3D-प्रिंटेड आवास टिकाऊ और किफायती घरों के निर्माण में तेजी ला सकते हैं तथा सभी के लिए आवास (Housing for All) के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

भारतीय पायलट स्मित मच्छर को इजरायल का नागरिक वीरता पुरस्कार मिलेगा

- हाल ही में, भारतीय फ्लाईदुबई विमान के कप्तान स्मित मच्छर को इजरायल के राष्ट्रपति नागरिक वीरता पुरस्कार (Presidential Award for Civilian Heroism) के लिए चुना गया है। यह इजरायल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने विमान के भीतर हुए हमले के दौरान एक गंभीर विमानन दुर्घटना को रोकने में उनके साहस और सूझबूझ को मान्यता दी।
- 30 सितंबर 2026 को स्मित मच्छर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान उनके सह-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट के अंदर उन पर क्रैश एक्स (Crash Axe) से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छर ने हमले का विरोध किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे। इसके बाद यात्रियों और ड्यूटी पर तैनात न रहने वाले पायलटों ने हस्तक्षेप किया, हमलावर को काबू में किया और विमान की सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद की।
- राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने इस पुरस्कार की घोषणा की और मच्छर के स्वस्थ होने के बाद उन्हें पदक प्रदान करने के लिए यरुशलम आमंत्रित किया। भारतीय पायलट को उनके साहसिक कार्यों के लिए UAE के फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायेद II से भी सम्मानित किया गया है।

भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अजीत को कमीशन किया

- हाल ही में, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 9 अक्टूबर 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में अपने स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) ICGS अजीत को कमीशन किया। यह कमीशनिंग भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस पोत की लंबाई 51.43 मीटर और विस्थापन क्षमता 330 टन है। 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित इस पोत में दो डीजल इंजन और कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर (Controllable Pitch Propellers) लगाए गए हैं। यह 27 नॉट से अधिक की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है तथा इसकी परिचालन सीमा 1,500 समुद्री मील है। इसके हथियार प्रणालियों में 30 मिमी की नौसैनिक तोप और दो स्थिर मशीन गन शामिल हैं। इस पोत का संचालन 6 अधिकारियों और 35 नाविकों द्वारा किया जाएगा।
- ICGS अजीत को गुजरात के ओखा में तैनात किया जाएगा। यह गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और अरब सागर में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेगा। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, तस्करी और समुद्री डकैती विरोधी अभियान, मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण से निपटना शामिल है।

भारतीय नौसेना ने तीसरे माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत INS मंगरोल को कमीशन किया

- हाल ही में, भारतीय नौसेना ने INS मंगरोल (P82) को 12 अक्टूबर 2026 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया। यह माहे श्रेणी के उथले जल में संचालित होने वाले पनडुब्बी रोधी युद्धक पोतों (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft-ASW-SWC) की श्रृंखला का तीसरा पोत है। कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा डिजाइन और निर्मित इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरणों एवं घटकों का उपयोग किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- INS मंगरोल को विशेष रूप से उथले तटीय जल क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों और पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने, उनका पीछा करने तथा उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनमें अभय (Abhay) हल-माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच (Maareech) टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल हैं। इस पोत का नाम पूर्ववर्ती INS मंगरोल (M85) के नाम पर रखा गया है। यह पूर्व पोत एक माइनस्वीपर (Mine Sweeper) था, जिसने अप्रैल 2004 तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएँ दी थीं।

वाराणसी में शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर का उद्घाटन

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर का संयुक्त रूप से 7 अक्टूबर 2026 को उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
- यह स्मृति कॉरिडोर रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र (Rudraksh International Cooperation and Convention Centre) में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य शिंजो आबे की विरासत का सम्मान करना तथा भारत-जापान संबंधों को मजबूत बनाने में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है।
- यह कॉरिडोर द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्वपूर्ण पड़ावों को प्रदर्शित करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - **2007:** शिंजो आबे द्वारा भारतीय संसद को संबोधित करना।
 - **2014:** काशी-क्योटो साझेदार शहर समझौते (Kashi-Kyoto Partner City Agreement) पर हस्ताक्षर।
 - **2015:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की वाराणसी की संयुक्त यात्रा, जिसमें दोनों नेताओं ने गंगा आरती में भाग लिया।
- शिंजो आबे ने जापान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने तथा बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नामेरी टाइगर रिजर्व को CA|TS की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई

- हाल ही में, असम स्थित नामेरी टाइगर रिजर्व को 10 सितंबर 2026 को CA|TS अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समिति (CA|TS International Executive Committee) से कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (Conservation Assured | Tiger Standards-CA|TS) की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस मान्यता के साथ असम के सभी चार बाघ अभयारण्यों—काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी—को CA|TS ढाँचे के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई है।
- असम के सोनितपुर जिले में स्थित नामेरी टाइगर रिजर्व लगभग 464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 200 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र शामिल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के अनुसार, यहाँ बाघों की संख्या वर्ष 2022 में 3 थी, जो वर्ष 2025 के अंत तक बढ़कर 12 हो गई। यह टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के साथ एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा भी बनाता है, जो वन्यजीवों की आवाजाही और आवासों के बीच संपर्क बनाए रखने में सहायता करता है।
- वन्यजीवों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिजर्व के कोर क्षेत्र में 39 अवैध शिकार विरोधी शिविर स्थापित किए गए हैं। संरक्षण उपायों में चौबीसों घंटे पैदल और हाथियों के माध्यम से गश्त, कैमरा ट्रैप निगरानी, घास के मैदानों का पुनर्स्थापन तथा अतिक्रमित वन भूमि की पुनर्बहाली शामिल हैं। कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचा है, जो निर्धारित प्रबंधन एवं सुरक्षा मानकों के आधार पर बाघ संरक्षण क्षेत्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

लद्दाख में भारत की पहली उच्च-ऊँचाई वाली हिम तेंदुआ वन्यजीव सफारी शुरू

- हाल ही में, लद्दाख ने लेह में वन्यजीव सप्ताह समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2026 को भारत की पहली उच्च-ऊँचाई वाली हिम तेंदुआ वन्यजीव सफारी शुरू की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए छह ओपन-बैक वाहनों के माध्यम से इस सफारी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल स्नो लेपर्ड एंड हाई-एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन (SHAN) सोसाइटी तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग का संयुक्त प्रयास है।
- प्रारंभ में यह सफारी रुम्बक, शांग और उले क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। भविष्य में इसके मार्गों का विस्तार हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, चांगथांग, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, नुब्रा, जांस्कर, शाम, कारगिल और द्रास तक करने की योजना है।
- नवीनतम जनसंख्या आकलन के अनुसार, लद्दाख में लगभग 477 हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जो भारत में अनुमानित कुल 718 हिम तेंदुओं

की आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार इको-टूरिज्म के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के सतत अवसर उत्पन्न करना है। इसके तहत 20 स्थानीय युवाओं को पक्षी अवलोकन (Birdwatching) और वन्यजीव गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने तथा पक्षी अवलोकन के लिए विशेष छिपने के स्थान (Birdwatching Hides) विकसित करने की योजना भी शामिल है।

विश्व खाद्य दिवस 2026: 16 अक्टूबर को मनाया गया

- हाल ही में, विश्व खाद्य दिवस 2026 16 अक्टूबर को मनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के नेतृत्व में आयोजित 46वाँ वार्षिक आयोजन था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक भूख, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा तथा सतत कृषि-खाद्य प्रणालियों की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्ष 2026 की थीम "आज नवाचार करें, कल पोषण सुनिश्चित करें" (Innovate Today, Nourish Tomorrow.) है। यह खाद्य उत्पादन और वितरण में बदलाव लाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पारंपरिक कृषि ज्ञान, बेहतर डेटा प्रणालियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की भूमिका को रेखांकित करती है।
- विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक सिटी में FAO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का विचार नवंबर 1979 में आयोजित FAO के 20वें महासम्मेलन में हंगरी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में इसका समर्थन किए जाने के बाद पहली बार वर्ष 1981 में इसे वैश्विक स्तर पर मनाया गया।
- वर्ष 2026 के उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 645 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि लगभग 2.69 अरब लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
- विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य भूख समाप्त करने, पोषण में सुधार करने तथा सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG 2: शून्य भुखमरी) का भी समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भूख समाप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना है।

उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कौमारकॉन-2026 (KAUMARACON-2026) का उद्घाटन किया

- हाल ही में, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित कौमारकॉन-2026 (KAUMARACON-2026) का उद्घाटन किया। यह कौमारभृत्य (आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा) पर आयोजित तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) द्वारा किया गया।
- इस सम्मेलन की थीम "बाल स्वास्थ्य के भविष्य का निर्माण: कौमारभृत्य में वैश्विक दृष्टिकोण, अनुसंधान नवाचार और नैदानिक प्रगति" (Shaping the Future of Child Health: Global Perspectives, Research Innovations, and Clinical Frontiers in Kaumarabhritya) थी। इसमें बाल पोषण, शारीरिक वृद्धि, विकास, रोगों की रोकथाम, भावनात्मक कल्याण तथा पारंपरिक आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा पद्धतियों के वैज्ञानिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव भी शामिल हुए।
- सम्मेलन के दौरान कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई। इनमें आयुष क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आयुष स्टार्टअप पोर्टल, AIIA–iCAINE वेबसाइट, आयुर्वेद डिजिटल इनोवेशन एंड वेंचर एक्सेलेरेशन फैसिलिटी (AyuDIVA), वमन ऐप और पंचकर्म मूल्यांकन ऐप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका के महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (MIU) और नई दिल्ली स्थित AIIA के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) का भी आदान-प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम की चार उप-योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए हैं:
 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
 - विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना।
 - दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना।
 - परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना।
- इस योजना में एक प्रमुख सुधार दिव्यांगता पेंशन से संबंधित है। इसके तहत पात्रता के लिए दिव्यांगता की निर्धारित सीमा को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है, जबकि न्यूनतम आयु की शर्त भी हटा दी गई है। इससे जन्म से ही पात्रता का विस्तार हो गया है। मासिक सहायता राशि 0–79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मौजूदा सहायता जारी रहेगी।
- इस कार्यक्रम से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया NSAP भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 की भावना को लागू करता है। यह अनुच्छेद राज्य को वृद्धावस्था, दिव्यांगता और अन्य आवश्यकताओं की स्थिति में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।

सुनील भारती मित्तल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया

- हाल ही में, भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 28 अक्टूबर 2026 को शेवेलियर दे ल'ऑर्द्र नेशनल दे ला लेजिऑन द ऑनर (Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur) अर्थात् नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित फ्रांस के दूतावास में प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत-फ्रांस आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा दूरसंचार एवं डिजिटल अवसंरचना के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है।
- लीजन ऑफ ऑनर (Legion of Honour) की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1802 में की थी। यह फ्रांस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। यह नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- मित्तल को मिला यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। दूरसंचार और उपग्रह संचार के क्षेत्र में फ्रांसीसी कंपनियों के साथ उनके सहयोग ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। इससे पहले भी उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें वर्ष 2007 में पद्म भूषण और वर्ष 2024 में नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (KBE) शामिल हैं।

अयोध्या के राम मंदिर को FSSAI की पहल के तहत 'अति विशिष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई

- हाल ही में, अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 11 अक्टूबर 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप (Eat Right Place of Worship) पहल के तहत सर्वोच्च 'अति विशिष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई। मंदिर ने भोग (BHOG-Blissful Hygienic Offering to God) कार्यक्रम के तहत 114 में से 103 अंक प्राप्त किए।
- यह प्रमाणन 11 अक्टूबर 2026 से 10 अक्टूबर 2028 तक दो वर्षों के लिए वैध है। इस मूल्यांकन में खाद्य सुरक्षा के कई पहलुओं को

शामिल किया गया, जिनमें रसोई की स्वच्छता, खाद्य पदार्थों का भंडारण, प्रसाद की तैयारी एवं वितरण तथा खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों का खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण शामिल है। इस मान्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला भोजन स्वच्छ और सुरक्षित परिस्थितियों में तैयार एवं वितरित किया जाए।

- अयोध्या के पाँच अन्य धार्मिक स्थलों को भी BHOG प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इनमें हनुमानगढ़ी, कनक भवन, देवकाली मंदिर और एक जैन मंदिर शामिल हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) का पाँचवाँ संस्करण

- हाल ही में, भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2026 (AUSTRAHIND 2026) का पाँचवाँ संस्करण 1 नवंबर 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ। यह अभ्यास 19 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability) को मजबूत करना था।
- इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों में संयुक्त उप-पारंपरिक सैन्य अभियानों (Sub-Conventional Operations) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें सामरिक योजना निर्माण, समुद्री एवं हवाई मार्ग से सैनिकों की तैनाती, ड्रोन संचालन, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। प्रशिक्षण के दौरान विकसित परिचालन समन्वय की जाँच के लिए 36 घंटे का एक सत्यापन अभ्यास (Validation Exercise) भी आयोजित किया गया।

ज्वाला मिसाइल

- हाल ही में, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित निजी क्षेत्र की माइक्रो-मिसाइल ज्वाला-MK1 (JWALA-MK1) ने अपने सॉलिड रॉकेट मोटर के सफल परीक्षण के बाद ध्यान आकर्षित किया है। इसे भारतीय निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी IG Defence द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के परीक्षणों के अगले चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है। यह भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- ज्वाला एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile-SAM) है। इसे हार्ड-किल इंटरसेप्टर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) को सीधे नष्ट करना है। यह विशेष रूप से कम लागत वाले ड्रोन से उत्पन्न बढ़ते खतरे के विरुद्ध पारंपरिक वायु रक्षा मिसाइलों का एक किफायती विकल्प प्रदान करती है।
- इस मिसाइल में ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और फिन-कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया गया है। इसकी मारक दूरी 2–5 किलोमीटर तथा परिचालन ऊँचाई सीमा 50 मीटर से 5,000 मीटर तक है। अधिकतम दूरी पर इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल (Circular Error Probable-CEP) दो मीटर से कम है। इसमें 0.5–1.5 किलोग्राम का पूर्व-विखंडित उच्च-विस्फोटक वारहेड लगाया गया है, जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से युक्त है। इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जैमिंग-रोधी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ज्वाला मिसाइल आईजी डिफेंस के एआई-सक्षम ग्रिड डिफेंड इकोसिस्टम के अंतर्गत कार्य करती है, जो सेंसर, कमांड प्रणालियों और हथियारों को एकीकृत करता है।

विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2026 तक जर्मनी के बर्लिन में और ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य के उभरते हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्वभर के नेता, नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एकत्रित हुए।

- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन "संकट से लचीलेपन की ओर: स्वास्थ्य के लिए नवाचार" (From Crisis to Resilience: Innovating for Health) थीम के तहत किया गया। इसमें 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों, 60,000 से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों, 400 वक्ताओं और 75 से अधिक सत्रों की भागीदारी रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस भी इसमें शामिल होने वाले प्रमुख प्रतिभागियों में से एक थे।
- विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को आगे बढ़ाने तथा समानतापूर्ण, लचीली और सतत वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

मारी जेडटी लालरिथांगी (Mari ZT Lalrithangi)

- हाल ही में, मिजोरम की मारी जेडटी लालरिथांगी (Pi Mari-i) को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा चयनित कृषि-खाद्य प्रणालियों एवं ग्रामीण विकास की 100 महिला नायिकाओं (100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development) में शामिल किया गया है। यह वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाली वे पहली मिजो महिला हैं।
- 35 वर्षीय मारी पूर्व स्कूल शिक्षिका हैं और उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वे मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले के सांगाऊ गाँव की निवासी हैं। उनका चयन 131 देशों से प्राप्त 600 से अधिक नामांकनों में से किया गया। इस सूची में भारत की केवल दो महिलाओं को स्थान मिला है। यह सम्मान 15 अक्टूबर 2026 को रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित विश्व खाद्य मंच (World Food Forum) के दौरान प्रदान किया गया।

लद्दाख भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश घोषित

- हाल ही में, 25 अक्टूबर 2026 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लद्दाख को आधिकारिक रूप से भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। यह उपलब्धि हिमालयी क्षेत्र में सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण और रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस पहल के तहत लद्दाख प्रशासन ने लेह और कारगिल जिलों में रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों की खरीद, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसानों को जैविक खेती की ओर संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विशेष विकास पैकेज (Special Development Package) के तहत वर्मी कम्पोस्ट, PROM और पोटाश सहित 20,000 क्विंटल जैविक उर्वरक 80% सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है।
- इस पहल में बाजार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत किसान स्तर पर जैविक प्रमाणन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य खुबानी, सी बकथॉर्न, कुट्टू, जौ और मटर जैसी उच्च मूल्य वाली क्षेत्रीय फसलों को बढ़ावा देना है।

लियोनेल मेसी को 2026 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस खेल पुरस्कार प्रदान किया गया

- हाल ही में, लियोनेल मेसी को 23 अक्टूबर 2026 को स्पेन के ओविएडो स्थित टीट्रो कैम्पोअमोर में 2026 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस खेल पुरस्कार (Princess of Asturias Award for Sports) प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ मेसी इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। यह पुरस्कार एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें स्पेन के शाही परिवार के सदस्य शामिल हुए। इनमें राजा फेलिप VI, रानी लेटिजिया, राजकुमारी लियोनोर और इन्फेंटा सोफिया शामिल थे।
- प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस फाउंडेशन ने फुटबॉल में मेसी के असाधारण योगदान, निरंतर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन, टीम भावना पर आधारित नेतृत्व और परोपकारी गतिविधियों के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे अधिक सम्मानित फुटबॉल खिलाड़ियों

में से एक माना जाता है। उनके मानवीय योगदानों में लियो मेसी फाउंडेशन और यूनिसेफ के माध्यम से वंचित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को समर्थन देना शामिल है।

अशोक सेन ने 2026 का ऑस्कर क्लेन मेडल जीता

- हाल ही में, प्रसिद्ध भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को प्रतिष्ठित 2026 ऑस्कर क्लेन मेडल (Oskar Klein Medal) से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। यह पदक स्टॉकहोम विश्वविद्यालय द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति (भौतिकी) के सहयोग से प्रदान किया जाता है। यह सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
- अशोक सेन ने 22 अक्टूबर 2026 को स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में "ग्रैविटी फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम ग्रैविटी" (Gravity from Strings and Strings from Gravity) शीर्षक से ऑस्कर क्लेन स्मृति व्याख्यान दिया।
- अशोक सेन को स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रैविटी के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। उनके प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों में S-Duality का विकास, टैच्यॉन कंडेनसेशन पर सेन अनुमान (Sen Conjectures) का प्रतिपादन तथा स्ट्रिंग थ्योरी के माध्यम से ब्लैक होल एंट्रॉपी पर शोध शामिल हैं। इन योगदानों ने मूलभूत अंतःक्रियाओं तथा गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी के बीच संबंधों की समझ को काफी आगे बढ़ाया है।
- वर्ष 1988 में स्थापित ऑस्कर क्लेन मेडल सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करता है। इसके पूर्व प्राप्तकर्ताओं में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, पीटर हिग्स और स्टीवन वाइनबर्ग शामिल हैं।
- वर्तमान में अशोक सेन बेंगलुरु में ICTS-इन्फोसिस माधव चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनके अन्य प्रमुख सम्मानों में ब्रेकथ्रू पुरस्कार (2012), डिराक मेडल (2014), पद्मश्री (2001) और पद्म भूषण (2013) शामिल हैं।

बोधना शिवानंदन शतरंज इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला इंटरनेशनल मास्टर बनीं

- हाल ही में, ब्रिटिश-भारतीय शतरंज प्रतिभा बोधना शिवानंदन ने 11 वर्ष, 7 महीने और 16 दिन की आयु में शतरंज इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला इंटरनेशनल मास्टर (IM) बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने हंगरी की शतरंज दिग्गज जूडिट पोल्गर का 38 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने वर्ष 1988 में बनाया था।
- बोधना ने मोंटेनेग्रो के बुडवा में आयोजित यूरोपीय महिला शतरंज क्लब कप 2026 (European Women's Chess Club Cup 2026) में अपना तीसरा और अंतिम IM नॉर्म हासिल किया। She Plays to Win Lionesses क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने बोर्ड-1 पर खेला और सात मुकाबलों में 5.5 अंक प्राप्त किए। उनके प्रदर्शन में अनुभवी खिलाड़ियों ओल्गा बादेल्का और विक्टोरिया जोहानसन के विरुद्ध उल्लेखनीय जीत शामिल रही, जिससे वे आवश्यक रेटिंग सीमा पार करने में सफल रहीं।
- इससे पहले, अगस्त 2026 में वे ब्रिटिश महिला शतरंज चैंपियन बनी थीं। शतरंज ओलंपियाड में उन्होंने सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर (WGM) के रूप में भी पहचान हासिल की।

एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत का प्रदर्शन

- हाल ही में, जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 114 पदक हासिल किए। इनमें 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि वर्ष 2023 में हांगझोऊ संस्करण में भारत के संशोधित 108 पदकों के रिकॉर्ड से अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस बार भारत ने वर्ष 2023 के 309 पैरा-एथलीटों की तुलना में केवल 168 पैरा-एथलीटों के छोटे दल के साथ भाग लिया था।

- **खेलवार प्रदर्शन:**
 - » पैरा एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा, जिसमें कुल 65 पदक मिले। इनमें 22 स्वर्ण पदक शामिल थे। पैरा बैडमिंटन में 16 पदक और पैरा तैराकी में 11 पदक प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, भारत ने पैरा तीरंदाजी, पैरा निशानेबाजी, पैरा टेबल टेनिस, जूडो और पावरलिफ्टिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में विश्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए मुकाबले भी शामिल रहे।

IBSAMAR IX 2026: भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास

- हाल ही में, भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास (IBSAMAR IX 2026) का 9वाँ संस्करण 20 अक्टूबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में संपन्न हुआ। दस दिनों तक आयोजित इस अभ्यास में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना था।
- इस अभ्यास में बंदरगाह चरण (Harbour Phase) और समुद्री चरण (Sea Phase) शामिल थे। समुद्री चरण 15 से 19 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability), परिचालन समन्वय और आपसी समझ को बेहतर बनाना था।

सिम्बेक्स 2026 (SIMBEX 2026)

- हाल ही में, सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX 2026) का 33वाँ संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना है।
- यह अभ्यास 21 से 26 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया गया। इसमें विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण शामिल हैं।
- वर्ष 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग (Exercise Lion King) के रूप में शुरू किया गया SIMBEX, किसी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबे समय तक लगातार आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। पिछले वर्षों में यह बुनियादी नौसैनिक अभ्यासों से विकसित होकर उन्नत समुद्री अभियानों को शामिल करने वाला एक जटिल अभ्यास बन गया है।
- भारतीय नौसेना इस अभ्यास में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरि और पनडुब्बी रोधी युद्धक कार्वेट INS कमोर्टा के साथ भाग ले रही है। इन्हें विमान और हेलीकॉप्टरों का सहयोग प्राप्त है। वहीं, सिंगापुर की ओर से फॉर्मिडेबल श्रेणी का फ्रिगेट RSS सुप्रीम भाग ले रहा है, जिस पर SH-70B हेलीकॉप्टर तैनात है।

अभ्यास गरुड़ शक्ति 2026

- हाल ही में, भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2026 का 11वाँ संस्करण इंडोनेशिया के बन्युवांगी में शुरू हुआ। यह अभ्यास 27 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक निर्धारित है। इसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) और इंडोनेशिया के विशेष बल कोपासस (Kopassus) के सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं।
- वर्ष 2012 में शुरू किया गया अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिवर्ष बारी-बारी से आयोजित होने वाला द्विपक्षीय विशेष बल सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability) को बढ़ाना तथा परिचालन अनुभवों का आदान-प्रदान करना है।

INS सृष्टि (INS Srishti)

- हाल ही में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने 27 अक्टूबर 2026 को गोवा स्थित अपने शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (Next Generation Offshore Patrol Vessel-NGOPV) INS सृष्टि (यार्ड 1283) को लॉन्च किया। 'सृष्टि' शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ निर्माण या रचना है। इस पोत की कील 9 जून 2025 को रखी गई थी।
- यह लॉन्च NGOPV कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत मार्च 2023 में हस्ताक्षरित एक अनुबंध के अनुसार कुल 11 पोतों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से सात पोतों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है, जबकि शेष चार पोतों का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया जा रहा है।
- INS सृष्टि को भारत की समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, अपतटीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों एवं अन्य रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियान तथा समुद्री डकैती विरोधी अभियान शामिल हैं। यह पोत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियानों में भी सहयोग प्रदान करेगा।

ऑरेंज ओकलीफ छत्तीसगढ़ की पहली राजकीय तितली घोषित

- हाल ही में, ऑरेंज ओकलीफ (Kallima inachus) को सार्वजनिक ऑनलाइन मतदान और छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद छत्तीसगढ़ की पहली आधिकारिक राजकीय तितली घोषित किया गया है। यह चयन राज्य की समृद्ध जैव विविधता को मान्यता देता है तथा तितली संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
- इस तितली को इंडियन ओकलीफ (Indian Oakleaf) या डेड लीफ बटरफ्लाई (Dead Leaf Butterfly) के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी अद्भुत छद्मावरण क्षमता (Camouflage) है। जब यह अपने पंख बंद करती है, तो यह बिल्कुल सूखे और गिरे हुए पत्ते जैसी दिखाई देती है, जिससे इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है।
- ऑरेंज ओकलीफ मध्य प्रदेश की राजकीय तितली भी है। छत्तीसगढ़ द्वारा इसे राजकीय तितली के रूप में चुना जाना तितलियों के प्राकृतिक आवासों, वनों और स्थानीय पादप प्रजातियों के संरक्षण के पारिस्थितिक महत्त्व को रेखांकित करता है।

संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

- हाल ही में, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य डिजिटलीकरण और नवाचारपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक संसाधनों को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है।
- इसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालयों के संग्रह, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों, पारंपरिक हस्तशिल्प, प्रदर्शन कलाओं तथा अन्य जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
- यह नई दिल्ली में प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय के डिजिटल दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस सहयोग से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा पारंपरिक ज्ञान को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

यूपीएससी व्यक्तित्व परीक्षण

कुमुद मिश्रा, IAS द्वारा साक्षात्कार मार्गदर्शन



कुमुद मिश्रा (AIR 69)

विवरण	जानकारी (Details)
प्रथम प्रयास	UPSC 2023 – AIR 259
प्रथम सेवा आवंटन	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर)
द्वितीय प्रयास	UPSC 2024 – AIR 69
द्वितीय सेवा आवंटन	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
शैक्षणिक योग्यता	बी.ए. (ऑनर्स), राजनीति विज्ञान
वैकल्पिक विषय	राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (PSIR)
साक्षात्कार में प्राप्त अंक	193

यूपीएससी सिविल सेवा साक्षात्कार, जिसे आधिकारिक रूप से व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test) कहा जाता है, परीक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंतिम चरण है। इस चरण में बोर्ड वास्तव में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, इसे समझकर अभ्यर्थी अपने कुल अंकों में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रयासों में साक्षात्कार दिया और अपने अंकों में पर्याप्त सुधार किया था। मेरा अनुभव है कि यह चरण केवल तथ्यों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा नहीं है, क्योंकि आपके शैक्षणिक ज्ञान का मूल्यांकन मुख्य परीक्षा (Mains Examination) में पहले ही किया जा चुका होता है। इस चरण में बोर्ड आपके व्यवहार संबंधी गुणों, प्रशासनिक सोच, भावनात्मक स्थिरता और दबाव की स्थिति में संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।

साक्षात्कार बोर्ड मुख्य रूप से निम्नलिखित गुणों का मूल्यांकन करता है:

- आपके व्यवहार संबंधी गुण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
- निष्पक्ष, संतुलित और वस्तुनिष्ठ प्रशासनिक दृष्टिकोण।
- दबाव की स्थिति में आप कितनी शांति और तार्किकता के साथ प्रतिक्रिया देते हैं।

अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, मैं एक मार्गदर्शिका साझा कर रही हूँ, जो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

विस्तृत आवेदन पत्र (DAF):

साक्षात्कार का एक प्रमुख आधार आपका विस्तृत आवेदन पत्र (Detailed Application Form– DAF) होता है। यह बोर्ड को आपकी पृष्ठभूमि समझने में मदद करने वाले प्रमुख दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। साक्षात्कार में अक्सर आपके द्वारा दी गई जानकारियों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

इनमें आपका गृह राज्य, जिला, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव और रुचियाँ शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, मेरे अपने साक्षात्कार के दौरान बोर्ड का पहला प्रश्न भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) में मेरे पूर्व अनुभव पर केंद्रित था। मुझसे पूछा गया कि कर संग्रह को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और इसमें छोटे व्यापारियों की क्या भूमिका हो सकती है। मैंने इस प्रश्न का एक व्यवस्थित उत्तर दिया, जिसमें फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, जीएसटी एकीकरण, सरल रिटर्न फॉर्म और ई-फाइलिंग पोर्टल जैसी प्रमुख पहलों का उल्लेख किया।

समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहना:

DAF के अतिरिक्त, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी जैसे विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहना भी आवश्यक है। अभ्यर्थियों को वैश्विक भू-राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसमें रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों के बीच भारत की संतुलित विदेश नीति तथा BRICS में भारत की भूमिका जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही, AI विनियमन, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे उभरते राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी भी होनी चाहिए।

उत्तर देने का व्यवस्थित तरीका:

जब आपसे जटिल विषयों (जैसे वैश्विक संघर्ष या आर्थिक नीतियों) पर प्रश्न पूछा जाए, तो उत्तर देने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएँ। अपने उत्तर की शुरुआत इस प्रकार करना उपयोगी हो सकता है:

"सर/मैम, मैं इस मुद्दे को तीन प्रमुख दृष्टिकोणों से देखना चाहूँगी..."

इससे बोर्ड को तुरंत यह संकेत मिलता है कि आपके पास स्पष्ट, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण है। इसी प्रकार, ईमानदारी भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो विनम्रतापूर्वक अपनी जानकारी की सीमा स्वीकार करते हुए यह कहना कि आप इस विषय को समझने का प्रयास करेंगी, आपकी सत्यनिष्ठा और सीखने की इच्छा को दर्शाता है।

मेरे साक्षात्कार के दौरान मुझसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उद्धरण पूछा गया था। मैं उस उद्धरण को पहचान नहीं पाई और मैंने अपनी अनभिज्ञता स्वीकार कर ली। इसके बाद बोर्ड के सदस्य ने विनम्रतापूर्वक बताया कि यह उद्धरण एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स द्वारा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने चर्चा को अमेरिका-चीन संबंधों और वर्तमान समय में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के संदर्भ में उस उद्धरण की प्रासंगिकता की ओर आगे बढ़ाया।

जो बात आपको नहीं पता है, उसे स्वीकार करने से आपके अंक कम नहीं होंगे। कई बार बोर्ड के सदस्य स्वयं आपको उस विषय के बारे में जानकारी देते हैं और बातचीत को सहज रूप से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार, उत्तर न जानने के बावजूद भी बातचीत का प्रवाह बाधित नहीं हुआ और आगे के पूरक प्रश्नों के साथ चर्चा सहज रूप से जारी रही।

ध्यान से सुनना और सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना:

पूरे साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, बोर्ड के सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करना चाहिए और उन्हें बीच में नहीं टोकना चाहिए। जब आपसे कठिन या उकसाने वाले प्रश्न पूछे जाएँ, तो शांत और संयमित बने रहना एक लोक सेवक के लिए आवश्यक भावनात्मक दृढ़ता को प्रदर्शित करता है।

मॉक इंटरव्यू:

लगभग 4 से 5 मॉक इंटरव्यू देने से आपकी शारीरिक हाव-भाव (Body Language) और बोलने की गति में सुधार हो सकता है, साथ ही आपके उत्तरों में स्वाभाविकता भी बनी रहती है। अपने बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने, घबराहट पर नियंत्रण पाने और बोलने की गति को संतुलित करने के लिए 4 से 5 मॉक इंटरव्यू अवश्य दें।

रटे-रटाए उत्तरों से बचें:

उत्तरों को याद न करें। वास्तविक, तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएँ जो आपके वास्तविक व्यक्तित्व को दर्शाता हो। अंतिम परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके आप साक्षात्कार कक्ष में शांत और सकारात्मक मन के साथ प्रवेश कर सकते हैं तथा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं।

सही मानसिकता:

अपने दूसरे प्रयास के दौरान मैंने अंतिम परिणाम के प्रति एक प्रकार का निर्लिप्त भाव अपनाया था "यदि मेरा चयन हो जाता है, तो बहुत अच्छा, यदि नहीं होता है, तो भी कोई बात नहीं।" केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपके नियंत्रण में हैं, जैसे आपका प्रयास, तैयारी और स्वयं में सुधार, प्रदर्शन से जुड़े दबाव को कम करता है। साक्षात्कार कक्ष में सकारात्मक और प्रसन्नचित्त मन से प्रवेश करें। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास करें।

साक्षात्कार दिन के लिए संक्षिप्त चेक सूची:

1. अपने DAF को पूरी तरह से जान लीजिये।
2. अपने उत्तरों को बिंदुवार और तार्किक ढंग से व्यवस्थित करें।
3. यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो ईमानदारी से स्वीकार करें।
4. किसी भी बोर्ड के बारे में मन में पहले से कोई धारणा बनाकर साक्षात्कार कक्ष में न जाएँ। बस सकारात्मक और प्रसन्नचित्त दृष्टिकोण रखें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
5. समस्याओं और विश्लेषणात्मक प्रश्नों के प्रति आशावादी एवं समाधान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएँ। यदि आपको लगता है कि किसी समस्या के समाधान में लंबा समय लगेगा, तो समाधान तक पहुँचने के लिए एक उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करें।
6. कठिन प्रश्नों का सामना करते समय भी शांत रहें और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें।
7. परिणाम के बजाय प्रक्रिया और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हेनले पासपोर्ट सूचकांक (अक्टूबर 2026 संस्करण) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत विश्व स्तर पर 84वें स्थान पर है और यह स्थान अल्जीरिया तथा मॉरिटानिया के साथ साझा करता है।
2. यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष डेटा का उपयोग करके संकलित किया जाता है।
3. किसी देश के पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीज़ा-मुक्त गंतव्यों की कुल संख्या में कमी आने पर भी उस देश की रैंक में सुधार हो सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

2. यूनेस्को की अस्थायी सूची (Tentative List) और इसमें हाल ही में किए गए नए समावेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी संपत्ति को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए नामांकित किए जाने से पहले उसका यूनेस्को की अस्थायी सूची (Tentative List) में शामिल होना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।
2. पाँच नई विरासत प्रस्तावों को इसमें जोड़ा गया, जिससे अस्थायी सूची में भारत की कुल संख्या 78 हो गई।
3. हाल ही में जोड़ी गई सभी पाँच संपत्तियाँ केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

3. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और जिसके मूल अधिदेश में बौद्धिक एवं नैतिक एकजुटता के माध्यम से शांति का निर्माण करना शामिल है।
2. 1972 का विश्व धरोहर अभिसमय (World Heritage Convention) असाधारण सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV) वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान एवं संरक्षण के लिए औपचारिक ढांचा प्रदान करता है।
3. UNESCO संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है और इसके पास सदस्य देशों को घरेलू अनुसमर्थन (ratification) के बिना अपनी सांस्कृतिक संधियों के लिए कानूनी रूप से बाध्य करने का एकमात्र अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

4. 2027–28 विपणन मौसम के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सभी छह अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
2. MSP में सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि कुसुम (Safflower) के लिए दर्ज की गई है, जिसके बाद रेपसीड एवं सरसों (Rapeseed & Mustard) का स्थान है।
3. मूल्य निर्धारण नीति केंद्रीय बजट 2018–19 में की गई उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना निर्धारित करने की बात कही गई थी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

5. बैंकर्स' बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 135 वर्ष पुराने बैंकर्स' बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 का स्थान लेता है।
2. यह भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल और क्लाउड-आधारित प्रारूपों में रखे गए बैंकिंग अभिलेखों को मान्यता देकर प्रौद्योगिकी-

तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है।

3. यह केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी भी संस्था या संस्थाओं के वर्ग पर इसके प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो इराक से अमेरिकी सेनाओं की हालिया वापसी के संबंध में हैं:

1. अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य मिशन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, जब अंतिम अमेरिकी सैनिक इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में स्थित एरबिल एयर बेस से रवाना हो गए।
2. ISIS के विरुद्ध चलाया गया अभियान, जिसे ऑपरेशन इनहेरेंट रिज़ॉल्व के नाम से जाना जाता है, लगभग 12 वर्षों तक चला, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी।
3. इस पूर्ण सैन्य वापसी के बाद, पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र से सभी अमेरिकी और गठबंधन के आतंकवाद-रोधी अभियान तथा सैन्यकर्मी पूरी तरह वापस बुला लिए गए हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

7. भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानसून शब्द अरबी शब्द मौसिम (mausim) से लिया गया है, जिसका अर्थ 'ऋतु' या 'मौसम' होता है।
2. मानसून का मुख्य कारण पूरे वर्ष भूमि और आसपास के महासागरों का समान रूप से गर्म और ठंडा होना है।
3. भारतीय प्रायद्वीप तक पहुँचने पर दक्षिण-पश्चिम मानसून दो अलग-अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है—अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

8. RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत शुरू किया गया था।
2. योजना का घटक-II, ECGC के माध्यम से सभी ऊर्जा और गैर-ऊर्जा निर्यात खेपों (export shipments) के लिए 100% तक जोखिम कवरेज प्रदान करता है।
3. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) इस योजना के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

9. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार संयुक्त रूप से कार्ल डीसरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को प्रदान किया गया है।
2. उन्हें ऑप्टोजेनेटिक्स और प्रकाश-सक्रिय आयन चैनलों पर उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।
3. ऑप्टोजेनेटिक्स की मूल प्रक्रिया में जीवित मस्तिष्क में व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाओं को चालू या बंद करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

10. भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गृह मंत्रालय (MHA) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और CAPFs दोनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
2. CAPFs में ग्रुप A के कार्यकारी अधिकारियों की सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से सहायक कमांडेंट (Assistant Commandants) के रूप में भर्ती की जाती है।
3. संजय प्रकाश बनाम भारत संघ (2025) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि की जानी चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2

C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

11. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी CAPFs में महानिदेशक (DG) और विशेष महानिदेशक (DG) के सभी पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे।
2. इसमें अनिवार्य किया गया है कि महानिरीक्षक (IG) के कम से कम 50% पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने चाहिए।
3. इसमें CAPFs को कानूनी रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के समकक्ष अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

12. नेक्स्ट-जेन GST (GST 2.0) सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन सुधारों ने बहु-स्लैब अप्रत्यक्ष कर संरचना को सुव्यवस्थित करते हुए मुख्य रूप से दो प्रमुख स्लैब (5% और 18%) पर केंद्रित किया है, साथ ही निर्दिष्ट विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए 40% की डिमेरिट दर रखी गई है।
2. पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और रियल एस्टेट अभी भी बड़े पैमाने पर GST के दायरे से बाहर हैं।
3. कर आधार को व्यापक बनाने के लिए व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को मानक 18% GST स्लैब के अंतर्गत लाया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

13. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल है।
2. यह एक स्थानिक पक्षी प्रजाति है, जो केवल राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदानों में ही पाई जाती है।
3. हाल ही में बंदी प्रजनन (captive-bred) से प्राप्त GIBs को जंगल में छोड़ने का पायलट कार्यक्रम जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

14. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला पर फ्रांसिस हाल्ज़ेन को उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है।
2. न्यूट्रिनो विद्युत आवेश वहन करते हैं और सामान्य पदार्थ के साथ प्रबल रूप से अंतःक्रिया करते हैं, जिससे मानक ऑप्टिकल दूरबीनों का उपयोग करके उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
3. आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला उच्च-ऊर्जा खगोलीय न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित गहरी हिमनदीय बर्फ को एक माध्यम के रूप में उपयोग करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

15. अक्टूबर 2026 में स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन की भारत की हालिया राजकीय यात्रा के परिणामों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और स्विट्जरलैंड ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जो अधिकतम पांच वर्ष तक की वैधता वाले बहु-प्रवेश वीजा प्रदान करती है।
2. यह लगभग एक दशक में भारत की पहली द्विपक्षीय स्विस राष्ट्रपति की यात्रा थी।
3. दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय ढाँचे को व्यापक बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग को उभरते हुए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया।

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीनो
D: कोई नहीं

16. भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर, 2025 को लागू हुआ।
2. EFTA में चार सदस्य देश शामिल हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन।
3. TEPA के तहत, EFTA ने 15 वर्षों की अवधि में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

17. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित SME Growth Fund के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे पारंपरिक बैंक ऋण या कर्ज के बजाय प्रत्यक्ष इक्विटी और विकास-उन्मुख पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस फंड को एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में संरचित और स्थापित किया जाएगा।
3. इसका दायरा विशेष रूप से महानगरीय शहरों में स्थित सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों तक ही सीमित है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

18. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संशोधित MSME वर्गीकरण के अंतर्गत, विनिर्माण और सेवा उद्यमों को अलग किए बिना निवेश और वार्षिक कारोबार पर आधारित एक समान मापदंड लागू किया जाता है।
2. एक सूक्ष्म उद्यम को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ₹2.5 करोड़ तक का निवेश और ₹10 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार हो।
3. हाल के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, MSMEs भारत के कुल निर्यात में 45% से अधिक का योगदान करते हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

19. अक्टूबर 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक की आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.50% कर दिया।
2. नीतिगत रुख को 'तटस्थ' (neutral) से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) कर दिया गया।
3. इस संशोधन के बाद, स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility - SDF) दर को 5.25% पर समायोजित किया गया और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility - MSF) दर को 5.75% पर निर्धारित किया गया।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

20. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और फॉर्म 6 में संशोधन के संबंध में हाल की सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) अन्य निर्वाचन आयुक्तों से परामर्श किए बिना फॉर्म 6 जैसे वैधानिक प्रपत्रों में एकतरफा बदलाव कर सकते हैं।
2. फॉर्म 6 एक वैधानिक दस्तावेज है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत बनाए गए निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 द्वारा विनियमित होता है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 में आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

21. हाल ही में स्वीकृत एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संसद के एक समर्पित अधिनियम द्वारा समर्थित एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
2. यह 10 वर्ष या उससे अधिक की योजना अवधि के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा।
3. इसे ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली सभी सरकारी

अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी और वित्तीय, दोनों प्रकार का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

22. 2026 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?

A: रयोजी नयोरि और के. बैरी शार्पलेस
B: हेनरी बी. कागन और केन्सो सोई
C: कार्ल डिसेरोथ और पीटर हेगेमैन
D: बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन

23. असममित कार्बनिक संश्लेषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. काइरलता (Chirality) उस गुण को संदर्भित करती है जिसमें कोई अणु और उसका दर्पण प्रतिबिंब एक-दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं किए जा सकते।
2. गैर-रैखिक प्रभाव तब होता है जब किसी अभिक्रिया उत्पाद की एनैन्टियोमेरिक शुद्धता, काइरल उत्प्रेरक की एनैन्टियोमेरिक शुद्धता के सीधे समानुपाती नहीं होती है।
3. असममित उत्प्रेरण हमेशा दो एनैन्टियोमरों का 50:50 मिश्रण उत्पन्न करता है।
4. गैर-रैखिक प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान थोड़े-से काइरल असंतुलन के प्रवर्धन को समझाने में सहायता कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

24. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रिपोर्ट 1970 से अब तक विश्व स्तर पर विलुप्त हुई प्रत्येक व्यक्तिगत पशु प्रजाति की कुल संख्या का पता लगाती है।
2. स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्रों में कशेरुकी जीवों की आबादी में औसत गिरावट सबसे अधिक दर्ज की गई।
3. रिपोर्ट में शामिल लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI), जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) के सहयोग से तैयार किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

25. भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के कानूनी और संवैधानिक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार देता है।
2. संसद ने ऐसे विवादों से निपटने के लिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया।
3. सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत किसी भी अंतरराज्यीय जल विवाद का सीधे निर्णय करने का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, जो संसद द्वारा बनाए गए अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करने वाले कानूनों को दरकिनार करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

26. साहित्य के क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. साहित्य के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार कनाडाई कवयित्री और शास्त्रीय साहित्य की विद्वान ऐन कार्सन (Anne Carson) को प्रदान किया गया है।
2. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences) द्वारा प्रदान किया जाता है।
3. उनकी प्रसिद्ध रचना Autobiography of Red में प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं को समकालीन अनुभवों के साथ जोड़ा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

27. अक्टूबर 2026 में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी रिफंड के दावे को स्वीकार करने या कमी संबंधी ज्ञापन जारी

करने की समय-सीमा 15 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दी गई है।
2. परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 को पूरी तरह हटाने की सिफारिश की, जो कर अधिकारियों की गिरफ्तारी करने की शक्ति से संबंधित है।
3. जीएसटी कानून के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन के लिए मौद्रिक सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

28. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) और जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. भारत में वस्तु एवं सेवा कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किया गया था।
3. 57वीं जीएसटी परिषद की हालिया सिफारिशों के अंतर्गत, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत अधिकतम सामान्य दंड को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

29. हाल ही में चर्चा में रही "व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भू-आर्थिक कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है।
2. यह रिपोर्ट बताती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित हार्डवेयर और उत्पाद वैश्विक वस्तु व्यापार की वृद्धि के प्रमुख चालक बन गए हैं।
3. इस रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र डिजिटलीकरण के कारण वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास दर, वर्ष 2025 की तुलना में काफी तेज होने का अनुमान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

30. नोबेल शांति पुरस्कार 2026 की प्राप्तकर्ता नवनेथम "नवी" पिल्लै के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में वकालत शुरू करने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में कार्य किया।
2. उन्होंने रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
3. वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी थीं।
4. उन्होंने वर्ष 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 3
D: सभी चार

31. जंगली जल भैंसे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी है तथा IUCN की लाल सूची में इसे संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
2. भारत में इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
3. विश्व की जंगली जल भैंसों की अधिकांश आबादी असम राज्य में निवास करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

32. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
2. भारत वैश्विक स्तर पर 38वें स्थान पर है और निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है।
3. स्विट्जरलैंड ने लगातार 16वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

33. निम्नलिखित नवनियुक्त राज्यपालों और उनके संबंधित राज्यों के युग्मों पर विचार कीजिए:

1. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर — तमिलनाडु
2. ओम प्रकाश माथुर — केरलम (केरल)
3. डॉ. सुधा यादव — कर्नाटक
4. दुष्यंत गौतम — उत्तराखंड

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

A: केवल एक युग्म
B: केवल दो युग्म
C: केवल तीन युग्म
D: सभी चार युग्म

34. भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है और एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
2. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (Warrant) के माध्यम से की जाती है।
3. संविधान राज्यपाल के लिए निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2
D: 1, 2 और 3

35. INS मंगरोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह माहे-श्रेणी के उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत (ASW-SWC) श्रृंखला का तीसरा पोत है।
2. इसे भारतीय नौसेना के बड़े कोलकाता-श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक
B: केवल दो
C: सभी तीन
D: कोई नहीं

36. ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ULLAS का अर्थ है "समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ" (Understanding of Lifelong Learning for All in Society)।
2. यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों को शामिल करना है।
3. इस योजना के अंतर्गत शिक्षार्थियों का मूल्यांकन आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

37. अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के लिए स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को यह प्रदर्शित करने के लिए दिया गया कि सूक्ष्म आर्थिक व्यवहार के आधार मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरीकरण नीतियों को किस प्रकार आकार देते हैं।
2. रॉबर्ट हॉल की 1978 की परिकल्पना ने स्थापित किया कि उपभोग संबंधी निर्णय पूरी तरह स्थिर होते हैं और भविष्य की आय की अपेक्षाओं के बजाय केवल वर्तमान प्रयोज्य आय पर निर्भर करते हैं।
3. आर्थिक विज्ञान के लिए स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की मूल वसीयत के अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के पुरस्कारों के साथ की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

38. पहली बिम्सटेक (BIMSTEC) गृह मंत्रियों की बैठक (2026) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस पहली बैठक की मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में की थी और यह 'दिल्ली घोषणापत्र' (Delhi Declaration) को अपनाए जाने के साथ संपन्न हुई।

2. गृह मंत्रियों की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था का पहली बार औपचारिक रूप से स्वागत बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में किया गया था।
3. प्रस्तावित 'बिम्सटेक आपदा प्रबंधन केंद्र' (BIMSTEC Disaster Management Centre) को गुजरात के जामनगर में स्थापित करने की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

39. बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
2. इसकी सदस्यता में दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश शामिल हैं, जिनमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार और चीन शामिल हैं।
3. यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के अंतर्गत दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद को दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रवाद से जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

40. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) और 2030 तक हेपेटाइटिस B और C को समाप्त करने की भारत की रणनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 में रोकथाम, निदान और उपचार के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।
2. हेपेटाइटिस B के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है (जिसमें 24 घंटे के भीतर जन्म के समय दी जाने वाली खुराक शामिल है), जबकि वर्तमान में हेपेटाइटिस C के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
3. WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, हेपेटाइटिस B और C के संक्रमणों के वैश्विक बोझ में भारत का योगदान 5% से कम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

41. GSAT-7C संचार उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय वायु सेना (IAF) के परिचालन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाया गया एक समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है।
2. इसके अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर ISRO की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. यह पुराने GSAT-7 (रुक्मिणी) उपग्रह को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करता है, जिसे विशेष रूप से भारतीय थल सेना के लिए निर्मित और प्रक्षेपित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

42. सुखना झील (सुखना आर्द्रभूमि) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था:

1. यह एक प्राकृतिक अल्पाइन झील है, जिसका निर्माण वृहद हिमालय के उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्र में हुआ है।
2. इसका निर्माण 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली मौसमी सुखना चोए जलधारा पर बाँध बनाकर किया गया था।
3. यह मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ यात्रा करने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

43. वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है और इसे भूख की "गंभीर" (Serious) श्रेणी में रखा गया है।
2. भारत में बाल दुर्बलता (Child Wasting) की दर 19% है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक दरों में से एक है।
3. GHI 2026 की रैंकिंग में पाकिस्तान को भारत से बेहतर स्थिति में

रखा गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

44. हाल ही में समाचारों में रहे INS समर्थक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक भारतीय निजी शिपयार्ड (लार्सन एंड टुब्रो) द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (MPV) है।
2. इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है।
3. इसकी प्राथमिक भूमिका विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति के पनडुब्बी-रोधी युद्ध और टॉरपीडो युद्ध तक ही सीमित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

45. भारत में आरक्षण नीतियों और धार्मिक धर्मांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 के अंतर्गत, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति अपनी धर्मांतरण-पूर्व सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिसूचित पिछड़ा वर्ग की मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का स्वतः हकदार हो जाता है।
3. संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारत के सतत विमानन ईंधन (SAF) के लिए नीतिगत रोडमैप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) ने जनवरी 2027 से शुरू होने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% SAF मिश्रण का अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किया है।
2. भारत सरकार ने मौजूदा नियामक ढाँचे के अंतर्गत SAF-मिश्रित जेट ईंधन को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 में संशोधन किया।
3. यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने भारत की 2027 की समय-सीमा की तुलना में 2025 से ही अधिक SAF मिश्रण के अनिवार्य लक्ष्य लागू कर दिए हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2026 (Emissions Gap Report 2026) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बिना किसी अतिक्रमण (overshoot) के वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखना अब संभव नहीं है।
2. न्यूनतम-अतिक्रमण वाले मार्ग (lowest-overshoot pathway) का अनुसरण करने के लिए, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2025 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 18%, वर्ष 2035 तक 45% और वर्ष 2040 तक 69% कम करना आवश्यक है।
3. अफ्रीकी संघ को छोड़कर, G20 के सदस्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आधे से भी कम हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

48. हानि और क्षति से निपटने के लिए कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 2022 में COP27 में की गई थी और इसे वर्ष 2023 में COP28 में क्रियान्वित किया गया था।
2. यह कोष विश्व बैंक के प्रशासनिक ढाँचे के अंतर्गत संचालित होता है।
3. यह विशेष रूप से जलवायु-प्रेरित शमन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को ऋण और वाणिज्यिक ऋण सुविधाएँ प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

49. हाल ही में खोजी गई 'PHP2Shell' कमजोरियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसमें दो गंभीर मेमोरी-सुरक्षा संबंधी खामियाँ (CVE-2026-109618 और CVE-2026-109619) शामिल हैं, जो बिना प्रमाणीकरण वाले दूरस्थ हमलावरों को प्रभावित वेब सर्वरों पर दुर्भावनापूर्ण कोड निष्पादित करने (RCE) की अनुमति देती हैं।
2. यह कमजोरी व्यापक रूप से फैली हुई है, क्योंकि PHP एक सर्वर-साइड प्रोग्रामिंग भाषा है, जो पहचान योग्य सर्वर-साइड आर्किटेक्चर वाली लगभग 70% वेबसाइटों को संचालित करती है।
3. सरल कॉन्फ़िगरेशन अपडेट (जैसे php.ini फ़ाइल के वेरिएबल्स को बदलना) अद्यतन कोर रनटाइम संस्करणों को इंस्टॉल किए बिना ही इस कमजोरी को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. भारत में चुनावी शपथपत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 125A उन उम्मीदवारों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान करती है, जो जानबूझकर अपने नामांकन पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हैं।
2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 195 एक पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, जो निजी नागरिकों को चुनावी अपराधों से संबंधित कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से रोकती है।
3. हालिया न्यायिक व्याख्या के अनुसार, झूठे चुनावी शपथपत्र के संबंध में शिकायत विशेष रूप से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही दर्ज कराई जानी चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	D	11	A	21	B	31	B	41	A
2	A	12	A	22	B	32	D	42	B
3	A	13	B	23	C	33	C	43	A
4	D	14	B	24	C	34	C	44	A
5	D	15	C	25	A	35	B	45	B
6	A	16	D	26	B	36	D	46	D
7	B	17	A	27	D	37	A	47	C
8	B	18	D	28	A	38	D	48	A
9	A	19	D	29	B	39	B	49	A
10	A	20	C	30	D	40	A	50	A

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

नया बैच

UP SPECIAL 2026

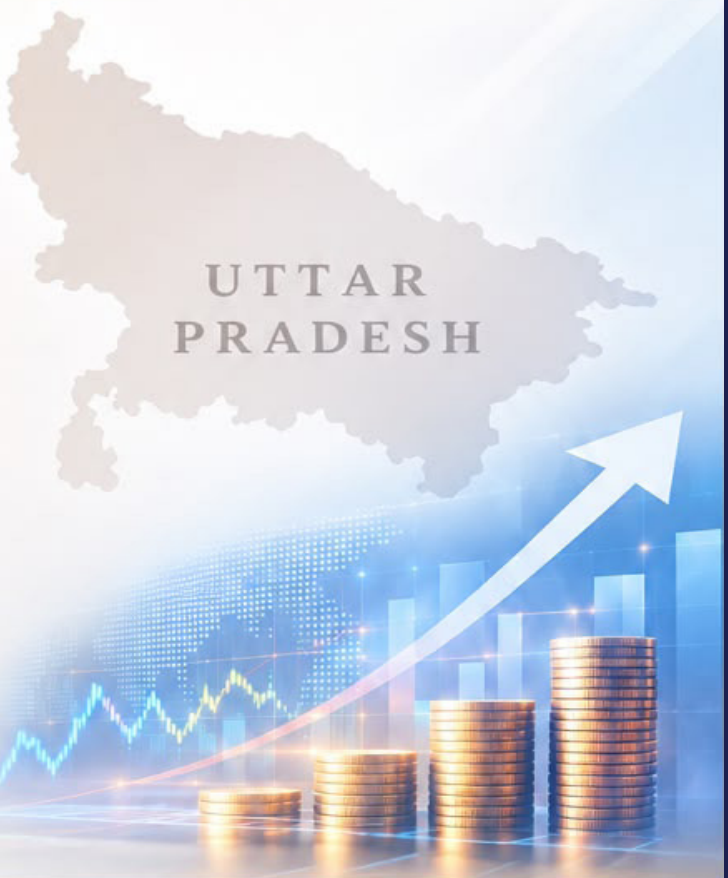
Prelims Exam-Oriented Preparation

बैच प्रारंभ

18 NOVEMBER 2026

9:00 AM & 6:00 PM

HINDI / ENGLISH MEDIUM



7619903300 | Aliganj, Lucknow